खण्ड-157, अंक-4
गुरूवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(22 सितम्बर, 1955 ई0)

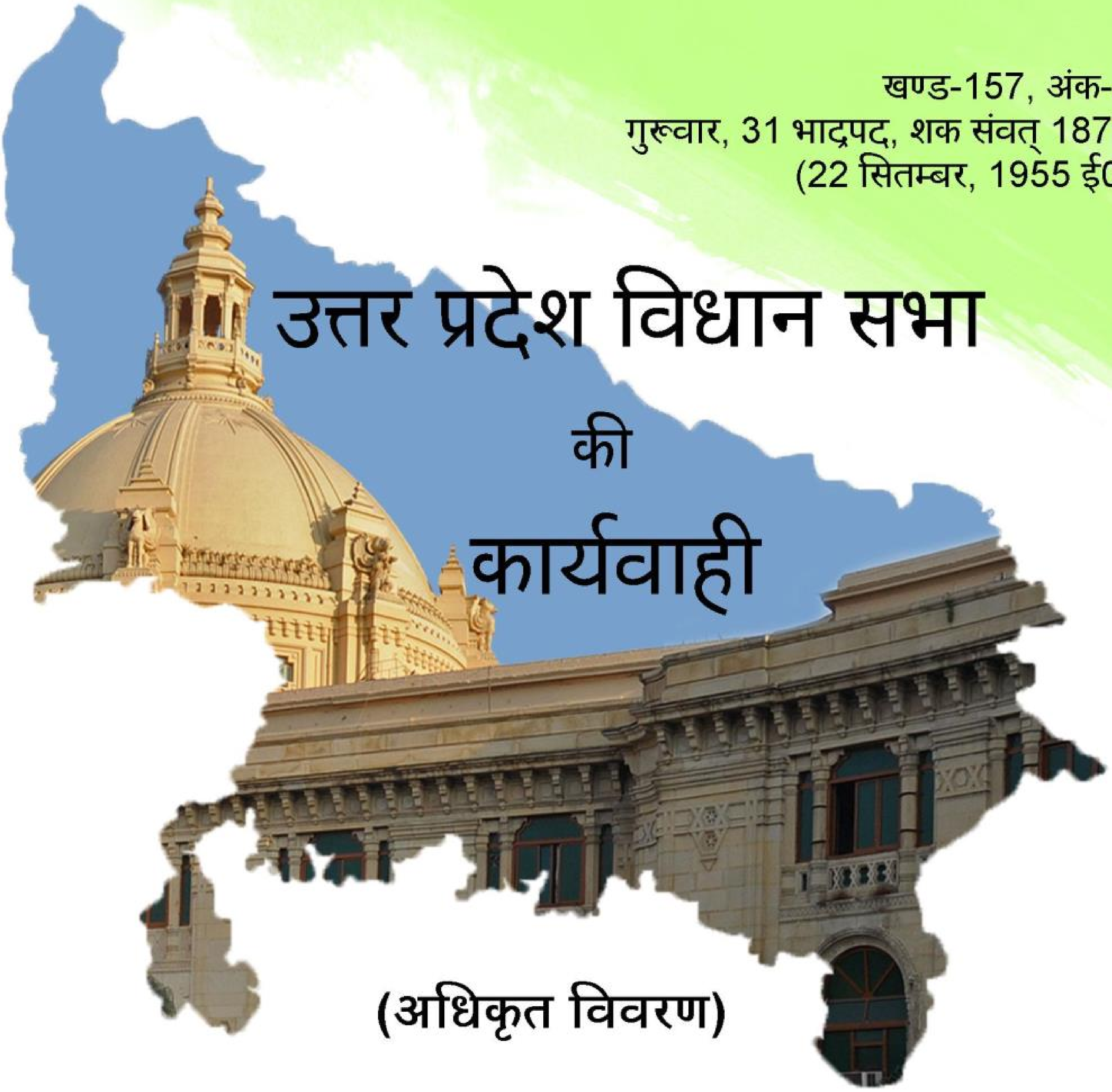

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 157 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २२ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचंद, श्री
ताराचंद माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्दसिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधरकुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामर्मूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनमिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
बिष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री]
हमीद खां, श्री]
हरगोविंदसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

जौनपुर शहर में ए० सी० बिजली से मृत्युएं व बिजली की दर

*१--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर शहर में ए०सी०या डी०सी० करेन्ट की बिजली है और उससे पिछले एक साल में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुयी है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--जौनपुर शहर में ए० सी० करेन्ट की बिजली है और उससे पिछले एक साल में एक व्यक्ति की मृत्यु हुयी।

*२--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार जौनपुर शहर की बिजली की दर बताने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जौनपुर शहर में बिजली की दर इस प्रकार है --

(१) लाइटिंग तथा फैन प्रति यूनिट ८ आना।
(बिल भेजने के १० दिन के अन्दर बिल की अदायगी करने पर दो पैसे प्रति यूनिट रिबेट मिलता है)

(२) घरेलू हीटिंग तथा कुकिंग इत्यादि ३ आना प्रति यूनिट।

(३) पावर कनेक्शनों के लिये ३ आना प्रति यूनिट।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को पता है कि इस एक साल के पहले के सालों में भी कुछ मौतें हो चुकी हैं इस करेन्ट से ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। दो मौतें हो चुकी हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या जिस करेन्ट से मौतें होती हैं उसके विरुद्ध कोई ऐसी करेन्ट है कि जिस से मौतें न हों, उसे लगाने का विचार कर रही है सरकार ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---ए०सी०करेन्ट जो है वह ज्यादा तेज होने की वजह से उससे कभी ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल बाहर की दुनियां जितनी है वह ए०सी० करेन्ट ही लगाते हैं और सामान बिजली के जितने बनते हैं और मिलते हैं वह सब ए०सी० के ही मिलते हैं। तो इसलिये यहां भी ए०सी० ही रखी जाती है। पानी से भी ए०सी० यहां पहले से बनती है। उसमें यह जरूर है कि कुछ तो खुद जो बिजली के मुलाजिम होते हैं वह अहतयात नहीं करते जोकि मुकर्रर हैं और ऐसा हो जाता है, कुछ उसमें से मर जाते हैं या इत्तफाक से कोई आदमी अपने यहां मर जाता है। मगर यह बात सही है कि उसमें बहुत बड़ी मजबूरी है कि ए०सी० करेन्ट के खिलाफ क्या किया जाय, जो मैंने अर्ज किया उसके होते हुए।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को मालूम है कि जो मौतें हुई हैं सब पब्लिक की हुई हैं, किसी कर्मचारी की नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने तो इससे इन्कार नहीं किया। मेरे जवाब से इससे इनकार नहीं है। जो हुई हैं, वह हुई होंगी।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---क्या यह सही है कि ए० सी० करेन्ट का प्रोडक्शन जो है, डी०सी० करेन्ट के प्रोडक्शन से सस्ता पड़ता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, मेरा खयाल तो है ऐसा।

रिहन्द बांध के निर्माण का ठेका तथा सीमेंट कांक्रीट प्रयोग करने का निश्चय

*३---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध के सम्बन्ध में जो टेन्डर आये हैं उनमें से सबसे कम लागत वाला कोटेशन ऐसा है जिससे इन बांध का खर्च करीब ५ करोड़ और बढ़ जायेगा ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

*४---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**---यदि हां, तो क्या सरकार यह विचार कर रही है कि बजाय सीमेंट कांक्रीट के स्टोन मेसोनरी का ही प्रयोग किया जाय ?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*५---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**---यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---सीमेंट कांक्रीट का बांध स्टोन मेसोनरी के बांध की अपेक्षा शीघ्र निर्माण होता है। चूंकि रिहन्द बांध को जिस पर उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग का विकास निर्भर है, जल्दी बनाना है, इसलिये सीमेंट कंक्रीट में ही बांध बनाना अच्छा समझा गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---कितने कितने के टेंडर्स आये थे ?

श्री धर्मसिंह---तीन कम्पनियों से टेंडर आये थे। एक तो सर्व श्री रेहेंड कंस्ट्रक्शन कम्पनी, दूसरी मारिजिन पटेल उटाह और तीसरी हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान और इनके अलग-अलग टेंडर इस तरह से आये कि पहली कम्पनी का १६.९३ करोड़ था, दूसरी का १७.९४ करोड़ था और तीसरी का १८.९ करोड़।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है उसके लिये समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि इतने दिनों के अन्दर बांध बन जाय ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, उसमें शर्तें थीं कि इतने समय के अन्दर बन जाना चाहिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिन के अन्दर बनाने की शर्त है ?

श्री धर्मसिंह--यह तो १९६० तक उम्मीद की जाती है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि उस बांध पर तब तक सीमेंट कांक्रीट का काम नहीं हो सकता जब तक सोन नदी पर पुल न बन जाय ?

श्री धर्मसिंह--जी, वह तो सोन नदी पर पुल बन ही रहा है और उसका काम कुछ अब भी हो रहा है और उसके बाद भी होगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि जब तक पूरी मशीनरी वहां पर नहीं लग जायगी तब तक सीमेंट कांक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी, यह सही है। अमरीका को आर्डर्स गये हुये हैं मशीनरी के और वह वहां से आ जायेगी तब उसके बाद वहां जो मेन डैम है जो सीमेंट कांक्रीट का बनेगा वह कुल काम मशीनरी से होगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह काम फिर जल्दी कैसे निर्मित हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह तो जो ठेके में दिया गया है सन् १९५९-६० तक का उसके मुताबिक यकीनन हो जायगा, कोई शुबहा नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह सही है कि सीमेंट और कांक्रीट से यह बन्धा बनाना इसलिये आवश्यक समझा गया कि सीमेंट भी पास ही है और कांक्रीट की खुदान बहुत काफी मिली है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, बात तो सही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सीमेंट कांक्रीट और स्टोन मेसोनरी में पर क्यूबिक फिट क्या कास्ट पड़ती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सीमेंट कांक्रीट और पत्थर का अलग अलग तो खर्च नहीं है। सीमेंट होता है और पत्थर का टुकड़ा होता है जिसको कांक्रीट कहते हैं। उन दोनों को मिक्स करके भरा जाता है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि मुल्क के बहुत से टाप इंजीनियर्स की ओपीनियन है कि यह डैम बजाय सीमेंट कांक्रीट के अगर स्टोन से बनता तो यह सस्ता पड़ेगा और अच्छा बनेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो सही नहीं है कि मुल्क के बड़े इंजीनियरों की राय यह है। मेरा इल्म तो यह है कि मुल्क के इंजीनियरों की राय यह है और ठीक है कि इसको सीमेंट कांक्रीट का बनाया जाय। अगर उसको सीमेंट कांक्रीट का न बनाया जाय तो उसके बनाने में ८ साल लगेंगे और खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सवा करोड़ रुपये की कमी हो सकती है। वैसे यह पांच साल में ही बनता है।

चिरगांव टाउन एरिया, जिला झांसी का वैद्युतीकरण

*६---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चिरगांव टाउन एरिया (झांसी) में नियोजन विभाग द्वारा बिजली की रोशनी की योजना कहां तक कार्यान्वित हो चुकी है तथा शेष काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---चिरगांव टाउन एरिया, जिला झांसी का विद्युतीकरण माताटीला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आता है। माताटीला प्रोजेक्ट वर्ष १९६० तक पूरा होगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब विकास विभाग द्वारा बिजली लगाने का सामान वहां पर मंगाया हुआ पड़ा है तो उस को लगाने में उनको क्या दिक्कत है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पहले यह इरादा था कि यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा जाय। लेकिन भारत सरकार से रुपया नहीं मिल सका। इसलिये अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है।

थाना बाघराय, जिला प्रतापगढ़ के लिए नए भवन के निर्माण पर विचार

*७---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार को पता है कि अति वर्षा होने के कारण बाघराय, थाना प्रतापगढ़ की इमारत का बहुत सा भाग गिर गया ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी हां।

*८---श्री रामनरेश शुक्ल---यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन ---थाना बाघराय के लिये एक नये भवन के निर्माण के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अंतिम निर्णय इसका कब तक हो जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह जो नया बजट आने वाला है उसमें उम्मीद है कि इसके लिये प्रावीजन होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय थाने का स्टाफ कहां रह रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरुरत है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि थाने की इमारत से करीब ४ फर्लांग तक कोई गांव नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन---हो सकता है।

*९---श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---[१३ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

डाकू मानसिंह के गिरोह के विनाशार्थ तैनात पुलिस

*१०---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या यह सत्य है कि डाकू मानसिंह के गिरोह पर काबू पाने के लिये पुलिस के कुछ जवानों को तीर कमानों की ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो कितने जवानों को और कहां ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*११—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि मानसिंह के गिरोह को नष्ट करने के लिये सरकार की कुल कितनी फोर्स (force) लगी हुई है और उसका दैनिक व्यय क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन—मानसिंह के तथा अन्य भयंकर डाकुओं के गिरोहों का अन्त करने के लिये पी० ए० सी० की लगभग १२ कम्पनियां लगी हुई हैं। इन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हो रहा है क्योंकि वह प्रदेश की स्थायी पुलिस का एक भाग ही है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मानसिंह गिरोह में कुल कितने आदमी हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इसकी मुझको इत्तिला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मानसिंह के गिरोह को नष्ट करने के लिये जो पुलिस फोर्स लगी हुई है उसके खर्च का कुछ भाग केन्द्रीय सरकार देती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी० ए० सी० या पुलिस फोर्स के कुछ आदमी तीर कमान चलाना सीखने के लिये आसाम भेजे गये, यदि हां, तो कितने?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। हमारे यहां का कोई आदमी तीर कमान सीखने के लिये आसाम नहीं भेजा गया था।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भयंकर डाकुओं में कौन कौन से डाकू शामिल हैं?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है कि उनको मालूम नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मानसिंह के गिरोह का संचालन कौन व्यक्ति कर रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह कैसे बतला सकता हूं। अगर मेरा उनसे परिचय होता तो मैं बतला सकता था।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना फोर्स सिपाहियों का पकड़ने में लगा हुआ है?

श्री अध्यक्ष—उसका नम्बर पहले बता दिया गया था।

टर्पेन्टाइन फैक्टरी, बरेली को सरकार द्वारा लीसा देने की शर्तें

*१२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टर्पेन्टाइन फैक्ट्री बरेली को सरकार लीसा किस भाव में देती है तथा लीसे का बाजार भाव क्या है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—इन्डियन टर्पेन्टाइन फैक्ट्री को सरकार जो लीसा देती है उसका भाव प्रति वर्ष उनके साथ जो इकरारनामा हुआ है उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष वह १३ रु० ७ आना मन रक्खा गया है। बाजार भाव १५ रु० से १६ रु० प्रतिमन है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब बाजार भाव १५, १६ रुपये प्रतिमन है तो टर्पेन्टाइन फैक्ट्री से १३ रु० ७ आने प्रति मन का इकरारनामा क्यों किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह इकरारनामा सन् १९४२ में हो चुका है। कुछ क्लाज उस इकरारनामे के ऐसे हैं जिनके अनुसार यह रेट निर्धारित किया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह इक़रारनामा कितने दिनों के लिये है और उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह २० वर्ष के लिये सन् १९४२ में हुआ था उस कम्पनी के साथ। उसमें यह है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट इस कम्पनी को हर साल कम से कम ६०,००० मन कच्चा लीसा देगा। अगर और ज्यादा की जरूरत होगी तो ज्यादा भी दिया जायगा। इसका रेट जिस तरह से निर्धारित होगा उसके लिये भी इसमें लिख दिया गया है कि किस तरह से वह निकाला जायगा और इकट्ठा किया जायगा इस सब के खर्चे को जोड़कर और उसका हिसाब लगाकर उसका रेट निर्धारित किया जाता है। इसमें लीसा को इकट्ठा करने के लिये जितनी टीन की आवश्यकता होगी वह सब कम्पनी देगी। हरसाल उसका हिसाब लगाया जाता है कितना खर्चा हुआ है और उस पर जितना हिसाब पड़ता है उसी हिसाब से उनको दिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पहाड़ों पर जो कुटीर उद्योग के लिये लीसा की मांग है क्या उनको सरकार लीसा देती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, देती है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह कृपाकर बतलायेगी कि टर्पेन्टाइन फैक्ट्री सरकार की अपनी है या उसमें गवर्नमेंट के शेयर हैं ? अगर शेयर हैं तो वह कितने हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसमें सरकार के करीब ५० परसेंट के शेयर हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि जो इस फैक्ट्री को लीसा देती है वह लीसा वह स्वयं निकालती है या ठेकेदारों के जरिये निकलवाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसको डाइरेक्ट फारेस्ट डिपार्टमेंट निकालता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का यह विचार है कि इसको स्वयं न निकाल कर वह जनता या कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से निकलवायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, वह बड़ा टेक्नीकल काम है। गांव वाले पेड़ों को खराब कर देते हैं उस लीसा को निकालने में। जो नान टैक्नीकल काम हैं उनके लिये सरकार कोआपरेटिव सोसाइटी को तरजीह देती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि प्रतिमन लीसा को इकट्ठा करने में सरकार का क्या खर्च होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो मैंने पहले बतला दिया कि वह हर साल बदलता रहता है किसी साल खर्चा कुछ ज्यादा भी हो जाता है जैसा कि जवाब में १३ रु० ७ आ० बतलाया गया। इस खर्चे का हिसाब जोड़कर मुनाफा कुछ ज्यादा नहीं लिया क्योंकि मुनाफा आखिर में कम्पनी को १० परसेंट होता है और उसमें भी, जो कम्पनी के पास मुनाफा रिजर्व रह जाता है, डिपार्टमेंट को मुनाफा मिलता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कुल कितना लीसा सरकार निकलवाती है, कितनी उस की पैदावार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो मैंने बता दिया कि ६०,००० मन हमें कम से कम देना होता है लेकिन हम ३ लाख मन तक हर साल निकलवा लेते हैं।

शाहजहांपुर जिले में शारदा जल विद्युत योजना की बिजली

*१३—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में शारदा जल बिजली योजना के मातहत कब तक बिजली आ जायगी ?

श्री धर्मसिंह—शाहजहांपुर जिले में शारदा जल विद्युत योजना से बिजली वितरण हेतु उपलब्ध है।

*१४—श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि लखनऊ तथा कानपुर बिजली कम्पनियां इस बिजली को लेकर वितरण करने के लिये मौजूदा तय की हुई कीमत पर तैयार नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह—कानपुर और लखनऊ की कम्पनियां शारदा से बिजली नहीं ले रही हैं और इस वजह से दर का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह लखनऊ और कानपुर की बिजली कम्पनियां इस बिजली को नहीं ले रही हैं, वह किन कारणों से नहीं ले रही हैं ?

श्री धर्मसिंह—कानपुर में तो बिजली है, लखनऊ की कम्पनी से बातचीत चल रही है, अभी कुछ निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ की कम्पनी से जो बातचीत चल रही है, वह क्या बिजली की क़ीमत को कमो बेश करने के विषय में चल रही है ?

श्री धर्मसिंह—सभी शर्तें होती हैं, उसी में क़ीमत भी शामिल है।

श्री भगवान सहाय—क्या यह सही है कि बिजली विभाग ने सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि बिजली के रेट्स ज्यादा हैं और वह कम किये जायं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं नहीं समझा कि किस रेट के बारे में आप ने फरमाया, लेकिन जो हाइड्रोएलेक्ट्रिक के रेट को देखते हुये प्राइवेट कम्पनियों के रेट्स ज्यादा हैं, वह कम किये जायं ऐसी सिफारिश डिपार्टमेंट ने सरकार से की है और हाईड्रोएलेक्ट्रिक रेट्स जो हैं उन की निस्बत ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि केसा की बिजली सब से सस्ती है और इसलिये वह शारदा की बिजली नहीं लेते ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—केसा की बिजली सिवा कलकत्ते के सस्ती है और वह भी इसलिये कि कलकत्ते में वहीं कोलरीज हैं जहां से कोयला मिल जाता है और उसका खर्च बच जाता है लेकिन केसा में उधर की बिजली देने का कोई सवाल नहीं उठा है और वहां कोई बिजली यहां से जाने वाली नहीं है।

गाजीपुर जिले में औरिहार जंकशन के पास चीनी मिल खोलने तथा हड्डी से खाद बनाने की योजना का सुझाव

*१५—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर कोआपरेटिव विभाग द्वारा औरिहार जंक्शन के पास चीनी मिल खोलने तथा हड्डी से खाद बनाने की योजना चलाने के लिये सरकार को लिखा गया था? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कर रही है?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—औरिहार जंक्शन के पास सहकारिता के आधार पर चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव जिला नियोजन अधिकारी गाजीपुर ने सरकार को भेजा था। लेकिन वहां के निवासियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त न होने तथा उनके पर्याप्त मात्रा में चन्दा न दे सकने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

जहां तक हड्डी से खाद बनाने की योजना का प्रश्न है कृषि विभाग में पूर्वी जिलों में खास तौर से आजमगढ़ में एक बोन डाइजेस्टर फैक्ट्री (Bone Digester Factory) की स्थापना की योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि यह योजना सफल हुई तो गाजीपुर में भी एक फैक्ट्री खोली जायेगी।

श्री कमला सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में किस तारीख तक कितना धन एकत्रित करने के लिये सरकारी आदेश भेजे गये थे?

श्री बनारसीदास—वैसे फैक्टरी के लिये अन्दाजन ८० लाख रुपये की जरूरत थी, ४० लाख सहकारी समिति द्वारा इकट्ठा होने का खयाल था और गाजीपुर से ३ लाख रुपये मिलने का अन्दाजा था लेकिन बलिया, आजमगढ़ आदि की तरफ से स्थान के बारे में मतभेद था इसलिये अधिक सहयोग नहीं मिला।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़, बलिया, बनारस और जौनपुर से कितना रुपया देने का आश्वासन दिया गया था?

श्री बनारसीदास—इन जिलों की तरफ से कितना सहयोग दिया जायगा और कितना चन्दा हो जायगा, इस प्रकार की कोई सूचना प्लानिंग आफिसर को नहीं थी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या हड्डी से खाद बनाने की योजना आजमगढ़ में लागू करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो वह कब तक लागू की जायगी?

श्री बनारसीदास—यह जैसा कि कहा गया है विचाराधीन है, पहले से ही वहां एक बोन डाइजेस्टर काम कर रहा है और वहां अध्ययन के लिये प्लानिंग आफिसर को भेजा गया था और उस की रिपोर्ट विचाराधीन है और वहां शीघ्र फैक्टरी खोलने का इंतजाम किया जायगा।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के औड़िहार, दुल्लहपुर, करीमुद्दीनपुर, ढोढ़ाडीह, ताजपुर, युसूफपुर, दिलदारनगर तथा जमानिया स्टेशनों से हजारों मन हड्डियां बाहर भेजी जाती हैं?

श्री बनारसीदास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि वहां पर हड्डियां काफी होती हैं तभी इस बात को समझा गया कि अगर आजमगढ़ जिले में हमारा यह प्रयास सफल हो जाय तो वहां भी यह प्रयत्न किया जाय।

*१६—श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—[७ अक्तूबर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पद की समाप्ति

*१७—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी का स्थान समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से?

श्री धर्म सिंह—जी हां। सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी का स्थान ५ मई, सन् १९५५ से समाप्त कर दिया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग में डेपुटेशन पर आये हुये कर्मचारी

*१८—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कितने कर्मचारी on deputation कार्य कर रहे हैं और कब से?

श्री धर्मसिंह—राज्य सम्पत्ति विभाग में ३ व्यक्ति डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं। उनके नाम तथा तारीख जिससे वे डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार है:

१—श्री उमाकान्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी १-११-१९५० से।

२—श्री जगन्नाथ, हैंडमाली, ४-३-५२ से।

३—श्री मुन्नी लाल, ड्राइवर, १-५-५४ से।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो वर्तमान् राज्य सम्पत्ति अधिकारी हैं वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक टेक्निकल हड हैं जिनके बारे में सम्बन्धित विभाग ने सरकार को वापसी के लिये लिखा है?

श्री धर्मसिंह—जी हां। वह इंजीनियर हैं और टेक्निकल आदमी होने के कारण रखे गये थे।

श्री रामेश्वर लाल—एक व्यक्ति डेपुटेशन पर कितने दिनों तक रह सकता है?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नियम बने हुये हैं। उन्हीं के अनुसार यह हुआ है।

मैनपुरी जिले में डकैती की घटनायें व बन्दूक वितरण का सुझाव

*१९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ ई० में मैनपुरी जिले में कितनी डकैतियां पड़ी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—३०।

*२०—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ ई० में जिन गांवों में डकैतियां पड़ी हैं उनमें कुल कितने गांव में बन्दूकें थीं?

श्री मुजफ्फर हसन—३ में।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार डकैतियों की रोकथाम के लिये बन्दूकों के लाइसेंस अधिक देने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा पहले सदन में निवेदन किया जा चुका है कि जो गांव रक्षा समितियां बन गई हैं उनमें इस बात की कोशिश हो रही है कि थोड़े दिनों के अन्दर प्रत्येक रक्षा समिति के एक या दो सदस्यों के पास बन्दूकें जरूर हो जांय।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गावों में यह डकैतियां पड़ी हैं उनमें टोपीदार बन्दूक थी या कारतूसी ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तफसील मौजूद नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--इन डकैतियों के सम्बन्ध में कुछ हत्यायें भी हुईं, अगर हुईं, तो कितनी ?

श्री मुजफ्फर हसन--हत्या की फिगर्स नहीं हैं लेकिन २६ केसेज में चालान हुये हैं ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं क्या उनमें वह केसेज भी सम्मिलित हैं जिनके बारे में थाने में किन्हीं कारणों से प्रथम रिपोर्ट नहीं हो सकी और उसकी इत्तिला सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र या इस्तगासे के रूप में दी जा सकी ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह सब तफसील तो नहीं है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में बन्दूकें थीं जब वहां डकैती पड़ीं तब क्या वह काम में लायी गयीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री व्रजबिहारी मिश्र--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हर एक गांव में रक्षा समिति बनाने का निश्चय सरकार ने कर लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा तो ऐसा ख्याल है कि करीब-करीब हर गांव में बन भी गई हैं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वे कौन-कौन से थाने हैं जिनमें डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तो बड़े व्योरे का सवाल है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिन गांवों में रक्षा समितियां बनी गई हैं उनको बन्दूकों के लाइसेन्सेज दे दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता । वह तो सूचना माननीय मंत्री जी ने अलग से दी थी ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में रक्षा समितियां नहीं बनी हैं वहां के जिला सुपरिन्टेंडेंट को आदेश देगी कि शीघ्रातिशीघ्र वह इसे कर दे ?

श्री मुजफ्फर हसन--अगर ऐसी कोई जगह है तो जरूर आदेश दिया जायगा ।

विधायक निवास में स्थानाभाव तथा विधायकों के लिये अन्य ठहरने का प्रबन्ध

*२१--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो विधान सभा के सदस्य विधायक निवास में स्थान नहीं पाये हैं उनके लिये कोई मकान लेकर या बनवा कर उन्हें ठहराने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--विधान सभा के जिन सदस्यों को विधायक निवास में स्थान नहीं मिल पाया है उनके लिये सरकार ने होटल में किराये पर कमरे लेकर ठहरने का बन्दोबस्त कर दिया है। सदस्यों के रहने के लिये सरकार २० नये २ कमरे के क्वार्टर भी बनवा रही है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बलिंग्टन होटल में ठहरने वाले विधान सभा के सदस्यों को वही सुविधायें हैं जो सरकार द्वारा बनाये हुये कौंसिलर्स रेजिडेंस में हैं ?

श्री धर्मसिंह--कोशिश तो इसी बात की की गई थी कि उन होटलों को तलाश किया जाय जिनमें हर प्रकार की सुविधायें हों और वहां थोड़ी बहुत हैं भी।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नये २० क्वार्टर्स बन रहे हैं वे कहां और कब तक बनकर तैयार हो जायंगे ?

श्री धर्म सिंह--ये रायल होटल के पीछे बन रहे हैं और जल्दी ही बन कर तैयार हो जायंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--यह जो सदस्यों के ठहरने का इन्तजाम किया जा रहा है यह किस होटल में किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--बलिंग्टन होटल में किया गया और अब भी है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे सदस्य जो विधान सभा की कार्यवाही के समाप्त होने पर यहां ठहरना चाहते हैं वे बलिंग्टन होटल में ठहर सकते हैं ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, ठहर सकते हैं और अब भी ठहर रहे हैं।

जगत बेला विस्फोट कांड की जांच का परिणाम

*२२--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जगत बेला रेलवे स्टेशन, जिला गोरखपुर पर गाड़ी में जो बम फटा था उसकी जांच में क्या हुआ और क्या सरकार उस जांच की रिपोर्ट की एक प्रति मेज पर रखेगी ?

श्री मुजफ्फर हुसैन--उसकी जांच भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। रिपोर्ट की एक प्रति सदन के सामने रखना प्रादेशिक सरकार के लिये संभव नहीं है।

*२३--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कितने लोगों को और कितना रुपया मुआविजा दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हुसैन--सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसका संबंध रेलवे बोर्ड से है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार उन कारणों को बतलाने की कृपा करेगी जो सरकार को इस रिपोर्ट की एक कापी मेज पर रखने से बाध्य कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हुसैन--यह सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती है, इस सरकार से ताल्लुक नहीं रखती है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस रिपोर्ट की कापियां प्रेस को दी जा चुकी हैं और वे प्रेस में छप चुकी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यहां कोई इसकी इत्तिला नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस दुर्घटना से कुछ कांस्टेबिल भी मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जहां तक याद पड़ता है तीन चार कांस्टेबिलों की जानें गयी थीं।

श्री रामनरेश शुक्ल—इस प्रदेश की सरकार ने उन कांस्टेबिलों के परिवार के लिये क्या किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी याद नहीं रही। साल भर के ऊपर की यह बात हो गई। मैं इस समय बतला नहीं सकता।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि इस रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो कुछ लिखा गया है उस के मुताबिक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको तो मालूम नहीं कि किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ बात लिखी गयी हो।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के रिपोर्टकर्ताओं ने प्रांतीय सरकार के अधिकारियों को कुछ बधाई दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इस वक्त यह भी नहीं मालूम।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस सदन में प्रान्तीय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह स्वयं अपनी ओर से भी इस सम्बन्ध में जांच करायेगी ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझ को स्मरण नहीं है कि जब केन्द्रीय सरकार कोई जांच कर रही हो तो हमने कोई अलग जांच करने का आश्वासन दिया हो। मुझे इसका ख्याल नहीं आ रहा है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन पुलिस कांस्टेबिलों की मृत्यु हुई वह प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित विभाग के थे ? यदि हां, तो संबंधित विभाग ने भी कोई सहायता की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जाहिर बात है कि जब पुलिस के आदमी थे तो प्रान्तीय सरकार के मातहत थे। लेकिन जहां तक सहायता की बात है साल भर की बात हो गयी, मैं ठीक बतला नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार से पूछताछ कर इस जगतबेला कांड की रिपोर्ट को प्रकाशित कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रकाशित कराने की बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अखबारों में उन्होंने कुछ देखा है। लेकिन जानकारी हासिल करने की जरूर कोशिश करेंगे।

माताटीला पावर हाउस व ट्रांसमिशन लाइन योजना

*२४—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध बिजली योजना पर सरकार कितनी धनराशि व्यय करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—माताटीला पावर हाउस और ट्रान्समिशन लाइन पर कुल ३.७७ करोड़ रुपया खर्च होने का अन्दाजा है।

श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह योजना कौन से सन् में पूरी हो जायगी ?

श्री धर्म सिंह—१९६०-६१ तक ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध से कितनी बिजली निकलेगी और कहां-कहां दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—पंद्रह हजार किलोवाट के करीब निकलेगी और तीन जिलों में बिजली दी जायगी झांसी, जालौन, हमीरपुर ।

*२५-२६—श्री श्रीपति सहाय—[६ अक्तूबर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया शहर में बिजली के स्थायी कनेक्शन

*२७—श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बलिया शहर में बिजली के स्थायी connection वह कब से देने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसह—बलिया नगर में प्रकाश तथा पंखे के लिये स्थायी कनेक्शन तो पहले से ही दिये जा रहे हैं। उद्योग धंधों के लिये स्थायी कनेक्शन वहां मऊ steam station के बन जाने पर दिये जा सकेंगे।

श्री शिवमंगल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बलिया शहर में पंखा और प्रकाश के लिये स्थायी कनेक्शन का आदेश किस महीने में दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है कि कब आदेश दिया गया।

श्री शिवमंगल सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अगस्त, १९५५ के महीने तक वहां कोई स्थायी कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—कहा नहीं जा सकता है। अगर लोगों ने एप्लाई किया होगा तो अवश्य दिये होंगे।

श्री शिवमंगलसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि मऊ स्टीम स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—१९५६ के अन्त तक या १९५७ की शुरुआत तक बन कर तैयार हो जायगा ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार जांच करके इस सदन को सूचित करेगी कि कब बलिया को यह बिजली दी गयी ?

श्री धर्मसिंह—इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रदेश में हाथियों द्वारा खेती करने का परीक्षण

*२८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में हाथियों द्वारा खेती कराने का कोई परीक्षण अभी हाल में किया गया है ? यदि हां, तो सरकार किस निश्चय पर पहुंची है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां। परीक्षण किया गया है और परीक्षा का फल संलग्न तालिका में दिया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाथी की जुताई प्रति एकड़ के हिसाब से सबसे सस्ती बैठती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१६ पर)

*२९--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त परीक्षण के लिये किसी नये विभाग में नये कर्मचारी भी नियुक्त किये जा रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह परीक्षण किस जगह पर किया गया और यह किस विभाग द्वारा कराया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--पहले तो लालकुआं के पास स्वयं फारेस्ट डिपार्टमेंट ने किया। फिर अपना हाथी देकर एग्रीकल्चर विभाग से नीलगांव फार्म में कराया।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा उत्तर में बतलाया गया है कि अनुमानित आंकड़े पेश किये गये हैं, सरकार वास्तविक आंकड़े कब तक बताने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो वास्तविक आंकड़े हैं, अनुमानित इस वजह से कहे गये कि अलग से खेती करके दो, चार साल तक नहीं देखा गया। ६ महीने तक जो अनुभव हुआ वही बताया गया है। वैसे यह वास्तविक आंकड़े ही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के कितने हाथी इस परीक्षण में लगे हुये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सिर्फ एक। वैसे तो यह काम दो तीन हाथियों से कराया गया था लेकिन आजकल एक ही है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो परीक्षण उन्होंने किया है उसका उपयोग बड़े रूप में वह कराने की योजना कर रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, क्योंकि इसके लिये हल और हार्नेस, खींचने का जो सामान होता है वह बनाने की बड़ी दिक्कत थी, इसलिये यह काम रुका रहा लेकिन हमारा जो वर्कशाप नीलगांव फार्म में है उसने अब हल आदि बना लिया है। लेकिन चूंकि वह एक दम से नहीं बन सकते इसलिये जो एक आध बना है उसी को लेकर हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं और हमारे डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर से भी हमें मालूम हुआ है कि वे भी अपने फार्मों में इसको शुरू करना चाहते हैं।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी इसलिये कि सब सदस्यगण जान सकें कि वह तालिका क्या है, उस तालिका को पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--अगर छोटी-मोटी है तो पढ़ दीजिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस तालिका में कम्पेरेटिव तरीके पर बैल, फोर्डसन ट्रैक्टर, फावलर ट्रैक्टर और हाथी पर प्रतिदिन कितना खर्च पड़ा, उसकी लागत क्या थी यह दिया हुआ है और उसके बाद दिया है कि वह क्षेत्र जिसकी जुताई की गयी उस पर आमतौर पर क्या लागत आयी। तो वह लागत इस तरह से है कि बैल पर ४ रुपया ४ आना, फोर्ड सन पर ६० रुपया, फावलर पर ५० रुपया और हाथी पर १६ रुपया और ऐसे ही क्षेत्र पर प्रति एकड़ के हिसाब से बैल पर ६ रुपया ११ आना, फोर्डसन पर १२ रुपया फावलर, पर १२ रुपया ८ आना और हाथी पर ६ रुपया ८ आना पड़ा। तो इसलिये सबसे कम खर्च हाथी पर पड़ता है।

श्री भगवान सहाय--हाथी से खेती करने में जब इब्तदाई कामयाबी मिल चुकी है तो क्या सरकार इसको सीरियसली लेने की कृपा करेगी और उस पर तेजी के साथ नये एक्सपेरीमेंट करके, इसलिये कि कोई मशीन उपलब्ध हो जाय और यह काम बड़े पैमाने पर हो सके, इस विचार पर करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसमें पहले भी यह मुश्किलात थी कि जो फार्म जंगलों से दूर हैं तथा पूर्वी जिलों में जो धान के खेत हैं, तालाबों में जो जंगली धान होता है, वहां पर इनके चारे का क्या इंतजाम होगा। लेकिन कुछ ऐसा पता चलता है कि इन सब जगहों में भी हाथी से काम अच्छा चल सकता है और जैसे दूसरे देशों में वाइन यार्ड में बहुत सी साखें बेकार जाती हैं उन्हें काटकर खिलाने से इनका काम चल सकता है। इसलिये जहां तक कोशिश की जा रही है कि हम जंगलात में जितने फार्मों पर ट्रैक्टर से काम करते हैं उन सब पर हाथियों से काम करायें और एग्रीकल्चर विभाग भी इस बात पर तेजी से सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी जहां भी उनका सामान बन सके, यह काम शुरू करें। मेरा तो अनुमान यह भी है, जैसा कि बहुत सी जगह से इस बारे में पूछ ताछ होती रहती है, आस्ट्रेलिया और अल्जीरिया वगैरह में लोग इसको जल्दी ही अपनायेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--क्या यह सही है कि जो तालिका माननीय मंत्री जी ने तैयार की है उसमें केवल मात्र परती भूमि को तोड़ने का खर्च ही रखा गया है और उसको तैयार करने का जो और कार्य होता है फसल बोने के पहले, उसके सम्बन्ध का खर्च उसमें नहीं लगाया गया है और अगर वह खर्च लगाया जाय तो हाथी से खेती कराना बड़ा मंहगा पड़ता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैं इस विषय पर चूंकि क्वेश्चन आवर है इसलिये बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियर ने टोकियो से लिखा है कि "मैंने अर्ली थर्टीज में जबकि इकोनामिक क्राइसेस हुआ था तो इसी को मेडीट्रेनियन कंट्रीज के लिये एक सेल्योशन समझा था और खास तौर से इंडिया में यह रास्ता सस्ता पड़ सकता है और सिवाय इसके और कोई उनके पास आल्टरनेटिव नहीं है।

रिहन्ड डैम पर सरकारी कागजों में आग लगने के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*३०--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि रिहन्ड डैम पर कुछ सरकारी कागजों को आग लग गयी जिनको बचाने में एक ओवरसियर का हाथ जल गया ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

*३१- श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कागज जल गये वे कागज किस सम्बन्ध में थे ?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न ही नहीं उठता।

*३२--श्री श्रीचन्द्र--जो कागजात जल गये हैं उनको तैयार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी, जांच तो करायी है उसी के आधार पर उत्तर दिया गया है।

लखनऊ सचिवालय में अस्थायी चपरासी

*३३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि लखनऊ के सचिवालय में कितने ऐसे चपरासी हैं जिनको ६ वर्ष से ज्यादा हो गया परन्तु उनकी नौकरी स्थायी नहीं हो सकी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१६३।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि १६३ जो स्थायी नहीं किये गये इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ महकमें अस्थायी होते हैं उनमें जितने आदमी होते हैं, चाहे क्लर्क हों, चपरासी हों, सभी अस्थायी होते हैं। कुछ अफसर भी अस्थायी नियुक्त होते हैं थोड़े दिनों के लिये। जब पद अथवा मुहकमा स्थायी हो तभी वहां काम करने वालों के स्थायी होने का प्रश्न उठता है।

झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस के विरुद्ध शिकायतें

*३४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस के एक इंजिन के खराब हो जाने के कारण आटे की चक्कियों को गत १९ जून, ५४ से १९ घंटे के बजाय केवल ३ घंटे ही करेंट दिये जाने के बावजूद भी कम्पनी १९ घंटे का ही बदस्तूर चार्ज ले रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, लेकिन चार्ज तो हार्स पावर लोड पर व जितने यूनिट बिजली खर्च होती है उस पर लगता है और काम करने के घंटों के घटने बढ़ने से उसमें कोई फर्क नहीं आता। फिर भी हार्स पावर चार्ज में २५ प्रतिशत कमी कर दी गयी थी।

*३५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि कम्पनी H. P. Charges व rebate पर भी गवर्नमेंट ड्यूटी लेती है तथा दस Horse Power पर गवर्नमेंट ड्यूटी २२ रु० ८ आ० की बजाय ३० रु० लेती है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट, १९५२ की धारा २ (एच), (१) और (३) के अनुसार एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हार्स पावर चार्ज तथा कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले रिबेट को शामिल करके कुल चार्ज पर लगायी जाती है। जो मिसाल दी गयी है उसमें ड्यूटी ३० रुपये पर ही लगती है।

*३६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि कम्पनी पूरा करेंट न देने पर भी Minimum Charges बदस्तूर ले रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, जैसा कि अभी प्रश्न संख्या ९ के उत्तर में बताया जा चुका है मिनिमम चार्ज भी काम करने के घंटों के बढ़ने घटने के साथ-साथ नहीं बदलता। जितने घंटों के लिये बिजली के इस्तेमाल की इजाजत थी उतने समय में ही मिनिमम चार्ज के बराबर रकम की बिजली खर्च की जा सकती है। चूंकि बिजली की सप्लाई २९ जून से बदस्तूर शुरू हो गयी है इसका सवाल अब नहीं उठता।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९ घंटे के बजाय ३ घंटे पावर देने पर चार्ज में लगभग ८० प्रतिशत कमी करने के बजाय २५ फीसदी कमी क्यों की गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जरूरत तो २५ फीसदी भी कम करने की नहीं थी इसलिये कि बिजली की कीमत जो बिजली जलाने वाला देता है वह सिर्फ उतने की देता है जितना कि ऐक्चुएल खर्च बिजली का उसके घर में होता है उसका जो टोटल हो महीने भर का। वाकई में जो मौजूदा हालत थी उसके हिसाब से २५ फीसदी कम कर दिया गया। वर्ना इंसाफन कोई जरूरत नहीं थी उसकी।

वैद्युतीकृत विभिन्न शहरों में बिजली की दरों को समान करने का सुझाव

*३७---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अपने प्रान्त के किन-किन शहरों में बिजली की रोशनी है और कहां-कहां प्राइवेट कम्पनियां तथा कहां-कहां सरकार बिजली सप्लाई करती है और उनके रेट क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह---जिन नगरों में बिजली की रोशनी है उनकी एक लिस्ट नत्थी है और बिजली सप्लाई के खास रेट भी उनके सामने दिये हुये हैं चूंकि Detailed rates को इस लिस्ट में देना सम्भव नहीं है माननीय सदस्य यदि चाहें तो उसे मेरी मेज पर देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१७-३२२ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री को पता है कि झांसी बिजली कम्पनी वहां के म्युनिसिपल बोर्ड से सात आना सवा पाई फी यूनिट के बजाय सवा ११ आने चार्ज करना चाहती है। और अगर हां, तो इसकी क्या वजह है ?

श्री धर्मसिंह---जी ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो वहां से आया है वह तो केवल ८ आना प्रति यूनिट है लाइट और फैन के ऊपर।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी प्रदेश के उन शहरों की संख्या पढ़ने की कृपा करेंगे जिनको बिजली दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---१५० के करीब हैं इस समय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वह कौन-कौन जिले हैं जिनके सदर मुकाम पर भी बिजली नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---यह भी मैं समझता हूं कि फेहरिस्त से निकाला जा सकता है। माननीय सदस्य ले लें उसको उनसे।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---जब कि बिजली सम्बन्धी सामान और तेल की कीमतें कम हो चुकी हैं तो बिजली के रेट कम कराने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जितने सामान बिजली के खर्च में आते हैं उनमें से अभी किसी की कीमत में ऐसी कमी नहीं हुयी जिसकी बिना पर रेट की तरफ भी तवज्जह की जाय।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सबसे अधिक मंहगी बिजली किस शहर में है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो सिर्फ अपनी याद से इस वक्त बतला रहा हूं। मेरे खयाल में तो शायद सीतापुर में सबसे ज्यादा है, ग्यारह आना फी यूनिट।

श्री शिवमंगल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन जिलों में सरकार द्वारा बिजली दी जाती है वहां पर पर यूनिट हर जगह एक ही रेट है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गलत खयाल है । यह बात नहीं है बल्कि सरकार की बनायी हुयी बिजली जिन जिलों में है वहां भी बहुत पहले से लाइसेंसीज़ हैं और लाइसेंसियों के यहां पर कीमत मुख्तलिफ है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या सरकार प्रदेश में जो रेट्स हैं भिन्न-भिन्न उनमें समानता लाने के प्रश्न पर कोई विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---रेट्स में तो फर्क हमेशा रहेगा तावक्ते कि तमाम यू०पी० सिर्फ एक पावर स्टेशन हो जाय और उससे बिजली बने । वरना मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ खर्चा पड़ता है बिजली के बनाने का और उसी हिसाब से सब रेट मुकर्रर होते हैं । तो वह फर्क तो मिटना मुश्किल है ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या सरकार कोई इस तरह की कमेटी बिठालने का विचार कर रही है कि जिससे पूरी समानता अगर नहीं हो तो कुछ समानता आ सके रेट्स के अन्दर ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस काम को सरकार रेट कमेटी बिठा कर के करती है और कर भी रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की जिन नगरपालिकाओं में अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकी है, उनमें कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अगले पांच साल में बहुत सी जगहों में लग जायगी ही और उसके बाद अगले पांच साल में बहुत सी जगह लगेगी ।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर में सब से ज्यादा बिजली का रेट क्यों है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वहां का पावर स्टेशन बहुत खराब था, पुराना । तो वहां पर जो हिसाब पड़ता था उस की वजह से वह कीमत थी, मगर अब तो हमने वहां अपनी बिजली दे दी है, सरकारी जो थी । और अब उस की कीमत भी सब बदल रही है । उस के हिसाब से वह मामला ही नहीं रहा ।

अतारांकित प्रश्न

मार्टिन कम्पनी द्वारा फ्यूज बनाने के चार्ज में वृद्धि

१---श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्टिन कम्पनी बिजली के फ्यूज बनाने के लिये हर बार उपभोक्ताओं से डेढ़ रुपया चार्ज करती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, लेकिन यह चार्ज उसी समय लिया जाता है जब उपभोक्ताओं के फ्यूज की शक्ति अधिक होने के कारण कम्पनी के फ्यूज गल जाते हैं । इसके अलावा यह चार्ज उस समय भी लिया जाता है जब उपभोक्ताओं के फ्यूज बदले जाते हैं लेकिन जब कम्पनी और उपभोक्ता दोनों के ही फ्यूज बदले जाते हैं तो एक ही चार्ज, यानी डेढ़ रुपया, लिया जाता है । यह चार्ज १ जुलाई, सन् १९५० से लिया जा रहा है ।

२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि कुछ समय पहले मार्टिन कम्पनी फ्यूज बनाने का चार्ज इस तरह से नहीं लेती थी ? यदि हां, तो कम्पनी ने यह नया चार्ज क्यों लगाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह चार्ज नया नहीं है क्योंकि जुलाई, सन् १९५० के पहले भी जब एक महीने में दो से अधिक बार कम्पनी या उपभोक्ता के फ्यूज बदले जाते थे तब बारह आने चार्ज किये जाते थे। फ्यूज बनाने वाले तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन तथा ट्रान्सपोर्ट आदि में पहले से खर्च बढ़ जाने के कारण यह चार्ज बढ़ा दिया गया है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्षेत्र में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है--

यह सदन इलाहाबाद में सरकारी पुलिस द्वारा कल ता० २१-९-५५ को यूनिवर्सिटी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों को सोते हुये गिरफ्तार करने, उनके कमरों के ताले तोड़ने, तथा दुर्व्यवहार से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।

इसकी जानकारी के विषय में भी कि कहां से यह प्राप्त हुई, कल की बात की जानकारी उनको कहां से मिली, इसके सम्बन्ध में कोई कागजात मेरे पास नहीं भेजे गये, इसलिये अनिश्चित तो मालूम ही होता है। साथ ही आज आम बहस पूरक अनुदानों के ऊपर है, तो ऐसा प्रश्न आम बहस में उठाया जा सकता है। तो मैं इसको जरूरी भी नहीं समझता हूं, अर्जेंसी उस की नहीं है। इसलिये इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

सामग्री क्रय शाखा से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का नवम् प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सभापति होने के नाते मैं समिति का नवां प्रतिवेदन* जो सामग्री क्रय शाखा यानी स्टोर पर्चेज सेक्शन, संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

१९५५-५६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि आज समय नियत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--तो आप इसके लिये सुझाव दें।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि आधा घंटा नेता विरोधी दल और २० मिनट संयुक्त दल के नेता को और बाक़ी सब को १० मिनट का समय नियत कर दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह हमेशा से एक प्रथा सी रही है कि नेता विरोधी दल का समय नियत नहीं किया जाता है। वह ऐसे ही आधा घंटा बोल लें लेकिन यह उचित नहीं कि कोई समय निर्धारित किया जाय।

---

* छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--तो यही रहा कि नेता विरोधी दल के लिये समय निर्धारित नहीं रहेगा पहले से। २० मिनट संयुक्त दल के नेता के लिये, जैसा कहा, रखा जाय और बाकी के लिये.....

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या नेता विरोधी दल के लिये समय नियत नहीं रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--लेकिन आशा की जाती है कि नेता विरोधी दल समय को महसूस करके भाषण देंगे और लोगों के अधिकारों के ऊपर आक्रमण न हो सके, इसका विचार वह स्वयं रखेगें। बाकी लोगों के लिये १० मिनट समय रहेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमन, इस सदन में आज तीन वर्ष से हम लोग देखते हैं कि आप कहते हैं कि नेता विरोधी दल आध घंटे का लिहाज रखेंगे लेकिन हमेशा डेढ़ घंटे से कम समय वह नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष--आप जो परिवर्तन हो जाता है उस को महसूस नहीं करते हैं, मालूम होता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं इस सदन का जिसने मेरी परेशानी की बहुत क़द्र की और उसने कम से कम मुझे ३० मिनट से ज्यादा खड़े होने की तकलीफ देने का इरादा नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष--और सदन ने एक आप पर जिम्मेदारी रख दी है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा जरूर सोचता था कि शायद ३० मिनट से ज्यादा २-४ मिनट और मुझे कहने के लिये मजबूर होना पड़े क्योंकि यह जो आज पूरक अनुदान हमारे सामने है वह एक ऐसे समय में है जब कि मैं समझता हूं कि हमको एक विशेष बात सरकार से कहनी है और सम्भव है कि अपनी बातें कुछ देर में कह पाऊं। तो माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन मैं करूंगा कि यदि उसके लिये एक दूसरा समय मुक़र्रर कर दें जैसा कि पिछले साल बाढ़ आयी थी और उसके बाद एक या दो दिन का समय मुक़र्रर किया गया था, तो अगर इस साल भी उसके लिये दूसरा वक्त मुकर्रर कर दिया जाय जो बाढ़ की समस्या है या जो अब की बार अत्यन्त प्रलयकारी वर्षा हुई है उस पर विचार करने के लिये तो मैं समझता हूं कि ३० मिनट क्या उसमें २-४ मिनट और कम कर के मैं अपनी बात समाप्त कर सकता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं समझता हूं कि यदि माननीय नेता विरोधी-दल की ऐसी इच्छा है तो हम कोई न कोई दिन उसके लिये निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि बाढ़ के प्रश्न पर विचार हो जाय। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सब लोगों को गम्भीरता से विचार करना है और उसके लिये अलग समय निकालना अच्छी ही बात है।

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का जो उन्होंने अन्य दिन का समय इस विशेष समस्या के लिये निकाला।

यह पूरक अनुदान ५ करोड़ से कुछ अधिक रुपये का है जिसमें से २ करोड़ से कुछ ज्यादा रुपये बाढ़ से बचाने और सिंचाई के ऊपर खर्च करने के लिये हैं। जितना रुपया इसके लिये रखा गया है उसमें तो कोई आपत्ति हमें है नहीं। मैं यह कह सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि इतना रुपया बहुत ही कम है। जिस प्रकार की समस्या हमारे सामने है चाहे वह किसानों को पानी पहुंचाने की हो और चाहे पानी से बचाने की समस्या खेती करने वाले और बगैर खेती करने वाले दोनों के लिये हो, ये दोनों काम ऐसे हैं कि जो कम से कम हमारे प्रान्त में एक विशेष स्थान रखते हैं और खासतौर से जिस जमाने में एक करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारी इस संकट में फंसी हुई है। इसके लिये कोई इस वक्त सुझाव देने में हम तो किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं कि जिस संकट में एक, डेढ़ करोड़ की जनसंख्या फंसी हुई है उस में हम कुछ हाथ बटा सकें, सरकार को हाथ बटाने को क्या कह सकें। जैसे छोटा आदमी बहुत बड़ी सम्पत्ति को देख कर घबरा जाता है कि उस को कैसे खर्च किया जाय उसी तरह से हम घबराये हुये हैं। छोटा आदमी हूं, अपनी वित्तीय अवस्था को देख कर इतना घबराया हुआ हूं कि किस तरह से एक डेढ़ करोड आदमियों की मुसीबत को दूर किया जाय। श्रीमन्, मैंने आप से बहुत ही स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया कि मैं किं कर्त्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। तो ऐसी हालत में इस दो करोड़ रुपये की कोई अहमियत नहीं है। जहां सवा करोड आदमी मुसीबत में हैं और अगले बैसाख तक, जब तक कि रबी की फसल पैदा न हो जाय तब तक उनके लिये आज कुछ ठिकाना नहीं मालूम हो रहा है। जो फसल बची हुई थी पिछली बाढ़ से और जो खेत में लगा हुआ था या खलिहान में था, वह फसल तीन दिन के भीतर, ५० घंटे में जहां २० इंच पानी बरसा हो तो कल्पना की जा सकती है और हम देहात के आदमी हैं और इस तरह से हिसाब जोड़ते हैं तो इतना ऊंचा हो गया। समूचे बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया आदि जिलों में इतने इंच पानी बरसा। जहां जमीन होगी ऊंची, वहां से वह खिसका होगा और वह पानी जहां रुका होगा तो उसका अगर कोई हिसाब लगाये और सारे क्षेत्र को जोड़ा जाय और २० इंच पानी बरसा तो कितना वहां पानी बरसा तो मैं तो घबरा जाता हूं। मैं तो हिसाब लगा नहीं पाता हूं।

मैं सोचता हूं कि धान की फसल ऐसे खेतों में होती है जो नीची जमीन में लगी होती है। आखिर धान की फसल कितनी ऊंची हो सकती है जब कि वह पकी हुई थी तो एक दिन में उसमें से अंखुये निकल आये और वह बरबाद हो गई। जब फसल में से अंखुये निकल आते हैं तो वह बरबाद हो जाती है चाहे वह फसल धान की हो या कोदो की हो। हां, मकई की फसल बस्ती, बलिया प्रतापगढ़, जौनपुर आदि में रुपये में दो आने भर रह गयी है। मकई की फसल बहुत कमजोर होती है और वह पानी को बरदाश्त नहीं कर सकती है। इसको नेचुरल कैलेमिटी नहीं कहता हूं। बल्कि नेशनल कैलेमिटी कहता हूं। नेचुरल कैलेमिटी तो वह कहलाती है जो छोटे पैमाने पर आगई हो और मुसीबत से लोगों को छुड़ा लें। लेकिन दिक्कत यह है कि एक ही वर्ष में अभी तक हम संभल भी नहीं पाये थे, सहायता के लिये रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और सरकार की शिकायत कर रहे थे कि सरकार ठीक से सहायता नहीं पहुंचा पायी, उसने ठीक से अनुमान नहीं किया, तब तक दूसरी मुसीबत आ गई।

अब हम पिछली बात कहां तक कहें, हमें अगली बात सोचने में परेशानी है। इसलिये इस दो करोड़ रुपये पर मैं कोई आलोचना करना नहीं चाहता हूं। मैं यह तो नहीं कहता कि वित्तीय कठिनाइयां और त्रुटियां इसमें नहीं होंगी और मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की है, इसलिये इसको मैं छोड़ देता हूं और यह ऐसी बातें हैं कि हम थोड़ा सा निश्चित हों तो उनको देखें कि कितना रुपया खर्च होना चाहिये था और कितना हो गया, कहां खर्च हो गया और कहां नहीं हुआ, तो यह सोच सकते थे। लेकिन इसको सोचने के लिये मेरी मजबूरी है और तबीयत ही नहीं चाहती है कि इस तरफ सोचूं। यह जरूरी है कि सरकार इस बात को नेशनल कैलेमिटी मान कर सोचे कि इन लोगों की मुसीबत कैसे दूर की जायगी।

[श्री गेंदा सिंह]

और जब हमारी मुसीबतों का ठीक-ठीक इजहार वहां होगा और एक बार तो हमको जानना ही चाहिये कि केन्द्रीय सरकार जो है हमारी सरकार की ठीक ठीक बातों को सुनती है या अनसुनी करती है । अगर हमको यह मालूम हो जाय कि वह अनसुनी करती है और करना नहीं चाहती है तो फिर केन्द्रीय सरकार के साथ संघर्ष करने की बात आये। हम इस बात में स्पष्ट होना चाहते हैं। इसलिये सरकार स्पष्ट इस बात को बतलावे कि वास्तविकता क्या है। मैं तो यह समझता हूं कि यह काम ऐसा है कि इसमें संघर्ष की बात नहीं हो सकती है। सब लोग मिल जुल कर इस काम को करें क्योंकि यह सब लोगों के मदद करने की बात है । तो मैं सोचता हूं कि केवल यह दो करोड़ रुपये की रकम जो रखी गयी है उसमें काफी रकम ऐसी रखी गयी है जिसमें शारदा नहर का खर्चा और कुछ और खर्चे सभी शामिल हैं जो इसमें से किये जायंगे। इसमें खास रकम ऐसी है जो बाढ़ से बचाने के लिये खर्च की जायगी। अखबारों में कुछ इसका चर्चा हुआ कि बाढ से बचाने के लिये हमारी इस सरकार को केन्द्रीय सरकार २७ करोड़ रुपया देने वाली है। इसको सुन कर मैं बहुत हैरत में पड़ गया और जब मैं दूसरे सूबे के दूसरे कामों को देखता हूं और उनकी चर्चा सुनता हूं तो मुझे घबराहट होती है। इतने बड़े पैमाने पर मुसीबत आवे तो फिर सरकार क्यों इतनी कोताही और किफायतशारी और मितव्ययिता की बात सोचे और आवश्यकता से कम खर्च करे ? तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में सतर्क हो कर नेशनल कलैमिटी के तौर पर इसको सोचे । मैं इसको नेशनल कलैमिटी इसलिये कहता हूं कि यह हमारे बस की बात नहीं है। गोरखपुर, बलिया, बनारस, और बस्ती के बस की यह यह बात नहीं है कि इस कलैमिटी को दूर कर सके। फाकाकशी लोग कर रहे हैं। कभी-कभी कानों में. यह आवाज भी आती है कि भूख से लोगों की मृत्यु हुई है। इसको सुन कर बहुत घबराहट होती है और शर्म भी आती है। कौन चाहता है कि भूख से मृत्यु हो लेकिन मजबूरी है। फसल बरबाद हो गयी है घरमें कुछ है नहीं और मजदूरी वहां मिलती नहीं तो फिर अगर २, ४ रोज फाकाकशी करनी पड़े तो फिर मरने के सिवाय और क्या होगा ? मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटना अपने प्रान्त के अन्दर हो और हरएक आदमी के लिये इस प्रकार की घटना यदि अपने प्रान्त में होती है तो वह लज्जा की बात होगी। किसी के लिये यह बहुत फख्र की बात नहीं हो सकती है। उससे बचने के लिये कुछ तरीके हैं और आज मैं सरकार से उनको निवेदन करना चाहता हूं । आगे भी हमारा पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही काम होगा और कुछ काम हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना का बाकी है। इन दोनों कामों को कुछ कंसन्ट्रेट किया जाय और उन जिलों में जहां पर काम की अधिक आवश्यकता है वहां पर किया जाय। कुछ जिलों के लिये जो काम है और मुल्तवी किये जा सकते हैं वहां पर मुल्तवी कर दिये जायं। अगर कोई काम ऐसे हैं जो मुल्तवी करने के लायक हैं तो वे मुल्तवी किये जायं। वह काम जो जरूरी काम हैं जो उन क्षेत्रों में होने वाले काम हैं उन कामों को किया जाय। जैसा मकान बनाने का काम है। सड़क बनाने का काम है। कुछ और काम सोचे जा सकते हैं। मिट्टी का काम ज्यादा हो सकता है। गांवों को उंचा करने का काम है। इन ६, ७ महीनों में ऐसे कार्य हम चाहते हैं कि जिनसे वहां के लोगों को रोजी दिलाने के काम हो सके। जिन जगहों का काम रोका जाय उनका मैटीरियल यहां पर लगाया जाय और वह रुपया भी वहां पर खर्च किया जाय। तो मैं सोचता हूं कि कुछ हद तक यह मुसीबत दूर हो सकती है।

मकानों के सम्बन्ध में जरूर कहना चाहता हूं कि मकान बड़े पैमाने पर बनने की जरूरत है। बाढ आती है तो इस आपदा के लिये यह सरकार और हम सब मिल कर साहस के साथ मुकाबला करने की बात करें तो निश्चय ही उसका इलाज हो सकता है। इस वर्ष बाढ़ आयी जहां पर गांव बरबाद हो गये और उसी जगह पर गांव आबाद हो गया दूसरी ऊंची जगह पर वैज्ञानिकों की राय ले कर बसाने की कोशिश की जाय तो शायद उन लोगों को खाने को कुछ मिल सके। एक मुसीबत हमारे सामने आयी और उसके

सम्बन्ध में हमने स्थानीय कुछ काम किया। कुछ काम विकास का भी हमने किया तो मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है जिससे उन लोगों का जीवन बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कुछ खास अनुदान की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और खासतौर पर मैं इसलिये धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने इस बजट के सब से पहले अनुदान में महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में जयन्ती मनाने के लिये कुछ धन की मांग की है बड़ा हर्ष है इसके लिये और मैं समझता हूं कि महात्मा बुद्ध के नाम पर ऐसा काम करने से हमारी आशा बंधती है। महात्मा बुद्ध के जीवन का अनुसरण करने की गर्ज से जिस तरह से उन्होंने अपने राजसी ठट-बाट को तजा और वैराग्य लिया, उनकी २५०० वीं जयन्ती को हम मना रहे हैं, उनके उपदेशों को मानते हुये यदि उनके आदर्श की ओर हमारा ध्यान गया तो भारतवर्ष का उद्धार होगा और निर्धन वर्ग या बेरोजगार जो हमारा वर्ग है उस की तरफ हमारा ध्यान गया, उस को रोजी मिल सके, रोटी मिल सके तो उसके लिये हम सब सरकार के आभारी होंगे इसमें जो हिरण खरीदने का बन्दोबस्त है उसमें यह नहीं बताया गया कि हिरणों का क्या किया जायगा और अगर उनको रखा जायगा तो उनके खाने खुराक का भी बन्दोबस्त करना होगा। सवाल यह है कि आखिर उन २० हिरणों का पालनपोषण किस तरह से होगा ?

अध्यक्ष महोदय, इसमें हम देखते हैं कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत इरिगेशन रिसर्च इन्स्टीट्यूट के लिये ४ लाख २५ हजार का व्यय होगा, उस के लिये मांग की गयी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार बहुत जरूरी कामों को भी भूल जाती है और इसको देखने से हमको ऐसा मालूम होता है कि सरकार कुछ सोई हुई थी और उसकी यकायक आंख खुली कि एक इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट खुलना चाहिये, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि किस तरह से भूतल से सस्ते दामों पर जलकूप बनाकर जल निकाला जा सकता है। इस काम के लिये यह खोला जा रहा है और चूंकि यह गवेषणा अभी नहीं हो पायी है कि किस तरह से सस्ते दामों पर जल को निकाला जा सकता है इसलिये इसकी आवश्यकता हुई। मैं समझता हूं कि यह चीज नई नहीं है इसके ऊपर पहले से ही ध्यान जाना चाहिये था। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल नलकूप के लिये ही नहीं बल्कि और भी जो सिंचाई के साधन नहर आदि हैं वह भी इसके स्कोप में आते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें देर हुई और सरकार इसके लिये दोषी है। मैं जानता हूं कि नलकूपों से पानी मंहगाई की वजह से बहुत से किसान लेना नहीं पसन्द करते। मैं एक नलकूप के पास एक बार गया और वहां करीब ही एक किसान हाथ से कुवे से पानी निकाल रहा था, इत्तफाक से मेरे साथ उस समय हमारी पार्टी के एक बड़े नेता डाक्टर लोहिया भी थे, जो अब हमारे साथ नहीं हैं। हमने उस से पूछा कि नलकूप से पानी क्यों नहीं लेते ? उस ने जवाब दिया कि इस लिये नहीं लेते क्योंकि वह पानी हमें मंहगा बहुत पड़ता है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकार को मालूम था कि वह पानी बहुत मंहगा पड़ता है तो इस तरह के इंस्टीट्यूट को बहुत पहले वजूद में लाना चाहिये था। यह इस में खामी है और मैं सरकार का ध्यान ऐसी खामी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सरकार सुस्ती न करे और इसकी गुंजायश सप्लीमेंटरी बजट में न होनी चाहिये थी बल्कि इस वर्ष का जब शुरु में बजट आया था उसी समय यह चीज आनी चाहिये थी। यह कोई अनफोरसीन चीज नहीं है। अगर सरकार ने इसमें देर की तो सरकार ने किसानों की आमदनी का कुछ हिस्सा दूसरों को दिलवा दिया। इसमें यह भी लिखा है कि इसके होने से रेहन्ड डैम के काम में जो देर हो रही है वह भी न होगी। रेहन्ड डैम के सम्बन्ध में केवल मुझे ही नहीं कई माननीय सदस्यों को शिकायत है कि उसमें अनावश्यक देर हो रही है और उसके पूरा न होने के कारण बड़ा भारी काम रुका हुआ है

[श्री गेंदा सिंह]

और अगर वह हो जाता है तो बिहार और यहां के किसानों को बड़ा लाभ होता और वहां के लोगों की मुसीबत दूर होने से माननीय मंत्री जी को भी राहत मिलती।

अगर बिजली हम दे पाते, पानी दे पाते तो फिर इस रिहन्द डैम के लिये मैं यह चाहूंगा कि यह जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके तैयार करने में जो लोग सहायक हों रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग सहायक हों तो उनकी सहायता लेकर इसको जल्दी से जल्दी बनाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

अनुदान संख्या ११ में ९ लाख ६७ हजार रुपये की मांग इसलिये की गई है कि ओवरसियर कम पड़ रहे हैं। और जो ओवरसियर साहबान है उनकी जगह पर ९ महीने की ट्रेनिंग दे कर ऐसे लोग बनाये जायेंगे जो मकान आदि बनाने में उसको ऊंचा करने में सहायता कर सकें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ओवरसियर की तादाद काफी है, जो बेकार हैं। मैं जरूर चाहता हूं कि वे लोग बेकार न रहने पावें। वह जरूर लगाये जावें। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि यह जो स्कूल खुलने वाले हैं उन स्कूलों को इस समय केवल लखनऊ और रुड़की दो स्थानों में खोलने जा रहे हैं। ९ सौ आदमियों को ट्रेन करना है, लेकिन स्कूल खुल रहे हैं केवल दो और उनका काम यह है कि ऐसी जगहों पर, जो बांध बन रहे हैं या मकान बनाये जा रहे हैं इन कामों में सहायता देने के लिये उनको छोटे-मोटे कामों के लिये तालीम दी जायगी। मैं तो कहता हूं कि गोरखपुर, बनारस, मुरादाबाद और हाथरस में खुलने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को इंतिजार नहीं करना चाहिये और उन सारे स्कूलों को एक साथ खोल देना चाहिये जब विधान सभा में चर्चा होती है तो सरकार बराबर कहती है कि हमारे पास योग्य कार्यकर्त्ताओं की कमी है और यदि ऐसा है तो यह जल्दी से जल्दी कर दिया जाय कि चाहे जहां हों स्कूल जल्द से जल्द खोले जायं। मैं जरूर सोचता हूं कि जिन जगहों पर ऐसे लोगों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी काम करने की उन्हीं जगहों पर ऐसे स्कूलों को खोलने की जरूरत है। इस बात को सरकार ध्यान में रक्खे, लेकिन सरकार अगर किसी विशेष परिस्थिति के कारण उन स्थानों पर नहीं खोल सकती है तो जो फैसला उसने किया है उसके आधार पर उन्हीं स्थानों पर जल्द से जल्द इन स्कूलों को खोल देना चाहिये।

सामान्य प्रशासन के सिलसिले में, सूचना विभाग के लिये काफी मांग की गई है। सूचना जितनी भी मिल सके अधिक से अधिक लोगों को और जितना भी लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके सरकार की कार्यवाहियों के बारे में उतना ही अच्छा है, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि, दूसरे देशों की तुलना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि, और इस बात को कहने के लिये माफी चाहूंगा कि कुछ लोगों का ऐसा ध्यान हो गया है कि सूचना विभाग एक विशेष प्रकार की सूचना देने का काम करता है और मैं यह कहता हूं, कि आखिर सूचना विभाग जो है, वह सरकार की, मिनिस्टरों की चर्चा तो बहुत करता है, लेकिन मैं बिलकुल इस बात को संकोच छोड़ कर कहता हूं कि आखिर इस विधान सभा की चर्चा क्यों नहीं करता। यदि विधान सभा की चर्चा सूचना विभाग करे तो उससे उसकी कोई प्रतिष्ठा तो कम नहीं होगी। तो सूचना विभाग को ऐसे तरीके से बनावे कि जो देश के लोगों का ज्ञान-वर्धन करावे, लेकिन ज्ञान की वृद्धि तो तब हो सकती है जब परस्पर दो दलों के विचारों का अनेक दलों के विचारों का ज्ञान लोगों को होगा। जब एक ही प्रकार की बात रोज-रोज लोगों के कानों में डाली जायगी तो उससे लोगों की अरुचि हो जावेगी, तो मैं सरकार से इस मौके पर कहना चाहूंगा कि सूचना विभाग भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों की बातों को जनता को सुनाने की कृपा करे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी माननीय अध्यक्ष महोदय की भी चर्चा इस सूचना विभाग ने किसी प्रकाशन से की। माननीय अध्यक्ष महोदय का स्थान तो हर पार्टी पालिटिक्स से हर विचारों से ऊपर है तो जरा इस तरफ भी ध्यान होना चाहिये था।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---और उस तरफ के लोगों की भी चर्चा उसमें होनी चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह---मैंने तो संकोच छोड़ कर कहा है कि हां होनी चाहिये, जब विधान-सभा की चर्चा होगी तो माननीय हुकुम सिंह तो उसमें छूटते नहीं है, हममें से कोई भी नहीं छूटेगा । मेरा कहना यह है कि माननीय ठाकुर साहब के साथ-साथ हम अपना सम्मान ही तो समझते हैं कि हमारी भी चर्चा हो जाय । आखिर उस सम्मान से हमें लाभ क्यों न उठाना चाहिये । इतना ही मुझे इस सम्बन्ध में कहना था । सूचना विभाग के जिला अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई है । मैं ५०० से नीचे तनख्वाह बढ़ाने में कभी संकोच नहीं करता हूं, क्योंकि सूचना विभाग के अधिकारियों को मेहनत से काम करना पड़ता है, जिले भर में दौड़ना, सूचना इकठ्ठा करना और सब को पहुंचाना, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा होती है कि जहां सूचना विभाग के अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ाई गई है वहां अगर नीचे के जो कर्मचारी हैं उनकी भी कुछ तनख्वाह बढ़ा दी जाती तो मुझे सरकार को धन्यवाद देने में कोई संकोच न होता । यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है । यह तो एक बड़ा प्रश्न है । जब कभी इस पर चर्चा की जायगी तो प्रकाश डालूंगा ? लेकिन फिलहाल इस तरफ भी ध्यान रखना चाहिये था ।

एक और बात की तरफ में ध्यान दिलाना चाहता हूं । गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि कुछ पत्र पत्रिकायें ऐसी निकलती हैं जिनको माननीय सदस्यों को भी मुहइया किया जाता है । यहां भी माननीय सदस्यों को एक इन्फार्मेशन मिलता था और कुछ मंथली बुलेटिन्स स्टेटिस्टिक्स की निकलती थी जो कि माननीय सदस्यों को मिलती थीं, लेकिन अब संभवतः इनका माननीय सदस्यों को मिलना बन्द हो गया है । मेरी जानकारी तो यह है कि मुझे नहीं मिलती, अगर कोई माननीय सदस्य मेरी जानकारी करा देगें तो मैं माफी चाहूंगा । अगर बन्द है तो सूचना विभाग की तरफ से जो इस प्रकार के प्रकाशन होते हैं उनके लिये ऐसा बन्दोबस्त होना चाहिये जिसमें जो माननीय सदस्य हैं, पार्लियामेन्ट के सदस्य हैं और दूसरे लोगों को भी जिन्हें सरकार आवश्यक समझे यह सब पहुंचे, ताकि सरकारी एक्टिविटीज और कार्यकलापों की लोगों को खबर मिल सके ।

कमिश्नरों और जिला प्रशासन पर भी कुछ मांग की गई है और यह मांग की है अल्प बचत योजना के सम्बन्ध में, जिसमें उन्हें कुछ पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी और इसमें सिलसिले में सरकार चाहती है कि कुछ दिनों तक और यह योजना चालू रहे । मैं भी चाहता हूं कि अल्प बचत योजना चालू रहे । थोड़ा थोड़ा लोग अगर बचायें और इकट्ठा करके दें तो इतनी तो आदत अच्छी है, लेकिन मैं इस ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि लोगों का इस अल्प बचत योजना में अविश्वास है और वह अविश्वास इसलिये है कि सरकार इस बात की जानकारी करे कि अब भी जमींदारी उन्मूलन कोष में कुछ करोड़ रुपये ऐसे है जो बगैर भूमिधरी की सनद दिये हुये पड़े हैं । न लोगों को भूमि-धरी सनद मिली है और न रुपये का सूद ही मिलता है और जिस वायदे पर रुपया लिया गया था वह पूरा नहीं हुआ और वापस करने में इतनी कठिनाई हो रही है कि लोग समझते हैं कि १०,५ रुपये तक हों तो न लेने आना ही अच्छा है । इसी तरह अल्प बचत योजना में दो रुपये भी जमा हो सकते हैं । १ रुपया भी जमा हो सकता है । लोगों को एन्करेज करना है और सरकार का इस सिलसिले में यह आदेश है कि इस रुपये के लिये दो मर्तबा से ज्यादा किसी को तहसील में न आना पड़े, लेकिन तहसीलों में १०-१० मर्तबा आना पड़ता है । बड़ी दिक्कत वहां होती है ।

फिर इस मौके पर मैं माननीय मंत्री का ध्यान खींचूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट जो है तहसील जो है उसमें बड़े सुधार की जरूरत है और उतने ही सुधार की आवश्यकता है, जितनी कि हम पुलिस या दूसरे विभागों का चर्चा किया करते है । रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से हर एक

[श्री गेंदा सिंह]

का ताल्लुक है। भीख मांगने वाले का भी ताल्लुक है। ग्रेचुएटी रिलीफ जो दी जाती है तो तहसील के जरिये ही दी जाती है। इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इस काम के अलावा और जितने काम हैं उनमें तहसीलों का काम संतोषजनक नहीं है। मैं डरता हूं कि कितनी तहसीलें ऐसी होंगी, जिनमें सारे रुपये का हिसाब-किताब ठीक रक्खा जाता हो। भगवान करे बहुत सी तहसीलें ऐसी निकलें लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जाय कि जो १० गुने में ३३–३४ करोड़ रुपया जमा हुआ है उसमें कितना रुपया ऐसा है जिसमें कोई सनद नहीं दी गई और न रुपया ही दिया गया। फिर किसानों से यह भी कहा जाता है कि तुम्हारा रुपया तो गबन वाले मामलों में पड़ा हुआ है। कहीं पर कुछ किया जाना चाहिए। अगर दस किसानों को गबन की बात कही गयी तो सारा किसान समझता है कि हमारा रुपया गबन में है। इसलिये जब अल्प बचत योजना की तरफ जाइये तो यह भी देखिये कि जिस तरह से पोस्ट आफिस में रुपया देने में फुर्ती की जाती है उसी तरह से रुपया लौटाने में सतर्क रहना चाहिए ताकि सरकार की कुछ साख बढे। मुझे ज्ञान है कि कहीं-कहीं पर केन यूनियनों में लोगों ने जबरदस्ती की। बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। कुछ एक आध लोगों ने मुझ से कहा भी, लेकिन मैंने उसकी चर्चा नहीं की। इस मौके पर मैं जरूर चर्चा कर देना चाहता हूं। लोगों को यह महसूस न हो कि सरकारी अधिकारी जोर जब्र से रुपया लेने की बात सोचते हैं। कभी-कभी हम ऐसा नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं-कहीं बन्दूक का लाइसेंस लेने वाले लोगों को सौ पचास रुपया देना पड़ता है। क्योंकि जो तीन चार सौ रुपये की बन्दूक ले सकता है कुछ रुपये इसमें भी जमा करे लेकिन कभी-कभी कुछ बन्दूक लेने वालों को ऐसा जान पड़ता है कि उन लोगों पर सख्ती की जाती है, तो आल्प बचत योजना का मतलब यह न समझा जाय कि जोर जबरदस्ती से भी योजना चलायी जा सकती है। बल्कि लोगों को समझा बुझा कर उनका और देश का नफा दिखा कर ही हम उसके उद्देश्य को सफल बना सकेंगे।

न्याय प्रशासन के संबंध में मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। सरकार ने केवल वीक होल्डरों की फीस बढ़ाने के लिये प्रतीक मांग प्रस्तुत की है। हाईकोर्ट में मुकदमे बहुत पड़े हुए हैं। उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

पुलिस के ऊपर मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। इससें कुछ ऐसा अनुदान मांगा गया है जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से बाद में पूरा कर दिया जायगा। यह कहा गया कि कुछ अमले हैं जिनको विशेष तौर पर कहीं पर तैनात करना पड़ता है इस वजह से कुछ पैसा देने की जरूरत है, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा गया कि कहां पर तैनाती हुई। फिर हमारे ऊपर मजबूरी है कि हम उस पर कुछ कह सकें। तो अगर साफ होता .....

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जहां हमारी उत्तर की सीमा है वहां हैं वे।

श्री गेंदा सिंह—दूसरी बात मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि स्टेंडिंग कमेटी की सिपारिश के मुताबिक प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर जिलों के दो थानों में ऐसा किया गया है कि चौकीदार की जगह पर कुछ उन लोगों का नाम क्या होगा कांस्टेबिल होगा या क्या होगा इस तरह के लोग तैनात किये गये हैं। यह ठीक है कि हम अभी ऐसी अवस्था में तजुरबा हासिल करें। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारी सरकार ने जहां तक नौकरों का सम्बन्ध है किसी नौकरी को अबालिश नहीं किया, उसको एकदम समाप्त नहीं किया। अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चौकीदारी की प्रथा को अबालिश करना है तो यह सब से ऊंची सीढ़ी से शुरू किया जाय सरकारी नौकरों में। सबसे नीचे की सीढ़ी को अबालिश न करें। अगर सबसे ऊंचे की सीढ़ी को अबालिश कर दिया जाय और यह मेरी ही राय नहीं है ऐसे कुछ राजनीति के विशेषज्ञ हैं जिनका कहना है कि कुछ

ऐसी जगहें हैं जिन जगहों के बिना भी काम चल सकता है और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर सूबों में कुछ ऐसे स्थान नहीं हैं जो स्थान हमारे यहां रखे गये हैं। तो मैं यह समझता हूं कि अगर एक ही स्थान जिस पर बड़ा रुपया खर्च होता हो उसको अबालिश करने के बाद चौकीदार को अबालिश करने का प्रश्न आये तो उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन पहले जहां पर इतनी बेरोजगारी बढ़ी हो उस बेरोजगारी में शुरुआत चौकीदार की तरफ से न हो शुरुआत ऊपर की तरफ से हो तो एक मनोविज्ञान बनेगा सारे देश में कि यू० पी० की सरकार ने अपने सबसे ऊंचे पद को अबालिश कर सकती है इस जरूरत के लिए, उससे काफी धन मिले और उस धन से हम हजारों आदमियों की सहायता कर सकें तो चौकीदार को भी शिकायत नहीं होगी। उसके मन में कोई इस सरकार से नफरत जैसी चीज नहीं होगी। वह सोचेगा कि इंतजाम में हमारी भी नौकरी छूट गयी तो कोई हर्ज नहीं। तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि वह बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उनको तालीम दी जाय, ट्रेण्ड किया जाय तो गांव सभायें हमने बनाई हैं उनके जरिये उनसे अधिक उपयोगी काम लिया जा सकता है।

सरकार ने अपनी पी० ए० सी० को जूते वगैरह देने के लिये कुछ गुंजायश की है। मैं इस अवसर पर अपनी उस पुलिस को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता कि जिसके उद्योग से, जिसके प्रयत्न से मानसिंह जैसा आदमी नोटोरियस डकैत मारा गया। मैं समझता हूं कि उसमें जो भी हमारे पुलिस के भाई मारे गये, उनके हम ऋणी हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग मानसिंह के मारने में काम आये या मानसिंह के खिलाफ लड़ाई में जिनको क्षति हुई है उनकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और सारे देश को और सारे पुलिस फोर्स को यह मालूम होना चाहिये कि जो लोग समाज के विरोधी हैं उनके साथ लड़ाई करने में अगर हम मरेंगे तो हमारे बाल बच्चों को भूखों नहीं मरना पड़ेगा। यह एक अहसास हो एक अनुभूति हो सारे पुलिस फोर्स में साधारण जनता में तो मैं समझता हूं कि जो समाज के तत्वतः विरोधी हैं उनका सफाया करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। हां, मैं एक बात पहले मानता हूं कि मानसिंह जिस परिस्थिति से गुजर कर मानसिंह बना वह परिस्थिति हमारे यहां नहीं रहनी चाहिये, लेकिन जब बन गया तो हमें उसे किसी तरह जिन्दा नहीं रहने देना चाहिये था। उस परिस्थिति के लिये हम सरकार को जितना भी कोसें वह कम हैं, लेकिन अगर कोई मानसिंह बन गया और वह अपना आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है तो कोई चारा नहीं रह जाता, सिवाय इसके कि जो बर्ताव उसके साथ किया गया वही किया जाय। तो मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस तरफ भी उसको ध्यान रखना चाहिये कि जिन कारणों से वह मानसिंह बनता है उनको वह दूर करे और तभी हम पुलिस फोर्स की असली ताकत बढ़ा पायेंगे। इसी सिलसिले में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां हम पुलिस की इसके लिये एक बार प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते वहीं एक बात यह भी है कि आज भी लोग पुलिस से आतंकित हैं। यह ठीक है कि पुलिस में ईमानदार भी हैं, लेकिन ईमानदार लोगों की कदर नहीं होती क्या? मैं ऐसा ही सोचता हूं। तो इसलिये पुलिस में ईमानदार लोगों की कदर की जाय और फिर ऐसे लोग जो पुराने घाघ हैं उनसे पिंड छुड़ाया जाय। उनसे पिंड छुड़ाये बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि उनको एक ट्रेनिंग मिली हुई है और उनके कारण आज जनता पुलिस को अपना मित्र नहीं समझती है। पुलिस को हम चाहते हैं कि जनता अपना मित्र समझे। जिस तरह से आम तौर पर चर्चा होती है इंग्लैन्ड या दूसरे मुल्कों का तो दूसरे मुल्कों के चर्चा के साथ हम यह भी चर्चा करना चाहते हैं कि हमारी पुलिस को हमारे यहां के लोग अपना मित्र समझें। अगर हमको दबाया जाय और दबा कर कहला दिया जाय कि वह हमारी मित्र है तो बात दूसरी है, लेकिन मैं चाहता

[श्री गेंदासिंह]

हूं कि यह जहनियत होनी चाहिये कि सारे देश की जनता पुलिस को अपना मित्र समझे। तो यह जहनियत कैसे बदलेगी ? मैं इसका पंडित नहीं हूं जो इसके पंडित हैं वह इस बात को सोचेंगे, लेकिन आज ऐसी जहनियत पैदा होने की जरूरत है और अगर इसमें पुलिस को बदलने की जरूरत पड़े तो मैं समझता हूं कि उसको भी हमें बदलना चाहिये।

शिक्षा के संबंध में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्कूल की इमारतों के लिये ३ लाख रुपये की रकम रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तीन लाख रुपये की रकम बहुत थोड़ी है। जितने मकान गिर गये हैं उनके नजदीक बैठ कर रोने वाले भी नहीं हैं, तो जो इस तरह की संस्थायें हैं उनका क्या हाल होगा। उनको कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि जो लोग ईंट पत्थर इकट्ठा कर सकते हैं वह अपने ही घर के काम में लगे हैं और इस प्रकार की संस्थाओं का कोई हाल पूछने वाला नहीं है तो इसलिये मैं इस ओर विशेष ध्यान दिलाऊंगा कि यह रकम बहुत थोड़ी है और इसको बढ़ाया जाना चाहिये। और अगर इसको अगले बजट के लिये हमने छोड़ दिया तो यह काम बीच में ही सफर करेगा और इसलिये इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

इस सिलसिले में मैं जरूर एक बात कहने की इजाजत चाहूंगा आपकी कि जो इलाहाबाद की चर्चा अभी हुई और हमको भी यह खबर मिली है कि कल की रात दो विद्यार्थी, जिनमें एक सच्चिदानन्द साही है पुलिस ने आकरके उन्हें गिरफतार कर लिया, उसके पीछे क्या बैक ग्राउन्ड है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन यूनीवर्सिटी में जो दुर्घटना घटी थी जिसको मैं बहुत प्रतिष्ठा की निगाह से नहीं देखता मैं चाहता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हों जो हमारी स्टेट का सरदार हो उसके बारे में जो कुछ कहना हो कहें, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ कड़ी से कड़ी बात भी हम कहना चाहें, लेकिन हमें अपनी मर्यादा के भीतर रह करके कहना चाहिये। अब चाहे हमारी बात सुनी जाय या न सुनी जाय, लेकिन हमारा एक ढंग है उसी से कहेंगे और दूसरों को भी सलाह देंगे कि उसी ढंग से कहें।

तो जो इलाहाबाद में कुछ गड़बड़ हुई थी उसके बारे में इन्क्वायरी कमेटी बैठी उसने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह लिखा कि यह जो घटना घटी उसके बारे में तो इतने लोगों को सजा देने के लिये लिखते हैं। सजा मिलनी चाहिये। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सजा तो मिले लेकिन किस कारण से ऐसी घटना घटी इस पर हम कुछ नहीं लिखेंगे सम्भवतः यह रिपोर्ट में लिखा है और फिर उसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने जब हमारे नये वाइस चांसलर साहब गये तो उनसे कहा कि आप कृपा करके उसकी जांच करा लीजिये। उन्होंने वादा कर दिया कि हम कमेटी बैठायेंगे। तो फिर कुछ गलतफहमी ऐसी पैदा हुई, जिससे मालूम हुआ कि वह कमेटी नहीं बैठेगी। फिर थोड़ी चहल पहल हुई और उसको रोकने के लिये एक विद्यार्थी जो कल से भूख हड़ताल कर रहा था और किसी प्राइवेट मकान में रह रहा था खामख्वाह पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके उन्हें गिरफतार कर लिया। अब उस गिरफतारी से एक अजीब सनसनी पैदा हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि इस तरह की क्यों सनसनी पैदा की जाती है। अगर कोई कमेटी बैठेगी तो खोज करके सही बात का पता हमको थोड़ा लग जायगा फिर सनसनी पैदा करने की जरूरत नहीं मालूम होती। इस सिलसिले में मैं सरकार से कहूंगा कि ऐसी सनसनी न पैदा होने दे और यूनीवर्सिटी का काम अच्छे ढंग से चल सके। अब सरकार अगर यह समझे कि हम उसको बदनाम करने के लिये ऐसी बात कह रहे हैं जब कि यह बात नहीं है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऐसी पवित्र संस्था में इस प्रकार का दूषित वातावरण न पैदा किया जाय।

अनुदान संख्या २२ में कृषि संबधी मांग है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह कह दिया गया कि ४० रुपया प्रति एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाने में खर्च हुआ बड़ा सस्ता काम हुआ इसलिये ५ लाख कुछ हजार रुपया और दिया जायगा। मैं वित्त विभाग से यह

कहूंगा कि जिस वक्त बजट तैयार करे तो ऐसा करे कि हमारे जैसे मेम्बर भी उसको पढ़ करके मतलब लगा सकें, सिर्फ २, १ लाइन और लिखने से काम चल जायगा हम समझ जायंगें कि क्या-क्या काम किया। अब ४० रुपया प्रति एकड़ साफ करने में किस काम में खर्च हुआ पानी ले जाने में एक तो यह चीज न होनें से उस पर कुछ कहना ही हमारे लिये सम्भव नहीं है। हालांकि यह जरूर है कि कृषि जो है वह हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है अगर कुछ खर्च हो गया तो कोई हर्ज नहीं। तो इसमें ५ लाख ९० हजार रुपया और भी खर्च हो गया, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि किस काम में खर्च हो गया।

शुगर टेक्नालाजी के सम्बन्ध में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ऐसी बात हुई थी कि शुगर टैक्नोलोजी (टेक्नालाजीकल इंस्टीट्यूट) कानपुर से लखनऊ आयेगी, लेकिन फिर फैसला हुआ कि वह कानपुर में ही रहेगी। मैं समझता हूं कि ठीक है जहां और टेक्नालाजीज हैं वहीं यह भी रहे, क्योंकि एक आदमी अगर किसी टैक्नॉलाजी को देखने जाय तो उसी के साथ-साथ और भी टेक्नालाजीज देख लेगा। लेकिन शुगर टेक्नालाजी या जो भी हो वह आम जनता से इसका कोई सम्बन्ध भी है इस ओर जरूर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

टेक्नालाजी जैसी चीज है उसके लिए मैं भी अपनी मजबूरी बताऊं कुछ मेरी भी कमजोरी है मैं अभी तक उस शुगर टेकनालाजी को देखने के लिए कानपुर एकाध बार गया तो, मगर वहां पहुंच न पाया। तो यह जो टेक्नॉलाजी का इस्टीच्यूट है उसका सम्बन्ध गांव के लोगों से होना चाहिये और जिनका सम्बन्ध या जिनके लिए यह सारे इंस्टीच्यूट बनाये जाते हैं उनसे भी तो सम्बन्ध होना चाहिये। तो किसी इंस्टीच्यूट से जो उसमें विद्यार्थी जाकर पढ़ते हैं उनके अलावा दूसरे लोगों का सम्बन्ध हम देखते नहीं हैं। कुछ ऐसा बन्दोबस्त किया जाना चाहिए कि अगर शुगर टेक्नालाजी का इंस्टीच्यूट है तो हमारे विधान सभा के सदस्यों को या साधारण किसानों को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसमें यह भी कहते हैं कि गन्ना कैसे पैदा करेंगे, ऐसा गन्ना पैदा करें कि जिससे चीनी अधिक निकले उसका यह भी एक काम है और यह भी उसका एक काम है कि शुगर इंडस्ट्री जो है उसके और क्या-क्या बाई प्राडक्टस हम पैदा करें। तो आखीर उसमें हम भी तो कुछ सहायक हो सकते हैं, किसान भी सहायक हो सकता है तो उसको भी उसकी कुछ जानकारी करायी जाय इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूं और इसके लिए कुछ करना चाहिए यह खास तौर से पिछली मर्तबा मैंने कहा था कि किसानों को कुछ दूसरी जगहों का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। बनारस का किसान अगर मेरठ जाय तो मेरठ में किस तरह से सिंचाई का काम होता है या और काम होता है उसे देखकर हो सकता है कि उसका दिमाग भी कुछ काम करने लगे और मेरठ का किसान अगर चला जाय देवरिया एक बार अगर वह चला जाय तो मैं यह समझता हूं कि फिर वह कभी हमारा विरोध न करे। सरकार उनको भेजने का प्रबन्ध करे और इसमें रेलवे का कुछ कंसेशन दिया जा सके तो देकर उनका आवागमन कराना चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ।

खादी विकास योजना के सिलसिले में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि खादी विकास योजना का काम तो हुआ, लेकिन जो सूत की उत्पत्ति हुई है उसकी खपत का बंदोबस्त हमारे पास नहीं है। उसका क्या करें हम। बहुत बड़ा काम है। तो उस खपत की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये इस पर सरकार जरूर कुछ सोचे।

गुड़ के सिलसिले में हम यह जरूर कहना चाहते हैं काटेज इंडस्ट्रीज के लिये जहां तक सम्बंध है दो लाख रुपया तो अभी तक दिया गया और कोल्हू सप्लाई हो सकेगा नवम्बर तक। इस का अभी बंदोबस्त नहीं। हमारा उद्योग विभाग जो है वह गुड़ को न जाने किस निगाह से देखता है।

[श्री गेंदासिंह]

कुछ सौतेले लड़के की तरह देखता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि माननीय हुकुमसिंह जी जब थे इस विभाग में तो बहुत हाथ पैर उनके जोड़े थे हमने तो जितना हम कहते थे उतना तो नहीं लेकिन कुछ जरूर किया था उन्होंने। लेकिन अब इस वक्त वह और ढील पड़ गई है उसमें। इस गुड़ उद्योग में कई करोड़ मन गुड़ हम पैदा करते हैं और बारह लाख कोल्हू चलते हैं तो उसकी सहायता करने के लिये, उसकी मार्केटिंग के लिये, अच्छा गुड़ पैदा हो सके, उसके लिये सरकार का ध्यान देना जरूरी है। उनको अच्छा कोल्हू हम दे सकें और अच्छा पैन जो उसके बनाने का चूल्हा होता है, वह अच्छा बनवा सके, इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये। तो जब तक हम एक बहुत वाईड रूप में उसमें नहीं जायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

जूट की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जूट के लिये भी कुछ होना चाहिये। जूट के लिये जहां हम अच्छा रेशा पैदा करने वाले और अच्छा उत्पादन करने वाले के लिये इनाम देने के लिये कहते हैं, उसी तरह उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है, जो किसान जूट पैदा करते हैं, उनको अगर हम थोड़ा-थोड़ा पैसा दे सकें तो वह उसे बनिये के हाथ बेचने न जाय और इस तरह से उनको कुछ पैसा मिल जाय तो वह बीच वाले को उसे बेचने नहीं जायेंगे और उसका पूरा-पूरा लाभ उन्हीं को मिलेगा।

दुर्भिक्ष के सिलसिले में मैं सोचता हूं कि जिस दिन बाढ़ पर बहस हो उस दिन कहना मुनासिब होगा क्योंकि दुर्भिक्ष, मैं क्या बताऊं दुर्भिक्ष ग्रस्त जिले इतने हो गये कि अब मैं जो कभी-कभी देवरिया की चर्चा करता था, वह देवरिया की चर्चा क्या करूं, मुझे बहुत ही अफसोस है और जितनी भी अपनी तकलीफ इस पर जाहिर कर सकूं वह थोड़ा है दुर्भिक्ष की बीमारी इतनी फैल गई है कि कहते-कहते मैंने देखा कि अड़ोस-पड़ोस में भी वह बीमारी आ गयी फैजाबाद में भी बीमारी पहुंच गयी। तो अब मैं ज्यादा चर्चा उसकी नहीं करना चाहता हूं। ज्यादा चर्चा करने से कहीं और जगह भी बीमारी फैल जाय। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष में जो भी रकम रखी गयी है वह बहुत थोड़ी है और जैसा कि मैंने पहले कहा उस रकम को बढ़ा करके खर्च करने की व्यवस्था होनी चाहिये। आज जो व्यवस्था है हमारी सहायता पहुंचाने की, उसमें इस मर्तबा सहायता पहुंच भी नहीं रही। यकायक पानी बरसा तो सारे कम्युनिकेशन और रास्ते बन्द हो गये और ऐसे बन्द हुए हैं कि एक जिले के हैडक्वार्टर से दूसरी जगह पर जहां मुसीबत है कोई पहुंच ही नहीं सकता अधिकारी जो जहां है वहीं व्यग्र और बेचैन है कि कोई सहायता नहीं होने वाली है। जैसा मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हूं वैसे ही वह वहां हुए हैं। जरा सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे कि कैसे उन सब लोगों की मदद की जा सके।

आखिर में मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं उद्योग विभाग के सम्बन्ध में कि चीनी के सारे उद्योग के बारे में मैंने पहले भी कहा था आज भी कहता हूं बड़ा झगड़ा है। मैं आपका ध्यान उस तरफ नहीं ले जाना चाहूंगा, जोकि पिछले आधे वर्ष से होता चला आ रहा है। उसमें सरकार कितना कर पायेगी और क्या हमारी मदद करेगी यह कहना हमारे लिए कठिन है। लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि सरकार हमारी मदद करे और वह एक ही तरह से हो सकती है कि सारे सूबे भर में जो पूंजी लगी हुई है इन शुगर मिलों में और जितना इन लोगों ने अपने रिजर्व में और डेप्रिसिएशन से जितना इन लोगों ने निकाला है अगर दोनों का हिसाब कर दिया जाय तो कोई औचित्य नहीं है कि ये शुगर फैक्ट्री और मिलें मिल मालिकों के हाथ में रहें। इस हिसाब को जोड़ना चाहिये और हमें भी कुछ मिलना है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा हो, चाहे नफे की शक्ल में, चाहे किसी शक्ल में, सब उसी में लगा दिया जाय लेकिन शुगर इंडस्ट्रीज को नेशनलाईज करने में पहला कदम सरकार को उठाना चाहिये। यह शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं।

दूसरे कानपुर के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ८० दिन की हड़ताल के बाद ५,००० आदमी बेकार हैं। हो सकता है कि कम हो। मैं अपनी फिगर के बारे में पूरे तौर से नहीं कह

सकता कि मैं ही सही हूं। इन ५,००० आदमियों को उस वक्त बेकार कर दिया मिल मालिकों ने जब रेशनलाइजेशन कमेटी काम कर रही थी, उसके फैसले के पहले ही। अब आज ५,००० आदमी ऐसे हैं, जो पिछल पांच महीनों से खानाबदोश की हालत में कानपुर में हैं। बल्कि ८० दिन तक खाना बदोश की हालत में रहे हड़ताल कर के और जब वह काम पर गये तो कहा जाता है कि काम आज नहीं है। तीन दिन तक गैर हाजिर हो जाय तो हाजिरी कट जायेगी, नौकरी खत्म। तो मजबूर होकर कानपुर में रहना पड़ रहा है और अब खांये क्या, किस तरह से रहें यह बहुत बड़ी समस्या है। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और सरकार इसको जिस तरह से भी हो सके संभाले। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि लोग पिछली हड़ताल के सिलसिले में सजा पाये हुये थे या अंडरट्रायल हैं, व्यर्थ है उन पर मुकदमा चलाने का काम करना। वह एक यादगार हो जाती है और मनोमालिन्य बढ़ जाता है। मैं उन लोगों से भी कहता हूं और कहूंगा कि इस मनोमालिन्य को दूर करो और जो बात खत्म हो गई उसकी चर्चा रोज न करो। लेकिन सरकार से भी कहूंगा कि उस मुकदमे को वापस ले ले और जिनको सजा हो गई है उनको छुट्टी दिलाये।

कभी-कभी सुना करता हूं कि सिंचाई वाले मामले में सरकार ने जो पिछली मर्तबा ऐलान किया था उसके मुताबिक भी जिलों में काम नहीं हो रहे हैं। तो सरकार को सपष्ट करना चाहिये कि पिछली मर्तबा जो उसने छूट की थी वह छूट कायम है और उसके मुताबिक ही सिंचाई ली जायेगी। यद्यपि मैं तो इसका कायल हूं कि सिंचाई में रिआयत होनी चाहिये, छूट होनी चाहिये और सहायता होनी चाहिये, लेकिन कम से कम इस वक्त जरा विचार करने को मैं सरकार से कहता हूं कि इस पर विचार करे। इस पर मैं यह कहता हूं कि सरकार एलान कर दे कम से कम सारे जिलों को आदेश दे दे कि जो सिंचाई में हमने पिछली मर्तबा छूट दी है वह कायम है और जिन लोगों के ऊपर उस सिलसिले में कोई मुकदमे चल रहे हों या जिनके ऊपर कोई कार्यवाही कुर्की वगैरह की हो रही हो ....

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक बात कह दूं तो शायद कुछ कहने की जरूरत न पड़े। यह एलान किया जा चुका है। हाउस में प्रश्नों के उत्तर में कहा जा चुका है पहले भी, बाद में भी और आदेश भी भेजे जा चुके कि जो छूट दी गयी है वह कायम है और तब तक कायम रहेगी जब तक वह विदड्रा नहीं की जायगी। सारे सूबे में इसका आदेश भी दिया जा जुका है और वैसे ही खरीफ और रबी की वसूली भी की जायगी।

श्री गेंदा सिंह—तो मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं माननीय मंत्री जी का और अब मैं माफी चाहूंगा अपने उन दोस्तों से जिनका वक्त कुछ ज्यादा मैंने ले लिया। अब इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि जल्द से जल्द वह दिन कोई मुकर्रर हो जाय, जिसमें हम इस वर्षा और बाढ़ के प्रश्न पर विचार कर सकें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदानों के सम्बन्ध में जो एक आलोचना हर साल पेश की जाती है कि इस अनुदान द्वारा बहुत सी ऐसी मांगें पेश की जाती हैं जिनके सम्बन्ध में वित्त मंत्री और सरकार को पहले से ही सोच लेना चाहिये था, वह इस वर्ष कम से कम इस अनुदान के आधे हिस्से के लगभग के लिये लागू नहीं होगी, क्योंकि दैव इच्छा ऐसी रही कि पूर्वी जिलों में बाढ़ आयी है उसके लिये सरकार ने जो कुछ किया है वह ठीक किया है। उसके विरुद्ध कोई चर्चा हो नहीं सकती और जहां तक इन बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लोगों के लिये सहानुभूति का प्रश्न है मैं समझता हूं कि सदन के हर एक सदस्य की उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है और जहां तक पहाड़ी जिलों का सम्बन्ध है वहां मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि उनको केवल मात्र सहानुभूति ही नहीं किन्तु अब एक प्रकार की आशा भी हो गयी है कि उन इलाके की ओर भी सरकार का, जनता का और सदन के सदस्यों

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

का ध्यान अब जायगा जहां कि बगैर बाढ़ के ही प्रति वर्ष और १२ मास एक प्रकार का अन्न का अकाल और भुखमरी फैली रहती है। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट का क्या उद्देश्य होता है इस सम्बन्ध में भी वित्त मंत्री को कुछ कहना एक प्रकार की गुस्ताखी होती है। इसलिये उस सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं केवल सूक्ष्म रूप से यही कहूंगा कि सप्लीमेंटरी के जो दो विशेष लक्ष्य होते हैं उनमें से एक तो जो अनफोरसीन खर्चों के लिये सरकार ने कंटिन्जेन्सी फंड से खर्च कर लिया है उसके लिये इस सदन को मंजूरी ली जाती है और दूसरे यह कि जो किसी अनुदान में बचत हो उसके रिऐप्रोप्रियेशन के लिये इजाजत लेना। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हालांकि इस वर्ष ५ करोड़ से थोड़ा अधिक ही अनुदान मांगा गया है जिसमें से लगभग आधे के लिये तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन बाकी आधे के लिये वही पुरानी आलोचना फिर सामने आती है और काफी उसमें से ऐसा भाग है जो केवल मात्र इतना ही नहीं कि अनुचित कहा जा सके बल्कि मैं इतना भी कहूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट द्वारा इस सदन से जो बड़ी-बड़ी मांगें नयी सर्विसेज के लिये ली जाती हैं, वह मैं समझता हूं एक गलत प्रथा बन रही है। इस सम्बन्ध में हमारे इरीगेशन मंत्री महोदय की जो सब से बड़ी मांग है ७५ लाख की लायबिलिटी उन्होंने क्रियेट की है जिसके सम्बन्ध में इस वर्ष लगभग २५ लाख रुपये खर्च का वह इरादा रखते हैं वह मैं समझता हूं केवल मात्र उस कार्य का जो पहले मुख्य बजट के सम्बन्ध में उठाया गया था एक एक्सटेंशन है। कार्य बहुत उचित है, उत्तम है, इससे लाभ अवश्य होगा। किन्तु सरकार का फर्ज केवल एक विभाग की ओर ही नहीं है और इस बात को ध्यान में रखते हुये जब मुख्य बजट यहां पर पेश किया जाता है तो सदन के माननीय सदस्यों और सरकार के सामने एक ओवरआल पिक्चर रहती है और उसमें यह ख्याल रखा जाता है कि विभिन्न विभागों के लिये इतना रुपया रखा जाय तथा विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति के लिये इतना रखा जाय तथा विभिन्न योजनाओं के लिये इतना रखा जाय। इसलिये इतनी बड़ी मांग इस समय यहां रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है कि यह कार्य तो उचित है लेकिन प्रथा गलत कायम होती चली जा रही है। इससे ओवर आल पिक्चर में यह चीज नहीं आ पाती है। इस वर्ष दुर्भाग्य से हमारा एक डेफिसिट बजट रहा था तो यह बुरापन एक प्रकार से और भी बिगड़ता जा रहा है।

सप्लीमेंटरी बजट के जो अलग-अलग अनुदान हैं, उनके सम्बन्ध में मैं अधिक न कहकर चन्द अनुदानों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले पुलिस विभाग के सम्बन्ध में मुझे यह आश्चर्य हुआ उनके शब्दों को पढ़कर कि गांवों में जो उनके चौकीदार रहते थे उनके स्थान पर अब पुलिस कांस्टेबिल रखने का इरादा है। मैं उनके शब्दों को ही रख देना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं कि "यह योजना कुछ समय से विचाराधीन रही है" और आगे लिखते हैं कि "पुलिस स्थायी समिति ने कई बार सरकार को यह सलाह दी थी" और अंत में यह कहा जाता है कि "इसका उचित प्रयोग अविलम्ब आरम्भ करें" ऐसा समझा गया था तो अध्यक्ष महोदय, यह साबित करना है कि अनफोरसीन लफ्ज का केवल प्रयोग किया जाता है। कोई विषय कुछ समय से विचाराधीन रह चुका हो और पुलिस स्थायी समिति ने उसके सम्बन्ध में कई बार सलाह दी हो तो उसको यकायक सप्लीमेंटरी बजट में लाना मैं समझता हूं कि "अनफोरसीन" शब्द का मजाक उड़ाना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अनफोरसीन का उचित इस्तेमाल होता यदि न्याय मंत्री महोदय इस विषय को लाते। जिसके बारे में सदन में राय प्रगट की गयी है और जिसका समर्थन न्याय प्रशासन समिति ने भी किया कि पश्चिमी जिलों के लिये एक हाई कोर्ट की बेंच कायम की जाय। यदि यह विषय सप्लीमेंटरी बजट में पेश किया गया होता तो मैं उसको अनफोरसीन मान सकता था। वह पिछले बजट के दौरान में उठाया गया था और उसके बाद वह सरकार के सामने आयी। तो यह चीज सप्लीमेंटरी बजट में आनी चाहिये थी, लेकिन मुझे दुख है कि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है।

शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में मैं सब से पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी को और विशेषकर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके पर्सनल ऐक्जरशन द्वारा हमारे जिले टेहरी-गढ़वाल में, जो चम्मा के सेकेंडरी हाई स्कूल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, सरकार के हाथ में इस स्कूल के आने से वहां की जनता को यह आशा हो गयी है कि वह उन्नति के पथ पर चलेगा। अब इसके लिये ३७,००० का खर्चा लगाया गया है, इतने का अनुमान किया गया है। मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं होगा और मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि जब समय आयेगा तो उस समय इस स्कूल के सम्बन्ध में और ज्यादा खर्चा मंजूर किया जायगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में एक और विषय जो बहुत गम्भीर रूप ले रहा है, उसको मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। यह मानी हुयी बात है कि यूनिवर्सिटीज की आटोनोमी को हर सूरत में सुरक्षित रखा जाय फिर भी मैं नहीं समझ पाता कि यदि किसी यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा प्रदान की जा रही हो वह जो इस सरकार की शिक्षा पालिसी है उसके साथ नहीं चल रही हो तो फिर सरकार का क्या फर्ज हो जाता है। कुछ केसेज हमारे सामने हैं। हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बी०ए० के कोर्स में बहुत सा परिवर्तन कर लिया है। मैं चाहता हूं कि बगैर यूनिवर्सिटी की आटोनामी में चोट डाले हुये सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और यह देखे कि हर एक विश्वविद्यालय जो इस प्रान्त में हैं, और जिसको सरकार किसी प्रकार की सहायता या अनुदान देती है वह हर एक रूप में सरकार की शिक्षा नीति को अपनाये और उसकी प्रगति के लिये और उन्नति के लिये अपने यहां कैरीकुलम निर्धारित करें।

मेडिकल और हेल्थ के सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में बी०सी०जी० के कम्पेन के सम्बन्ध में जो तूफान मचा हुआ है मैं समझता हूं सरकार का उस सम्बन्ध में यह कर्त्तव्य है कि कुछ कार्य करे। यह तूफान खासकर गम्भीर रूप में एक सर्वश्रेष्ठ और मुख्य व्यक्ति राजगोपालाचार्य जी सरीखे व्यक्ति के इस विषय में पड़ने के बाद इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। मैं कोई टैक्नीकल आदमी नहीं हूं। इस सम्बन्ध में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यदि सरकार यह समझती है और सरकार के टेक्नीकल ऐडवाइजरों ने यह राय दी है कि बी०सी०जी० कम्पेन उचित है तो सरकार इसकी सफलता और विकास के बारे में कम से कम इन्टेलिजेंशिया को भलीभांति सचेत कर दे। केवल इतना ही नहीं अन्य मेडिकल लोग भी इसमें आगे आयेंगे। अभी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनकी इस के सम्बन्ध में बहुत विभिन्न प्रकार की राय है। इतना ही नहीं प्राइवेट प्रैक्टिशनर और कुछ दूसरे लोग इस बी० सी० जी० के कम्पेन के खिलाफ हैं। मैं चाहता हूं कि यदि सरकार इसको अपनाना उचित समझती है और इससे भविष्य में इतना लाभ होने की संभावना देखती है तो सरकार को इसके प्रसार के लिये उचित कदम उठाना चाहिये। केवल इतना ही नहीं सरकार को इस पर फैसला देना चाहिये कि बी० सी० जी० का कम्पेन चलता रहे या नहीं। ऐसी चीजों का प्रसार हो तो मैं समझता हूं वह पूर्णरूप से और एक साफ और दृढ़ तरीके से होना चाहिये।

अपने प्लानिंग मंत्री महोदय के सामने खाली एक बात रखना चाहता हूं और वह यह है कि वह कोई ऐसी मशीनरी हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो उसके सिपुर्द यह काम रखे कि जो जिलों में जिला प्लानिंग कमेटी ग्रान्ट या सहायता या रुपया वितरण करती है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की मशीनरी कायम होनी चाहिये। दुर्भाग्यवश मुझे यह मानना पड़ता है कि जितना पैसा व्यय किया जा रहा है उसके बराबर लोगों की गुडविल नहीं प्राप्त किया जा रहा है। एक मुख्य कारण इसका यह है कि लोगों के बीच में यह भावना फैली जा रही है कि सरकार के पास जो रुपया आ रहा है वह हराम का पैसा है। इस भावना को देखते हुये मुझे दुख होता है। मैं यह समझता हूं कि जितना रुपया सरकार के पास आ रहा है वह किसी प्रकार से हराम का नहीं है। वह जनता का पैसा है उसका सदुपयोग सरकार करना चाहती है। मगर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अधिकांश लोगों के बीच में

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

रुपये का पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय के ध्यान में केवल इतना ही लाऊंगा ताकि वह कोई उचित विधि बना कर इसके नियंत्रण का कोई उपाय निकालें।

अध्यक्ष महोदय, समय खत्म हुआ जा रहा है और अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो बाढ़ के सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह जी ने कहा उसके लिये आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई दिन निर्धारित करेंगे, उस विषय पर हम कह सकते हैं। इन अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हालांकि इन अनुदानों का पेश करना ऐसी बात है कि आजकल के जमाने में बचाई नहीं जा सकती और इसीलिये इसके सम्बन्ध में आलोचना करने से मैं डरता हूं विशेषकर, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने मुख्य बजट के समय में कहा था कि यदि हम डेफिसिट बजट पेश कर रहे हैं तो इसमें हमारा गौरव है। और उन्होंने तर्क पेश किया था कि डेफिसिट बजट का मतलब यह है कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, तो तर्क के अनुसार जब पुराने डेफिसिट को नये डेफिसिट से बढ़ा दिया गया है तो मैं चुप ही रहता हूं और कहता हूं कि जहां तक हो सके डेफिसिट को न बढ़ाया जाय तो अच्छा ही होगा बाकी जैसा माननीय मंत्री जी ठीक समझते हों वह करें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं विरोधीदल के नेता को जो उन्होंने अपना भाषण इस भवन में दिया है, उसके लिये बधाई देता हूं। इसके बाद मैं जो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स ५ करोड़ १० लाख ९८ हजार ३ सौ रुपये के लिये प्रस्ताव इस भवन के सामने पेश है, जो भिन्न-भिन्न मदों के अन्तर्गत है, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, फारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो १ लाख ७५ हजार रुपये की मांग है महात्मा बुद्ध के २५ सौ वीं बर्थ ऐनीवर्सरी के लिये, उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आज २५ सौ वर्ष के बाद इस प्रदेश को यह अवसर मिला कि महात्मा बुद्ध के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मान्यवर, हम सभी जानते ह कि करीब-करीब हर साल ही सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पेश होती हैं, जिनकी बुनियाद यही होती है कि वह खर्चा जो नया हो या जिनकी बाबत शुरू साल में अन्दाजा न हो सका हो, उनको इसमें शामिल करके भवन के सामने पेश किया जाता है।

मैंने इसमें देखा कि इसमें विभिन्न विभागों के लिये मांगें की गई हैं उसके कारण भी बताये गये हैं। मेरा अपना विचार है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत सी ग्रांट्स इसमें ऐसी हैं जो नई हैं, या जिनकी बाबत किसी भी सरकार को शुरू साल में जान लेना संभव नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ ऐसी ग्रांट्स भी इस आड़ में ऐसी रख दी गई हैं जिनको अच्छा होता यदि शुरू साल में जब असली बजट पेश हुआ था, रखा जाता। मैं सबसे पहले सिंचाई विभाग की बात लेता हूं। इसमें यू० पी० इर्रीगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की की बाबत बहुत सी बातें कहीं गई हैं। कहा गया है कि चूंकि रामगंगा प्राजेक्ट, बाढ़ नियंत्रण और रिहंद डैम के सिलसिले में बहुत कुछ काम होने हैं इसलिये नई-नई समस्यायें इस विभाग के सामने आने वाली हैं, जिनमें खोज की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह तीनों मसले ऐसे हैं जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से सरकार के सामने हैं। इसमें दो मत नहीं है कि जहां तक रिसर्च का संबंध है उसका विस्तार होना ही चाहिये, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तो यह है कि यह कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको विभाग शुरू साल में नहीं देख सकता था। कहा गया है कि नई-नई पोस्ट्स की आवश्यकता होगी, और उसके लिये हमसे मांग की गई है और यह अन्दाजा किया गया है कि इसमें ७ लाख ७५ हजार रुपये की आवश्यकता होगी। इस साल सिर्फ १ लाख रुपया मांगा गया है और वह भी इसी बजट की बचत में से पूरा किया जा सकता है। इसलिये सिर्फ १०० रु० की टोकेन ग्रांट मांगी है। लेकिन इसके अन्दर के मैटर को यदि और जरा पढ़ें तो हमें मिलेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो डाइरेक्टर इस इंस्टीट्यूट के होंगे वह या तो चीफ इंजीनियर के

या सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के ग्रेड का वेतन पा सकते हैं जैसे भी व्यक्ति उस पद पर हों। हमने अपने डाइरेक्टर महोदय की कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं रखी है। और न उस पद का ग्रेड निर्धारित किया है। उसको या तो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पे मिलेगी या चीफ इंजीनियर की पे मिल सकती है। तो इससे मुझे यह संदेह होता है कि शायद किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर ऐसा प्राविजन किया गया है। मुझे यह भी अंदेशा होता है कि चूंकि हमारे माननीय मंत्री जी का हृदय बहुत उदार है और हमारे मौजूदा चीफ इंजीनियर जो हैं, उन सबको एक्सटेंशन दे दिया गया है। इसलिये संभव है कि उसके कारण जो नीचे के आफिसर्स हैं उनमें असंतोष पैदा हो गया हो और शायद ऐसे लोगों को एकमोडेट करने के लिये ही यह रखा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस डाइरेक्टर के जो रिसर्च अधिकारी हैं, वे बहैसियत पी० ए० के काम करेंगे और उनको डेढ़ सौ रुपया स्पेशल पे के मिलेगा बशरतेकि डाइरेक्टर चीफ इंजीनियर ग्रेड के हों। इससे साबित होता है कि पर्सनल असिस्टेंट की वहां कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मगर चूंकि यदि संचालक चीफ इंजीनियर के ग्रेड का होगा इसलिये उसकी डिगनिटी को रखने के लिये उसके सहायक को पर्सनल असिस्टेंट करके डेढ़ सौ रुपये स्पेशल पे के तौर पर रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मुझे आपत्ति नहीं है कि जो डाइरेक्टर हो वह बहुत योग्य व्यक्ति हो और उसकी क्वालिफिकेशंस भी काफी होनी चाहिये। और आज के विज्ञान के युग में तो रिसर्च का काम बहुत एफीशियेंट आदमी के हाथों में होना ही चाहिये। लेकिन इसमें जो दुविधा वाली बात है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का ग्रेड हो या चीफ इंजीनियर का ग्रेड, इसमें संदेह पैदा होता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो भी जगह हम बनायें उसका अपना ग्रेड बनाना चाहिये और किसी व्यक्ति विशेष को एकमोडेट करने की बात नहीं करनी चाहिये।

इसमें मैंने रॅवायल होटल के खरीदने की बात देखी और इसके अन्तर्गत दो स्थानों पर मांग की गई है। एक ७ लाख ७५ हजार की और दूसरी २९ हजार कुछ की है। हम इस पर कोई संदेह नहीं करते कि स्थान की कमी थी और स्थान की कमी को पूरा करने के लिये रॅवायल होटल को खरीदा गया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से इस होटल को खरीदने से पहले क्या पी० डब्ल्यू० डी० से इसकी वैल्यु को एसेस करवा लिया गया था। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले पी० डब्ल्यु० डी० ने ३ लाख ५६ हजार इसकी वैल्यु एसेस की थी। दोबारा जब एसेसमेंट हुआ तो ५ लाख कुछ हजार का हुआ और इसके बाद अब ७ लाख ७५ हजार को खरीदा गया है। मैं नहीं समझता कि इसके अन्दर यह फर्क क्यों हुआ और अगर कोई बात है तो मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। इसको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट को बड़ी भारी ख्वाहिश थी इसको खरीदने की और प्रोप्राइटर को इसको बेचने का कोई शौक नहीं था। उसकी पहले शर्त थी कि मैं फरनीचर नहीं बेचूंगी बाद में २९ हजार में बेचने के लिये तैयार हो गई। मैं समझता हूं कि फरनीचर का भी खरीदते वक्त एसेसमेंट किया होगा और माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालते हुये बतलायेंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है।

साथ ही साथ एक्जेशन के अन्दर इसमें लिखा हुआ है कि रामपुर में जो नवाब साहब की लाइब्रेरी है उसके लिये ६५ हजार रुपये की मांग थी। ३० हजार रुपये गवर्नमेंट दे चुकी थी, लेकिन जिस इमारत में वह थी वहां यह अन्देशा था कि बरसात में कहीं कीड़े न लग जायं लिहाजा गवर्नमेंट को मजबूरन ३५ हजार रुपये कांटिंजेंसी फंड से निकाल कर देने पड़े, ताकि किताबों को बरसात से पहले हामिद मंजिल में वह हटा सकें। लेकिन मेरी इत्तिला आज भी यह है कि वह लाइब्रेरी उसी इमारत में है हालांकि बरसात बीत गई और उसके लिये रुपया दे दिया गया, लेकिन हटी नहीं। इससे यह शिकायत हो सकती है और मुझे शिकायत है कि रुपया देने के बावजूद भी यह उस डिपार्टमेंट की एफिशियेंसी का सबूत है कि वे किताबें वहां से हटाई नहीं गयीं।

इसके अलावा इसमें पब्लिक हेल्थ पर कुछ मांग की गई है। पिछले कुंभ के संबंध में कांट्रेक्टर को रुपया देना था। ठीक है, रुपया आप ने दिया लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया

[श्री नवलकिशोर]

गया है कि जो इस समय मारकेट रेट है, उसी दर पर सामान व मजदूरी को कलकुलेट किया गया है, लेकिन जितना क्लेम किया गया था वह पूरा का पूरा दिया गया है, कोई कमोबेशी दिखलाई नहीं देती है। यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरह से कांट्रेक्टर्स अपने बिल्स डिपार्टमेंट्स को पेश करते हैं और क्या उनके मानी होते हैं। माननीय मंत्री इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

इसी तरह से डाइरेक्टर आफ इन्फारमेशन की बात है। उसमें भी कुछ मांग की गई है कुछ कुरसियों और फरनीचर की। मैं समझता हूं यह आफिस आज से नहीं बहुत समय से हमारे यहां है और यह कोई ऐसी मांग नहीं थी जो अनफोरसीन हो। इस तरह की मांगें शुरू में ही आ जानी चाहिये।

इसमें एक यह भी स्कीम है कि गांव में एक्सपेरीमेंट के तौर पर चौकीदार को हटा कर बीट कांस्टेबिल को सब्सिट्यूट किया जाये। मैं कह सकता हूं कि चौकीदार अनपढ़ था मगर वह उसी गांव का रहने वाला था और आम तौर से चौकीदार के विरोध में उतनी शिकायतें नहीं मिलीं जितनी आपके सिपाहियों की मिलीं। मेरा विश्वास है कि जो सिपाही जायेगा उससे भ्रष्टाचार अधिक बढ़ेगा और वहां की जो जनता है उससे उसको भी अधिक कष्ट ही पहुंचेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो दो जिलों में एक्सपेरीमेंट किया है सूबे भर पर आपने नहीं लगाया, सो इसको काफी स्क्रटिनी के साथ आप देखें और यदि कहीं पर भी इस बात को पायें कि यह स्कीम ज्यादा अच्छी नहीं है, तब इसको बन्द कर दें और चूंकि हमारी कमेटी ने इसको स्वीकार किया है उसके आधार पर हमको इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

*श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, श्रीमन् इस पूरक अनुदान को अच्छी तरह से सिंहावलोकन करना तो समय के अभाव से अन्य सदस्यों के लिये तो असंभव नहीं है जब तक कि ये किसी दल के नेता न हों। अतः अपने क्षेत्र की मांगें तथा वहां की परिस्थितियों को सामने रखते हुये मैं अनुपूरक अनुदानों के कुछ आइटम्स पर निवेदन करना चाहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने पुलिस विभाग के अन्तर्गत जो अनुदान है चौकीदारों के हटाये जाने पर, आपत्ति करते हुये यह कहा कि यदि चौकीदार हटाया जाता है तो उससे पहले यह आवश्यक था कि सबसे नीची सीढ़ी नहीं सबसे ऊंची सीढ़ी हटायी जाय। मुझे मालम नहीं श्रीमन्, कि उनका संकेत किस ओर था। मालूम नहीं उनका संकेत ऊंची सीढ़ी से यह था कि माननीय पुलिस मंत्री का ही विभाग हटाया जाय, या आई० जी० को हटा दिया जाय, या सरकिल के डी० आई० जी० को हटा दिया जाय, या सुपरिंटेंडेंट पुलिस को हटा दिया जाय। श्रीमन्, यह जो एक प्रयोग के तौर पर दो जिलों में, दो पुलिस सरकिलों में चौकीदार को हटा कर बीट कांस्टेबिल का एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है उसकी भी कुछ हिस्ट्री है। सीताराम पुलिस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह मांग की थी और कम से कम तीन साल से पुलिस की स्टैंडिंग कमेटी जिसमें विरोधी दल के सदस्य भी सम्मिलित थे उनकी यह मांग थी कि यह एक्सपेरीमेंट जारी किया जाय। यह ऐक्सपेरीमेंट कोई इस बिना पर नहीं है कि हम इकोनामिक मेजर करें और चौकीदारों को हटा कर बीट पुलिस कांस्टेबिल्स रखें। किन्तु उसके साथ ही साथ श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय नवल किशोर जी ने कहा मैं पूर्णतया इससे सहमत हूं कि इतनी शिकायतें चौकीदारों की नहीं मिलतीं जितनी कांस्टेबिल्स की मिलती हैं। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो प्रयोग किया जा रहा है इसकी सफलता पूर्णतया उसी पर निर्भर है कि किस प्रकार का बीट कांस्टेबिल वहां पर रखा जाय। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जब एक अपढ़ व्यक्ति बेईमानी करता है तो उसका बेईमानी का दायरा संकुचित रहता है। किन्तु जब एक पढ़ा-लिखा, होशियार और अन्य तरीके से उपयुक्त व्यक्ति बेईमानी पर तुल जाता है तो उसका बेईमानी का दायरा बहुत बड़ा हो जायगा। इससे अंदेशा श्रीमन्, यह है कि जहां पर हम जनता को राहत देना चाहते हैं शायद हम उसकी तकलीफ बढ़ा दें, अगर हम समझ बूझ कर, देखभाल कर बीट कांस्टेबिल की नियुक्ति न करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मुझे दुर्भाग्य से इस अनुपूरक अनुदान के एक आइटम से बहुत बड़ी शिकायत है और वह यह दुर्भिक्ष सहायता के लिये जो अनुदान है ५७ लाख ४० हजार का, इसमें कई जिले दिये गये हैं, जहां पर बाढ़ के कारण या बहुत ज्यादा वर्षा के कारण कुछ रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ी है। एक जगह श्रीमन्, लिखा गया है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप नहीं हुआ वहां अनवरत और बेशुमार बारिश होने से पानी जमा हो गया जिससे बुवाई और खेती-बाड़ी के अन्य काम रुक गये और फलस्वरूप बड़े क्षेत्रों में मामूली तौर पर अच्छी फसल होने की संभावना कम हो गयी। श्रीमन्, मुझे दुख और शिकायत यह है कि जितने जिले यहां पर दिये गये है उनमें सीतापुर छूट गया है। सीतापुर का एक क्षेत्र गांजरी क्षेत्र है जहां पर हर साल बाढ़ आया करती है, हर साल वर्षा से फसल नष्ट हुआ करती है। इस साल तो श्रीमन्, वहां पर एक लाहौरा नदी है, जिससे वहां के ४ गांव कट गये हैं और वहां लोगों की हालत इतनी खराब है कि मैंने वहां जा कर देखा और जिला अधिकारियों ने भी जा कर देखा और अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है कि उनको कुछ मदद देने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ श्रीमन्, मुझे खुशी है कि हमारे माननीय माल मंत्री जी भी यहां पधारे हैं, उनका ध्यान मैं एक चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सरकार की पालिसी के आधार पर जो अधिवासी अब सीरदार हो गये हैं उनको कागज में दर्ज कराने के लिये एक ड्राइव चला। कम से कम मैं अपने जिले की जानता हूं कि वहां एक ऐसा स्टीम रोलर चला कि जितने अधिवासी थे वह सब सीरदार बना दिये गये। मुझे मालूम है कि यह शायद मुझे इस समय यहां कहना नहीं चाहिये था लेकिन जब मैंने देखा कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो दसगुना लगाया जाता था उससे ले कर न जाने कहां-कहां के मामले इसमें कह दिये तो मैंने सोचा कि यह एक मौका है और मैं भी यह बात क्यों न कह दूं। जहां तक इस ड्राइव का सवाल है मैं माननीय मंत्री जी को इसका पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ८ या १० ऐसी विधवायें या नाबालिग बच्चे हैं कि जिनकी जमीनों पर कब्जा नहीं लिखा है और वह सब लिख दी गई है। मैं जानता हूं कि ऐसा अन्याय नहीं होने पायेगा लेकिन इसके साथ-साथ मुझे पूरा विश्वास है कि वह गरीब विधवायें जब काफी दौड़ेगीं, धूपेगीं तब कहीं जा कर उनके कागजों की दुरुस्ती होगी। मैं समझता हूं कि हमारे जिले में जो अन्य तहसीलें हैं उनमें यह प्रथा बरती गई कि पहले जितने अधिवासी इन विधवाओं और नाबालिग बच्चों के थे उनकी लिस्ट अलग कर ली गई, लेकिन हमारे यहां के स्टीम रोलर में वह सब नाबालिग बच्चे और विधवायें पिस गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई न कोई तरीका निकाला जायगा ताकि उनको बेकार का कष्ट और खर्च न भोगना पड़े।

अन्त में श्रीमन्, मुझे और कुछ न कह कर इतना ही कहना है कि जहां तक हमारी सरकार की स्कीमों का प्रश्न है वह ठीक है, लेकिन हमारे यहां उन सब के ठीक इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। कोई भी पापुलर सरकार कोई भी ऐसी चीज नहीं निकाल सकती, कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी योजना नहीं बना सकती कि जिससे कभी किसी व्यक्ति को कष्ट हो किन्तु उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक ढंग से होना चाहिये। कभी-कभी उनके इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत नहीं महान् कष्ट होता है। मैं आशा करता हूं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से कि वह इस चीज को देखेगी और यह देखेगी कि यह योजनायें जनता के हित के लिये बनाई जाती हैं। इसलिये उनका इंप्लीमेंटेशन ऐसा हो कि उसका अहित न हो सके, उसका हित ही होना चाहिये।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह एक पूरक बजट है। इसमें लगभग ५ करोड़ रुपये के अन्य अनुदानों को सदन से मांगा गया है। पिछला बजट जब हमारे सामने आया था तो वह एक घाटे का बजट था और इसके बाद में करीब ५ करोड़ रुपये की यह मांग है, यह भी उस घाटे को बढ़ा रही है और उसके बाद में भी अभी हम नहीं कह सकते, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ३१ मार्च तक। संभव है सरकार को इसके बाद भी उस समय तक एक पूरक बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत करना पड़े।

[श्री शिव कुमार शर्मा]

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परम्परा को, कि जहां एक नहीं कई कई बार पूरक बजट आता है हम कोई स्वस्थ परंपरा नहीं कह सकते। पिछले सालों में दो दो पूरक बजट प्रस्तुत किये गये है और मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी उस परंपरा को निभाया जायगा। लेकिन इससे इस बात पर प्रत्यक्ष नजर पड़ती है कि जब बजट तैयार किया जाता है तो ऐसी उन अचानक कठिनाइयों को कोई छोड़ कर जिनके ऊपर मानव का कोई अधिकार नहीं है, हम करीब-करीब उन खर्चों पर भी पूर्णरूपेण अधिकार नहीं रख पाते हैं कि जो सरकार के सामने रहते हैं। और जो योजना सरकार बराबर चालू करती है। इस बजट के अन्दर जो ५ करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है उसमें २ करोड़ रुपया वास्तव नें उन मदों पर है कि जिनका सरकार को क्या किसी मानव को भी ज्ञान नहीं हो सकता था कि मानव की सहायता के लिये हमको २ करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अनुदानों की मांग करना तो आवश्यक समझता हूं। इसके साथ-साथ मैं जहां पर अन्य कुछ ऐसी मांगें हैं जैसे सरकार ने वन रोपण के लिये की है, मैं समझता हूं इस प्रकार की मांग उपस्थित करना यों नाजायज नहीं है क्योंकि उससे पहले सरकार ५ लाख ४० हजार मंजूर कर चुकी है, और उसके अन्तर्गत सरकार ३ लाख ५० हजार के करीब करीब वनरोपण के लिये जो राजस्थान का रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है उसके लिये मांग है। मैं सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने एक भीषण समस्या की तरफ जो स्वाइल इरोजन का महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे प्रांत के सामने है, ध्यान दिया है और एक महत्वपूर्ण निश्चय किया है। संसार के सभी देश जो प्रगतिशील देश कहे जा सकते हैं वह यह मानते हैं कि संसार के अन्दर यदि कोई प्रलयंकारी चीज हो सकती है समाज के लिये अणु बम के बाद तो वह भूमि क्षरण है, दूसरा नहीं। इसलिये भूमि क्षरण की तरफ वास्तव में हमारा ध्यान जाना आवश्यक था। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है जब कि उसके अनुपात से भूमि की जो उर्बरा शक्ति थी वह गिरती जा रही है। भूमि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इलास्टिक हो। जनता की वृद्धि के साथ-साथ भूमि अपनी जगह पर सीमित रहती है बल्कि यदि हम कहें तो इसके माने यह हो जाते हैं कि भूमि सिकुड़ जाती है जब कि जनसंख्या बढ़ जाती है। आज हमारे प्रांत की यह हालत है कि, ६४ एकड़ के करीब प्रति व्यक्ति के पीछे जमीन रह जाती है, और उसमें यह हालत कि हमारे प्रांत में करीब ६० लाख एकड़ भूमि इस वक्त खतरे में है और ३० लाख एकड़ के करीब भूमि प्रायः भूमि क्षरण से नष्ट हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में यदि सरकार ने एक कदम उठाया है तो महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को जितना आगे बढ़ाया जाय, और एक ही जगह नहीं, बल्कि अन्य जगह भी जहां पर वनरोपण की आवश्यकता है, उनका भी उद्धार किया जाय तो अच्छा है।

साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि जहां तक स्वायल इरोजन का सवाल है प्रांत की सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा है और उस पर अभी तक कोई वैज्ञानिक रूप से रिसर्च नहीं किया गया है। जहां तक हम देखते हैं अमेरिका को आप ले लीजिये, तो वहां पर करोड़ों रुपया भूमि रिसर्च पर स्वाइल इरोजन से बचाने के लिये खर्च किया जाता है। वहां पर उनकी बराबर एजेंसियां हैं, उनकी सर्विसेज के अन्दर अलग विभाग है, उनका स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है ताकि वह आने वाले खतरों से अपनी भूमि बचा सकें। लेकिन हमारे प्रांत में इस तरह के न आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं और न रिसर्च किया गया। और न इस तरफ ध्यान दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं हमने बहुत प्रयत्न इस तरह की खोज करने के कार्यों का किया है जैसा हमारे सामने आया भी है, यहां पर सिंचाई लेबोरेटरीज कायम हैं। लेकिन जहां तक भूमि का संबंध है उस संबंध में कोई भी वैज्ञानिक संस्थायें यहां पर नहीं कायम कर रहे हैं। और जो रहीमाबाद में छोटा सा फार्म है, वह इतने छोटे दायरे में है कि उससे देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं आप के प्रांत में करीब सवा सात करोड़ एकड़ भूमि है जिसमें करीब साढ़े तीन करोड़ एकड़ भूमि खराब होती जा रही है उनका अगर उद्धार करना है तो बगैर किसी सर्विसेज के आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि यह भूमि आपकी जनता का पेट भर सकेगी इसके

आगे मुझे यह भी कहना है जहां तक बजट का संबंध है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि जहां पर रुपया हम अच्छी मदों पर खर्च करते हैं वहां पर ज्यादा रुपया बेकारी की ओर जाता है उसको हम नहीं रोक पाते।

अभी हाल का जिक्र है सदन के सामने प्रश्न पूछा गया कि हमने मोटरों के ऊपर कितना खर्च किया है तो उस वक्त में सदन के सामने जो आंकड़े प्रस्तुत हुये, उन्हें देखकर हैरत होती है और ऐसा मालूम होता है कि हम उस युग की तरफ जा रहे हैं जिसके भार को सहन करने की शक्ति हममें नहीं है। हमें बतलाया गया कि ४७ लाख रुपया अकेले मोटरों पर खर्च किया गया और उस ४७ लाख के अलावा और आंकड़े अगर उसमें जोड़ दें, जो तेल के ऊपर या और चीजों के ऊपर खर्च किया जाता है वह करीब-करीब कुल आंकड़े ९४ लाख या ९० लाख के करीब हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि करीब-करीब १ करोड़ रुपया हम मोटरों पर खर्च कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि मोटरों को देना अनिवार्य नहीं है। बहुत सी जगह मोटरें देना अनिवार्य है लेकिन जहां पर वह देना अनिवार्य है और वह दी जाती है वहां उनका किस प्रकार दुरुपयोग होता है, उसको देख कर दिमाग हिल जाता है। जहां कार्य में दक्षता के नाम पर, योग्यता के नाम पर मोटरें दी जाती हैं और सरकार इस बात को जानती है कि इसके बोझ को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, वहां उनका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है उसको देखते हुए यह अन्दाज करना कुछ मुश्किल नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। जिस प्रकार से जलपान गृहों के सामने वह मोटरें खड़ी दिखाई देती है, और जिस प्रकार से उनका उपयोग होता है उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस तरफ हमने जल्दी ध्यान नहीं दिया और इनके दुरुपयोग के रोकने की कोशिश नहीं की तो हमारा बहुत सारा धन इस प्रकार बर्बाद होता रहेगा। यह मैं मानता हूं कि आज के युग में मोटर पर, रेडियो पर या और इस तरह की चीजों पर रुपया व्यय किये बगैर हम प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन धन का दुरुपयोग हो, यह किसी हालत में उचित नहीं है। पाई-पाई करके हम धन इकट्ठा करते हैं और जब उसकी इस प्रकार हम बर्बादी होते देखते हैं तो हम सिहर उठते हैं। श्रीमन्, मैं खास तौर से इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह यह देखें कि इस तरह से वेस्टेज सरकारी खजाने का न हो।

एक चीज और मैं अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमन्, रेट टैम्पिजम इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि अगर आप देखें तो पायेंगे कि तीन-तीन चार-चार साल की पुरानी फाइलें यहां पड़ी हुई हैं, उनका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। सैकड़ों आदमी पेंशन के लिए धक्के खा खा कर के इधर-उधर घूमते फिरते हैं, अगर किसी का कोई मामला यहां पड़ा हुआ है तो उसके पास इतना रुपया तो है नहीं कि वह बार-बार यहां आये और यहां के सेक्रेटेरियट में यहां से वहां, वहां से यहां चक्कर काटता फिरे, इतने पर भी उसका काम पूरा नहीं होता है। मैं पर्सनली कई ऐसे केसेज को जानता हूं जिनमें वह बेचारे बार-बार आने जाने में हजार-हजार पांच-पांच सौ रुपया खर्च कर चुके मगर आज तक उनकी फाइलों पर कोई आर्डर नहीं हुआ है। क्या मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वह क्या कोई ऐसा आर्डर नहीं कर सकते कि फाइलों के ऊपर कोई तारीख निश्चित कर दें, और उस अवधि के अन्दर फाइल अवश्य डिस्पोज आफ हो जाय। अगर उस अवधि के अन्दर नहीं होती है तो कोई कारण नहीं है कि उस अधिकारी से जवाब तलब न किया जाय और उसके खिलाफ ऐक्शन न लिया जाय। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हम डेमोक्रेसी के जमाने में जब कि हमें जनता को अधिक से अधिक सुख पहुचाने की चेष्टा करनी चाहिये, वह अपना रुपया खर्च करके बार बार-यहां आयें और महीनो पड़े रहें और यहां के सेक्रेटेरिएट में जो खुशामद की मांग होती है, वह तो अलग है, मगर फिर भी उनका काम न हो। तो मैं यह कहूंगा कि जहां हम उनके ऊपर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, इतना ज्यादा आफिसर्स का और कर्मचारियों का एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, चारों तरफ आफिसेज बढ़ रहे हैं, वहां हमें इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है अगर आप देखें तो चारों परफ सेक्रेटरिएट में लोग रोते फिरते हैं मगर उनकी फाइलें डिस्पोज आफ नहीं होतीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो यह देख कर हैरत होती है कि कैसे इस प्रकार शासन का कार्य सुचारु रूप

[श्री शिवकुमार शर्मा]

से चल सकेगा। हर तरफ से आफिसर्स के बढ़ाने की कर्मचारियों के बढ़ाने की मांग है, हर जगह और आदमी मांगे जा रहे हैं, मगर फिर भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के लगभग ९२ करोड़ रुपये के बजट में ५ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग एक छोटी सी मांग है। इस मांग में बहुत से ऐसे आवश्यक आइटम हैं जिनके लिए हमें सरकार को थोड़ी बधाई देना आवश्यक है। सोशल वेलफेयर के सम्बन्ध में जो अनुदान है उसकी मैं सराहना करता हूं और सदन भी उसका स्वागत करेगा। इस अनुदान के सम्बन्ध में, यह सोशलवेल्फेयर मिनिस्ट्री तो बाद को कायम की गयी और उस समय से जो काम किया गया पिछले बजट में इसके लिए काफी इन्तजाम नहीं हो सका। और मैं समझता हूं कि कई बार सदन की ओर से इस बात का तकाजा किया गया है, और इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की है कि इस प्रदेश में, बल्कि सारे भारतवर्ष में, भीख मांगने वालों की, डेस्टीजट्यूट्स की, और ऐसे अनाथों की बहुत बड़ी संख्या है जो सड़कों, मंदिरों और समाज में बेकार घूमते रहते हैं, और इस समाज और सरकार को बदनाम करते हैं, और हमारी परेशानी भी उनके कारण बढ़ जाती है। उनके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है और मैं समझता हूं कि उस व्यवस्था में सरकार गहरा कदम उठायेगी, क्रांतिकारी कदम उठायेगी। ऐसे कानून बनायेगी जिसमें भीख मांगने की प्रथा हमारे प्रदेश में सर्वदा के लिए नष्ट हो जायेगी। लेकिन उसके साथ-साथ आवश्यकता इस बात की है कि उनके लिए हमेशा के लिए ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि उनके जो गृह बनें, जो संस्थायें बनायी जायं वह सेल्फ सपोर्टिंग हो जायं। अनाथ हों, लूले हों, लगड़े हों, बहरे हों, गूंगे हो, जो आज सड़कों पर फिरते हैं जो जीवन को और समाज को घृणित बनाते रहते हैं, जो मंदिरों के स्थान पर या रेलवे स्टेशनों पर अगर जाइये तो मुश्किल हो जाता है उनके कारण ठहरना, बैठना, और खाना उनको स्थान देकर उनके जीवन की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कराने और उनसे मानवीय जीवन के लिये उद्योग कराने के लिए ऐसे कानून आयेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे कानून जो रचनात्मक और क्रियात्मक होंगे और निश्चित रूप से समाज को एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे इस बात की आवश्यकता कई लेखों में लोगों ने दिखाई है। और मैं समझता हूं कि हमारे सोशलिस्ट पटर्न आफ सोसाइटी के अनुरूप भी यह बात होगी कि यह जो समाज का घृणित कोग सा है समाप्त कर दिया जाय। तो यह अनुदान में ऐसी मांग है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को विरोध नहीं होगा और स्वागत की बात है और यह स्वागत हम सबको करना चाहिये।

एक दूसरी बात कही गयी है जो कि विलेज चौकीदार के सिस्टम को एबालिश करना है। मैं समझता हूं कि अगर इस पूरे बजट में कोई नवीनतम कदम उठाया गया है तो यही है। क्योंकि चौकीदारी सिस्टम ऐसा है कि हम प्रत्येक चौकीदार की दशा पर रोज कहा करते हैं कि उसे ढाई तीन रुपया तनख्वाह मिलती है, और दिन-दिन भर की परेशानी है और कोई समाज का ऊंचा आदमी ऐसा नहीं है जो उनसे मेहनत न लेता हो। हम चाहते हैं कि या तो ऊंचा दर्जा इसका हो जाय, जो कि असंभव है, या वह सिस्टम हटा दिया जाय। इसमें सन्देह नहीं मुमकिन है कि सिपाही, कानिस्टेबिल से जो एक्सपेरीमेंट होगा उससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो वैसी गड़बड़ी हमारे समाज में होती रहती है। चौकीदारों के न रहने से सिपाहियों का काम तो रुकता नहीं और पुलिस डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट्स में जो हस्तक्षेप या धांधली या घूसखोरी होती है उसमें कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन एक जबरदस्त फर्क आ जाता है, कि चौकीदार जिसकी दशा पर हम सोचा करते थे एक पूरा लम्बा-चौड़ा आदमी तीन रुपये में ढाई रुपये में गुलाम बन जाता था। थानेदार जब चाहे, दो तीन मर्तबा जरूर थाने पर जाना पड़ता है। घास छीलता है और हर तरह का काम करता है। तो वह बातें खत्म होनी चाहिये थीं और मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जिसने एक गहरा और स्वस्थ कदम एक नया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदम उठाया है इस प्रथा को सर्वदा के लिए बन्द करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि एक्सपेरीमेंट के लिए दो जिलों में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रथा को बन्द कर देना चाहिये। कोई काम स्वागत के अनुरूप हो रहा है तो यह हुआ है। इसलिए सरकार को बधाई देता हूं कि उसने एक नया कदम उठाया है।

मैं भी अन्य सदस्यों के साथ इस रायल होटल की खरीदारी पर एक बात कहता हूं और यह है कि वैसे तो रायल होटल की कीमत सबको अधिक दीख पड़ती है लेकिन मैं लेमैन की हैसियत से ठीक नहीं बता सकता कि उसकी कीमत सही है या कम। हम इसमें एक दूसरी प्रवृत्ति का दिग्दर्शन करते हैं। वास्तव में इन्फार्मेशन का काम राज्य सरकार के लिए महत्व का होता है और हम जानते हैं कि दूसरे मुल्कों में, रूस, अमरीका, फ्रांस में, सरकार सूचना की मद में बहुत अधिक खर्च करती है। हमारे इस देश में जहां गांवों में शिक्षा का अभाव है, सरकार क्या करती है इनके जाने बिना लोग भ्रम में पड़े रहते हैं। तो इस पर बहुत ही अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन वह धन खर्च किस प्रकार से किया जाय, किन मदों में खर्च किया जाय इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर बड़ी-बड़ी इमारतों और फर्नीचर में बड़ी-बड़ी रकमें खर्च कर डालेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बेसिक मिस्टेक करते हैं अपनी पालिसी के बनाने में, और वह बेसिक मिस्स्टेक यह है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की तरफ तो हम कदम उठाते हैं बल्कि दूसरी दिशा में हमारा कदम उठ जाता है। मैं यह नहीं कहता कि जानबूझ कर एक बात की जाती है लेकिन अनजाने में एक गलती हो जाती है और जो हमारी बेसिस होनी चाहिए उस ओर कदम न उठा करके गलती से दूसरी ओर हमारा कदम उठ जाता है। मैं यह प्वांइट आउट करना चाहता हूं दो दृष्टिकोणों से, एक तो यह कि इन्फार्मेशन पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च करने की आवश्यकता है वह नहीं हो रहा है। दूसरे यह कि जनता में भी जो हमारी कार्यवाहियों के प्रति एक रोष पैदा होता है वह गलत पैदा हो जाया करता है। मैं जानता हूं कि सरकार हर बात को दृष्टिकोण में रखती है। मैं अनुरोध करूंगा कि आगे जब कदम उठाया जाय इन दिशाओं में तो सरकार उसको बहुत जानबूझ कर उठाये, और देखे कि जनता पर उसका क्या असर पड़ेगा और उसका परिणाम क्या होगा सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी के बनाने में।

मैं विरोधी दल के नेता माननीय गेंदासिंह के साथ पूर्वी जिलों में या उन तमाम जिलों में जहां बाढ़ आती है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें संदेह नहीं कि सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है और इसके कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने तत्काल कदम उठाया है, लेकिन हमारा एक बेसिक प्रश्न है। ये पूर्वी जिले तो बाढ़ और सूखा के शिकार बन गये हैं, बाढ़ के बाद सूखा और सूखा के बाद बाढ़, और बाढ़ न आई तो सूखा, यह कई वर्षों से हो रहा है और बार-बार इस सदन में इस प्रश्न को हम उठाते हैं। हमको एक बात की झिझक होती है कि हम दीन-हीन की दशा में त्राहि-त्राहि करते हैं। हम पूर्वी जिलों के लोग हमेशा भीख मांगने के रूप में सामने आते हैं। सरकार की भी बदनामी का एक कारण होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बेसिकली इस चीज को टैकिल करने की आवश्यकता है। क्योंकि पानी वहां इकट्ठा हो जाता है, क्यों नहीं निकलता है, इन तमाम बातों को विचारने के लिए एक कमेटी तो है फ्लड की, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था करें वहां की टोपोग्रेफी को अध्ययन करने का ताकि इस समस्या का कोई हल निकल सके। आखिर पूर्वी जिलों को रखना है, उनको मैप से बाहर नहीं कर देना है, और हमेशा त्राहि-त्राहि की स्थिति में नहीं रखना है, तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को सर्वदा के लिए सुलझाने के लिये कोई कमेटी बननी चाहिए जिसमें एक्सपर्टस् भी हों, और लैमेन भी हों और चाहे नहर बना कर, चाहे सड़कें तोड़ कर, चाहे पुल बनाकर, रेजरवायर बना करके, चाहे जैसे भी हो इस समस्या को बेसिकली हल करना है। मैं सरकार को पुनः धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से बजट को लाकर के उन्होंने एक अच्छा काम किया है।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय सभापति जी, जो पूरक अनुदान भवन के सामने पेश हैं उनके उपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन, इसके उपर जो सचिव ने नोट दिया है उसको मैंने पढ़ा। उसको देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि इसमें ज्यादातर रुपया नई मदों के लिए मांगा गया है। श्रीमन्, पूरक अनुदान, जो मेरी समझ में आया है, अधिकतर जो बजट स्कीम पास हो गई है जिनके लिये हमने रुपया खर्च करने की इजाजत दे दी है, उनमें अगर कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिये पूरक बजट पेश किया जाता है और हम मंजूर करते हैं।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस अगर वे पढ़ डालें तो उन्हें मालूम होगा कि अनुपूरक अनुदान खास कर के उन मदों के लिये होते हैं जो नये और बहुत जरूरी होते हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसकी जानकारी कराई लेकिन मैं यह समझता हूं कि नई मदें ज्यादातर बजट के मौके पर आनी चाहियें।

अधिष्ठाता—अगर वह बहुत जरूरी है तो बीच में आ सकती है।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं मानता हूं श्रीमन, वह जरूरी कतई नहीं है, बल्कि वह तो बहाने के लिए टोकिन ग्रांट में रख कर पास करा लें और बचत करने के लिए कि वह सबके सामने न आये और उनको पूरक बजट में रख कर पास करा लें, इस तरह से मैं इसको समझता हूं। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो बजट के मौके पर आनी चाहियें थीं। श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊं जैसे कि सूचना विभाग में जो फिर से जिलों में जिला अधिकारी रखे गये हैं उनको अभी रखा गया है। और इसी बजट में देखिये कि उनका वेतन बढ़ाने के लिये रखा है और इतना बढ़ा रहे हैं कि जितना जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों का भी नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि चीज बजट के मौके पर आनी चाहिये थी। उनकी अभी तकरूरी की गई है और इस समय सूचना मंत्री जी मौजूद हैं वह देखेंगे कि अभी इनकी नियुक्ति हुये साल भर भी नहीं हुआ, और उन्होंने अभी ठीक तरह से काम भी नहीं शुरू किया कि उनकी तारीफ करने लगे कि उनका काम बहुत बढ़ गया है। जब कि प्लानिंग आफिसर्स हो गये हैं और यह उनके नीचे काम करेंगे तो फिर कोई कारण नहीं है कि उनके लिये इतनी सुविधायें और इतना रुपया देने के लिये सरकार तैयार हो जाय।

श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि जहां तक बाढ़ पीड़ितों का सवाल है और जहां-जहां बाढ़ आई है, उनके लिये सरकार ने जो रुपया मांगा है, मैं समझता हूं कि सरकार ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है, और मैं उनको बधाई देता हूं। सरकार का कर्त्तव्य था और उसने जो कार्य किया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि दो करोड़ रुपया कम है, मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो रकम खर्च की गई है वह काफी है और काम ठीक चल रहा है।

आइन्दा दूसरा अनुदान है जैसे कि शिक्षा में एक स्कूल के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि बिडला स्कूल नैनीताल में है उसकी ग्रांट १२,००० कर दी जाय, तो यह प्राविजन बजट के मौके पर आ सकता है, क्योंकि इतना यह आवश्यक नहीं है जबकि हम घाटे में बजट चला रहे हैं तो इसको टोकिन ग्रांट में मंजूर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जिनको अधिक जरूरत है लेकिन इसके पास कराने की कोशिश की जा रही है।

इसी तरह से वृक्षारोपण के लिये कहा गया कि इसके ऊपर ५,९०,००० रुपया खर्च किया जा चुका है, और अब तीन लाख के ऊपर मांगा जा रहा है। यह चीज ऐसी है कि इस उद्देश्य को तो हम मानते हैं और वह होना चाहिये लेकिन जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। इसमें शीयर वेस्ट आफ टाइम और मनी का सवाल आ जाता है। एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जब वे मथुरा में गये तो वृक्ष तक नहीं लगाये गये थे। जो स्कीम सरकार चलाती है और पूरक बजट में इतना रुपया मांगती है तो उसके ऊपर अच्छी तरह से डिसकशन होना चाहिये, और हम लोग समझें कि इस तरह से व्यय होगा। यह चीज ऐसी नहीं है कि साल दो साल में वृक्ष लग जायंगे बल्कि वर्षों में वृक्षों का आरोपण कर सकेंगे। इस लिये इस पर जल्दी-जल्दी में ३/४ लाख रुपये को इस तरह से पूरक बजट में रख कर मंजूर कराने का तरीका ठीक नहीं है। अभी तक यही तरीका है कि टोकिन ग्रांट यहां रख कर पास करा लें और फिर आगे के लिये उसे पक्की करा लें, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

मेरा कहना यह है कि जो रुपया पब्लिक से आये उसमें से एक-एक पैसे का ठीक तरह से व्यय होना चाहिये। मैं देखता हूं कि जिस स्कीम को पास किया है उसमें यदि खर्चा नहीं हुआ तो कोई न कोई स्कीम रख कर उस रकम को खर्च करने के लिये पास किया जा रहा है।

इसी प्रकार से अल्प बचत की योजना फिर से चालू रखने के लिये रखी है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता कि वह चालू न हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यह वसूली की जाती है वह ठीक नहीं है। मैं माननीय माल मंत्री जी के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही तरीका है जो अंग्रेजों के जमाने में था। पटवारी या लेखपाल और कानूनगो को हुक्म होता है कि तुम इतना ३०० या ५०० रुपया वसूल करके लाओ, वह जाकर घूमते हैं और काश्तकारों से रुपया वसूल करते हैं। वह २० तरह के हथकंडे चलाते हैं कि तुम्हारा काम नहीं किया जायगा, और यह कर दिया जायगा तो उनसे यह बातें कह कर रुपया वसूल करते हैं, इससे आपकी राष्ट्रीय योजना को लान्छन लगता है। यह योजना इसके लिये नहीं है कि उनको परेशान किया जाय। यह तो हमारे फायदे के लिये है लेकिन इससे लोगों को परेशान किया जाता है। मेरा कहना यह है कि मुझे इसकी वसूली से एतराज नहीं है लेकिन उसका तरीका होना चाहिये। जो कार्यकर्ता लोग हैं एस० डी० ओ० वगैरह, अगर वह वसूल करें तो हम समझ सकते हैं कि लोगों को समझा कर वह वसूल करेंगे। लेकिन ये लोग जिस तरह से वसूल करते हैं वह तरीका ऐसा है जिसको मैं पसन्द नहीं करता हूं। इसलिये सरकार इस योजना के लिये रुपये को वसूल करने में ध्यान रखे।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कानपुर में उन्होंने अस्पताल खोलने का विचार कर लिया है। ऐसी जगहों में यह काम होना बहुत अच्छी बात है। उद्योग के लिये जो रुपया मांगा गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यह ठीक है कि हमारे उद्योग बढ़ायें जायं लेकिन यह रुपया इस वक्त न मांग कर बजट के समय मांगा गया होता तो हम लोगों को इस पर विवाद करने का मौका मिलता। इस वक्त इसको पास कर दिया जायगा। लेकिन फिर बजट के समय यह सामने आयेगा। लिहाजा इस समय इसके पास होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार सदन के सामने रखता हूं।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, सप्लीमेंटरी बजट जो आज हमारे सामने पेश है, और जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं इसको मैंने बहुत गौर से देखा। एक बात बहुत अहम मुझे इसमें नजर आयी। मैंने देखा कि बहुत से इसमें जो नये डिपार्टमेंट होते हैं वह ठीक काम नहीं कर सकते हैं। तो उस साल उनको काम आधा और चौथाई रह जाता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी मदें जो बजट में होती हैं उन पर पूरा खर्च नहीं हो पाता है। तो वैसे तो इसमें बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं एक खास चीज जो मेरी समझ में आयी उसी की तरफ आपके द्वारा अपने मन्त्री महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वह है बजट बनाने का तरीका और उसके बाद उस रुपये को खर्च करने का जो तरीका है, उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिये ताकि यह न हो सके। बजट बनाने का आज तरीका यह है कि न्यू शिडयूल आफ डिमान्ड्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

सितम्बर में हर डिपार्टमेंट बना कर सरकार को देता है और दिसम्बर तक वह कैबिनेट के सामने पेश होती है। उसके बाद कैबिनेट उनको देखता है और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से उनमें कटी या बढ़ी करता है। यह बात सही है कि हमारे मंत्रियों में देश की खिदमत करने के बहुत ही जज्बात हैं। उनका यह अरमान होता है कि थोड़े से थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का काम कर सकें। और उनमें यह होड़ सी उनके विभागों में हर तरीके से काम करने की होती है कि एक दूसरे से ज्यादा और जल्दी काम किया जाय। उसका नतीजा यह होता है कि बहुत सा रुपया न्यू शिडयूल आफ डिमान्ड्स में निकल जाता है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। जब वह मंत्रिमंडल के सामने जाती है तो उसमें से आधी या चौथाई मंजूर की जाती है और जो न्यू शिडयूल आफ डिमान्ड्स होती है उनको फिर वापस किया जाता है, तब सचिवालय में उसके ऊपर काम होता है। इसका नतीजा यह होता है कि सचिवालय में काम बहुत बढ़ जाता है। अगर इसकी जगह पर हर डिपार्टमेंट अक्तूबर के महीने में अपना बजट भेज दे और मंत्रिमंडल बैठ कर आगामी वर्ष की तस्वीर हर विभाग को बता दे कि इतना रुपया हम दे सकेंगे, तब न्यू शिडयूल आफ डिमान्डस् बनाई जांय तो मैं समझता हूं कि ५० फीसदी काम सचिवालय का कम हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हम अपना बजट मार्च में पास करते हैं और वह अप्रैल से लागू होता है। जब अप्रैल में नई मदों के लिये रुपया स्वीकार होता है इमारतों के लिए, या नई योजनाओं के लिए रुपया मंजूर होता है तो उसका नतीजा यह होता है कि जिन नई सर्विसेज के लिए रुपया स्वीकार होता है, उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से आदमी मांगे जाते हैं, इमारतों के बारे में पी० डब्लू० डी० को लिखा जाता है और इसी सब में ६ मास लग जाते हैं। और जब तक इब्तदाई कार्यवाही की नौबत आती है तो साल के ६ महीने बीत चुकते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत काम शुरू होता है तब तक साल खत्म होने लगता है। एक उदाहरण मैं दे दूं कि जिस तरह से हमारे यहां डायरेक्टोरेट आफ जियालाजिकल सर्वे खोला गया। आप जानते हैं कि खनिज पदार्थों की खोज का कार्य गर्मियों में ही ठीक से हो सकता है, लेकिन जब मार्च के आखिर में बजट पास होता है तो काम अप्रैल में ही शुरू हो सकता है, उस सूरत में गर्मी में ठीक वक्त पर काम शुरू नहीं हो पाता, पहाड़ों में बरसात में भी यह काम नहीं हो सकता, नतीजा यह होता है कि सारे का सारा साल खत्म हो जाता है और डायरेक्टोरेट आफ जियालाजिकल सर्वे का काम नहीं हो पाता। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ओर भी पूरा ध्यान दिया जाय। मेरा सुझाव है कि या तो यह करें कि फरवरी तक बजट पास कर दें ताकि हर विभाग समझ ले और अप्रैल तक काम शुरू हो जाय और अप्रैल से खर्च शुरू हो जाय। मैं नहीं कहता कि अप्रैल से पहले रुपया खर्च कर लें लेकिन पहले से मालूम हो जाय कि कितना खर्च होना है, कितने कर्मचारी रखने हैं, कितनों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखना है, या इमारत बनाना है उसके लिए क्या करना है, यह सब कार्यवाही पहले से ठीक कर ली जाय।

इसके अलावा मुझे अफसोस है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन उनके उपमंत्री जी हैं। मैं आपके द्वारा उनका ध्यान शिक्षा विभाग की ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं। शिक्षा विभाग में और खास तौर से डायरेक्टोरेट आफ एजूकेशन में जो अन्धेरखाता हो रहा है, उसकी ओर मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बात छोटी सी है लेकिन बहुत खतरनाक और गम्भीर है जिसको मैं सदन के सामने रख रहा हूं। यहीं के क्रिश्चियन कालेज का एक लड़का केमिस्ट्री

में फेल हुआ, उसने परीक्षा में एक विषय में जीरो पाया और उसकी वजह यह थी कि उसका जवाब तो सही था जो उसने लिखा था लेकिन अन्दर जो उसने सवाल को हल किया था, वह बिल्कुल गलत था और इसी कारण से उसको जीरो दिया गया। लेकिन वह लड़का किसी वजह से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, और उसमें यहां के डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन इन्टरेस्टेड हो गए और उसके लिए तरह तरह की धमकियां क्रिश्चियन कालेज वालों को दी गईं और जब उन लोगों ने उसको पास करने से इन्कार कर दिया तो बाद में अपने कलम से ही डिप्टी डायरेक्टर एजूकेशन ने उस लड़के को पास कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा कायदा है, कहां वह प्राविजन है जिसके अनुसार डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने उसे पास कर दिया। जब वह लड़का दूसरे कालेज में जाने लगा तो उसने क्रिश्चियन कालेज से अपना ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मांगा तो प्रिन्सिपल ने उसको फेल लिख कर दिया लेकिन डिप्टी डायरेक्टर की आज्ञा से वह पास हो गया। यह कार्यवाही लखनऊ में, सरकार की नाक के नीचे हुई। जब शिक्षा सचिवालय में ऐसा होता है तो फिर नीचे जो न हो वह थोड़ा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें और जितनी ही जल्दी इस तरह की गन्दगी को वह शिक्षा विभाग से दूर कर सकें अच्छा है। जब शिक्षा के कर्णधार ऐसी बातें और यह हरकतें करें तो क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है ?

इसके अलावा मैं एक और बात पेश करना चाहता हूं और वह यह कि शिक्षा विभाग में किस तरह से काम होता है।

अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस रूलिंग की ओर दिलाना चाहूंगा जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय हाफिज जी के कहने पर दी थी। उन्होंने निर्णय किया था कि सप्लीमेंटरी बजट में जो आइटम्स हैं उन्हीं पर बहस हो सकती है और उन्हीं की नीति पर समालोचना हो सकती है और जो बातें सप्लीमेंटरी बजट में शामिल नहीं हैं वह इस समय नहीं आ सकतीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आज जो रूलिंग एडजर्नमेंट मोशन के अवसर पर दी गई जब कि उन्होंने स्वयं कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के मामले में आज बहस हो सकती है। वह आइटम आज के बजट में नहीं है लेकिन एडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि हो सकता है और यह आज की उनकी रूलिंग है।

अधिष्ठाता---वह रूलिंग मेरे पास इस समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने किसी दूसरे सिलसिले में कहा होगा।

श्री भगवान सहाय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे कहने को आपने इस रोशनी में देखा है। मैं अब भी देखता हूं कि शिक्षा विभाग की नीति पर कहने का मुझे सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में पूरा अधिकार है। मैं आपकी आज्ञा के सामने नतमस्तक हूं। लेकिन मैं अपनी जगह पर समझता हूं कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पायेंगे कि कोई गलती की बात नहीं है। क्योंकि जब तक मैं इस बात से संतुष्ट न कर दूं कि शिक्षा विभाग की कार्यवाहियां ठीक नहीं हो रही हैं तब तक इस सप्लीमेंटरी बजट के पास करने में मैं कहां तक कांशसली सही हूं ?

दूसरी बात, शिक्षा विभाग के सिलसिले में कोर्सेज की है। मैं अधिक न कह कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन पुस्तकों में बेगम मुमताजमहल को जहांगीर की बेगम कहा गया हो उनसे लड़के क्या पढ़ेंगे और उन किताबों को पास करने वालों को क्या कहा जाय, इसको माननीय मंत्री जी ही पर छोड़ता हूं। इसके अलावा १९५६-५७ तक में

[श्री भगवान सहाय]

हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में जो विद्यार्थी इम्तहान देंगे उनको कौन सी किताबें पढ़ाई जायंगी, यह सिलेबस अगस्त के महीने तक पहुंच जाना चाहिये था लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है, यह है शिक्षा विभाग का कार्य।

अब एक और अहम बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज कल नौकरियों में एक्सटेंशन की प्रथा बहुत है। बार-बार इस सरकार ने कहा है कि उसकी नीति एक्सटेंशन देने के खिलाफ है लेकिन आज कल एक्सटेंशन की जगह पर रिएम्प्लायमेंट, आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी की भरमार हो गई है, और यह एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। पचपन साल में आदमी रिटायर हो गया अब उसको आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी बना कर ले लिया। यह किसी टेकनिकल पोस्ट के लिये हो तो वह भी सही लेकिन साधारण कामों में भी यही होना यह उस नीति के विपरीत है जो सरकार की घोषित नीति है।

एक और अहम मसला है और वह यह है कि कंटिन्जेंसी फंड से ऐसी रकमें निकाली जाती हैं जो साल ब साल खर्च होती हैं। जैसे इंडिपेन्डेन्स डे को ५०, ६० हजार रुपया खर्चा होता है वह हर साल इसी कंटिन्जेंसी फंड से निकाला जाता है, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। इसके अलावा सेलेक्ट कमेटी या अन्य कमेटियों में जो जलपान आदि होता है उसका खर्च साल ब साल होता है। और वह हर साल कंटिन्जेंसी फंड से निकाला जाता है, यह भी मुनासिब बात नहीं है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--मैं अब यह उचित समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष के निर्णय को आपके सामने पढ़ दूं जिससे कि माननीय सदस्यों को इसके बारे में गलतफहमी न हो।

"अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद में तारीख २१ सितम्बर को सदन में यह प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सामान्य विवाद के अवसर पर बजट सम्बन्धी नीतियों या सिद्धांतों पर विवाद किया जा सकता है या नहीं। और यदि उनके सम्बन्ध में विवाद किया जा सकता है तो क्या वार्षिक बजट सम्बन्धी नीतियों तथा सिद्धान्तों पर भी अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद के अवसर पर विवाद हो सकता है, या केवल पूरक अनुदानों में निहित जो नीति या सिद्धान्त हैं, उनके सम्बन्ध में ही बहस सीमित रहनी चाहिये। जैसा कि वित मंत्री जी ने उस दिन कहा था, यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने सदन में कई बार अपना निर्णय दिया है। मैंने वे निर्णय देखे हैं। और लोक सभा के अध्यक्ष तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्पीकर के निश्चित निर्णय भी देखे हैं। इस बीच में मैंने उस पर काफी विचार किया और इस प्रश्न के हर पहलू पर नजर डाली है। श्री नारायणदत्त तिवारी जी से भी इस सम्बन्ध में परामर्श हो चुका है। अन्त में मैं पूर्ण विचार के पश्चात् इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि अनुपूरक बजट के सामान्य विवाद में उक्त बजट की सरकारी नीतियों या सिद्धान्तों की आलोचना साधारणतः केवल उन नीतियों या सिद्धान्तों के सम्बन्ध में हो सकती हैं जो कि अनुपूरक अनुदानों में निहित हों या उनसे उत्पन्न होते हों। यही आशय हमारे नियम १५७ के साथ नियम १५२ को पढ़ने से तर्क शुद्ध प्रतीत होता है। वार्षिक बजट की नीतियों या सिद्धान्तों पर फिर से आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन पर सदन पहले विवाद कर चुका है और उनको स्वीकार भी कर चुका है। हां, यदि किसी अनुदान में वार्षिक बजट की निर्धारित नीति पर सरकार क्रियात्मक रूप से चलने में वार्षिक बजट की स्वीकृति के पश्चात् असमर्थ रही हो तो ऐसी असाधारण परिस्थिति में वार्षिक बजट की केवल उस अनुदान से सम्बन्धित नीति पर भी आलोचना की जा सकती है। मैं यहां पर स्पष्ट कर देना उचित समझता

हूं कि यद्यपि पिछले निर्णयों के बाद इस आदरणीय सदन में सामान्य विवाद सीमा के बाहर कभी-कभी होता रहा है, तथापि यह परिपाटी उचित न होने के कारण उसे संयम में लाने का भविष्य में मैं प्रयत्न करूंगा और कटौती के प्रस्ताव भी निर्धारित सीमा का उल्लंघन न करें, ऐसे रूप में ही स्वीकार किये जायं।"

मैं भी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया है उसे वे समझ लें और उसी के दायरे के भीतर अपने विवाद को रक्खें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये यह जो ५ करोड़ और ११ लाख रुपये के अनुपूरक अनुदान माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सम्मुख पेश किये हैं, उनमें कुछ विभिन्न अंशों में जैसे कि पढ़े लिखों की बेकारी को दूर करने के लिये सिविल इंजिनियरिंग स्कूल, लखनऊ और रुड़की में कुछ क्लासेज का खोलना तथा जिलों के स्तर पर कर्मचारियों के लिये अल्प बचत योजना के मातहत कुछ भत्ते में वृद्धि करना आदि-आदि बातों को देख कर यह मालूम होता है कि हमारी सरकार हर समय चाहे वह बजट वर्ष का आरम्भ हो चाहे वह पूरक बजट का समय हो इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि वह प्रदेश की जनता की हर प्रकार की सेवा अधिक से अधिक कर सके। अतः मैं इस पूरक बजट के लिये सरकार को और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही जो हमारे उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की १ करोड़ से अधिक जनता है, जो अत्यन्त पीड़ित व त्रस्त है, उसके लिये लगभग २ करोड़ रुपये का जो पूरक अनुदान मांगा गया है उस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा उनकी तकलीफों और कष्टों को देखते हुए वह बहुत कम है। मैं भी आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अधिक ध्यान देगी और उनके दुखों को दूर करने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील रहेगी। परन्तु सरकार की जो नीति है और जो ध्येय उसकी अक्सर कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जो सही तौर से पूरा नहीं करते, और जो सरकार की ख्याति और प्रसिद्धि जनता में होनी चाहिये वह नहीं हो पाती क्योंकि जो-जो कार्य सरकार बजट में या पूरक बजट में रखती है उन सबका लाभ सीधा और यथासमय जनता को नहीं प्राप्त हो पाता। अधिष्ठाता महोदय, इसी पूरक बजट की एक बात मैं आपके समक्ष उपस्थित कर देना चाहता हूं। शिक्षा के अनुदान में रामपुर के रजा पुस्तकालय को दूसरे भवन में स्थानान्तरित करने के लिये ६५ हजार रुपये का अनुदान रक्खा गया है, जिसमें ३० हजार पहले दिया जा चुका है और ३५ हजार अब दिया गया है। इस सम्बन्ध में जो लिखा गया है मैं उसे ही पढ़ना चाहता हूं, वह इस प्रकार है:--

"जिस इमारत में पुस्तकालय अवस्थित था उसमें रखी पुस्तकें और अन्य संगृहीत सामग्री खराब होने लग गयी थीं और यदि बरसात शुरू होने के पूर्व पुस्तकालय हमीद मंजिल में न ले जाया जाता तो इन पुस्तकों और अन्य संगृहीत सामग्री को और अधिक नुकसान पहुंच सकता था। इस पुस्तकालय में बहुमूल्य हस्तलिखित पुस्तकें, चित्र आदि हैं और यदि यह संगृहीत सामग्री खराब हो जाती तो राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति होती। इसलिये वर्षा के आरम्भ से पूर्व ही हमीद मंजिल में अपेक्षित परिवर्तन और परिवर्द्धन आदि करके इस पुस्तकालय को उसमें ले जाना आवश्यक था। चूंकि जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह कार्य अपरिहार्य और आवश्यक था और उसे तुरन्त करना था, इसलिये आकस्मिकता निधि में से रुपया निकालने का प्राधिकार देकर ३५,००० रु० के अनुदान के लिये आवश्यक स्वीकृति दे दी गई।

इससे प्रतीत यह होता है कि यह पुस्तकालय बरसात से पहले मई के महीने में वहां से हटा दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी यह पुस्तकालय उसी पुरानी इमारत में ही विद्यमान है, जब कि बरसात शुरू होने के बदले समाप्त होने को भी

[श्री कृष्णशरण आर्य]

आ गई। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ विभाग ऐसे अवश्य हैं जो सरकारी निर्णयों का पालन नहीं करते। इसी तरह चिकित्सा विभाग का एक निर्णय था लगभग दो वर्ष पहले का कि रामपुर की शाहाबाद तहसील में एक मेटर्निटी सेंटर खोल दिया जाय, वह खोल दिया गया। वहां पर लगभग एक साल से पच्चीस रुपया मासिक किराये का मकान है, चपरासी नियुक्त कर दिया गया और सामान रखा हुआ है, लेकिन मिडवाइफ आज तक नहीं पहुंची। इससे जनता को लाभ नहीं पहुंच सका हालां कि सेंटर खुल गया। इसी प्रकार उस दिन अधिष्ठाता महोदय, एक प्रश्न मेरा था माननीय राजस्व मंत्री से संबंधित जिसमें उन्होंने बताया था कि जो तीन जिलेदार रामपुर के लगभग २६ हजार रुपया सरकारी लेकर पाकिस्तान भाग गये थे उनके मकानों की जमानत से वह रुपया वसूल कर लिया गया है। जब कि वास्तविकता यह है कि न उनका कोई मकान जमानत में था, न है और न एक पैसा आज तक वसूल किया जा सका है। इस तरह यह लगता है कि कुछ विभागीय अधिकारी, मैं सबको नहीं कहता, बहुत ईमानदार और सिंसियर भी हैं, ऐसे जरूर हैं कि जो सूचना गलत देते हैं और माननीय मंत्रीगण उनकी सूचना सही मान कर निर्णय किया करते हैं। एक और उदाहरण यह है कि अक्तूबर १९५४ में एक सरकारी आदेश निकला था कि विलीन राज्यों रामपुर, बनारस और टेहरी के कर्मचारियों की सीनियारिटी उसके आधार पर निश्चित की जाय। किन्तु ११ महीने उस आदेश को हो गये हैं। शिक्षा और चिकित्सा विभागों में, अध्यापकों, डाक्टरों, और अन्य कर्मचारियों की सीनियारिटी आज तक भी तय होना तो अलग रहा निश्चित करना शुरू भी नहीं किया गया है। इसलिये इन मिसालों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो निर्णय बजट या पूरक बजट में यहां से किये जाया करें उनका पालन भी समय से हो जाना चाहिये। इसकी ओर भी माननीय मंत्रीगण कभी-कभी ध्यान दिया करें ताकि जो फैसले हों जनता को उनका लाभ मिल सके, और समय पर मिल सके।

इसी तरह से एक बात पी० डब्लू डी० के सम्बन्ध में है। रामपुर की एक नयी सड़क शाहाबाद से बिलारी तक मंजूर की गयी थी। और उसके लिये एक लाख रुपये का अनुदान इसी वर्ष के बजट में स्वीकार किया गया था। परन्तु आज अक्तूबर होने आया, जब कि माननीय उपमंत्री जी ने नैनीताल में उसका सारा किस्सा तय भी कर दिया था, वहां अभी मिट्टी पड़ना तक आरम्भ भी नहीं हो पायी है। यह विभाग की कार्यक्षमता का एक प्रमाण है। हो सकता है कि अन्य जिलों में भी ऐसा ही हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार देखे इस बात को ताकि विभागों में इफीशियेंसी आ सके, लाल फीते की बात कम हो सके, तथा जनता को लाभ पहुंच सके। आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देने की कृपा करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत दुखी हूं कि प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर के दो थानों में चौकीदारों को हटा कर उनकी जगह पर कांस्टेबिल रखने की योजना सरकार द्वारा चलायी गयी है। श्रीमन्, कहा गया है और माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि पुलिस ऐडवाइजरी कमेटी में विरोधी दल के भी सदस्य थे। और उसने बार-बार सरकार को यह राय दी कि कांस्टेबिल रखे जाने चाहिए। श्रीमन्, ऐडवाइजरी कमेटी की बात तो मैं नहीं कहूंगा, वह माननीय सुरेशप्रकाश जी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। हमने और मेरे जो साथी उस कमेटी में थे, सभी लोगों ने बहुत सख्त मुखालिफत की थी कि चौकीदारी प्रथा को हटाना नहीं चाहिए। श्रीमन्, मैं तो गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, और जिन जिनका सम्बन्ध गांव से है, वे सब जानते हैं कि चौकीदार कौन होता था। चौकीदार गांव का पासी, चमार, कोरी और छोटी-छोटी

जाति के लोग जो गरीब होते थे। और चौकीदार तनख्वाह तो कम पाता था लेकिन काम मेरा ख़याल है कि वह कांस्टेबिल से ज्यादा करता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो एक परिपाटी कायम करने की योजना सरकार के विचाराधीन है इससे बहुत नुकसान होगा। और कांस्टेबिल जो होते हैं वह चौकीदारों से ज्यादा जुर्म के बढ़ाने में, तरजीह देने में सहायक होते हैं। इसमें ९ हजार रुपये की वृद्धि की गई है। एक पैसा भी श्रीमन्, इस काम में खर्च नहीं होना चाहिये। और माननीय पद्मनाथ सिंह ने इस योजना के लिये सरकार को बधाई दी है। जिस तरह का व्यक्ति हुआ करता है उसको वही पसन्द होता है और जब वह अपने विचारों को कार्यान्वित होता देखता है तो धन्यवाद देता ही है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि क्यों पद्मनाथ सिंह जी ने धन्यवाद दिया। श्रीमन्, विशेष पुलिस-दल की नियुक्ति पर ४ लाख ६० हजार ५०० रुपये की मांग की गई है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस मद पर भी एक पैसा न खर्च होना चाहिये। यह खर्च ठीक नहीं है और आज तो इसमें और जो प्रदेश में पुलिस है उसमें कोई अन्तर नहीं रह गया है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि इस पुलिस ने थानों की पुलिस से बदतर कई स्थानों पर काम किया है।

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में जो कामरोको प्रस्ताव आया आज इस सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करूं। वहां समाजवादी युवक सभा का एक संगठन है। उसके दफ्तर में वह लोग सोये हुए थे, उनका ताला तोड़ कर विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके हाते में जाकर। यह श्रीमन्, कहां की न्यायोचित बात है। और इस प्रकार की घटनायें इस पुलिस द्वारा की जाती हैं। इस प्रदेश में और जो दूसरी घटनायें घटी हैं वह किसी से छिपी नहीं हैं। और इसलिये इस पुलिस के लिये एक पैसा देना, मैं समझता हूं कि जैसा इस सरकार का निश्चय है कि इस प्रदेश में हम एक समाजवादी ढांचे का राज्य बनायेंगे, उससे दूर जाता है।

मैं डिटेल में न जाकर एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में, इसमें बाढ़पीड़ित क्षेत्र में जो स्कूल क्षतिग्रस्त हैं उनके निर्माण के लिये तीन लाख रुपया मांगा गया है। यह बहुत कम है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगरपालिकाओं को भी कुछ धन दूसरे अनुदान से क्षतिग्रस्त सड़कों, स्कूलों आदि की मरम्मत के लिये दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जो धन सरकार इन बोर्डों को देती है वह सुचारु रूप से खर्च होता है या नहीं। श्रीमन्, पिछली बार हमारे जिले आजमगढ़ में बोर्ड को ७५ हजार रुपया मिला था, बाढ़पीड़ित सड़कों और स्कूलों आदि की मरम्मत के लिये। लेकिन घोसी और सगड़ी तहसीलें जो घाघरा नदी के किनारे हैं, और जहां लगातार ५ साल से बाढ़ आती है लेकिन उस क्षेत्र में एक पैसा भी स्कूलों की मरम्मत, तथा सड़कों के लिये नहीं खर्च किया गया। आप देखेंगे उद्योग विभाग में खादी विकास योजना के लिये कुछ धन दिया गया है। यह योजना बहुत अच्छी है और बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई है, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस योजना को पार्टी बन्दी में फंसने से बचावें। यह योजना पार्टीबन्दी में चली जा रही है। उन लोगों के हाथ में चली जा रही है कि जो दिन रात पार्टी बाजी में लगे रहते हैं। श्रीमन्, इसमें जो कार्यकर्ता हैं उनको ५, ५ और ६, ६ महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाती। मैं उस एरिया में रहता हूं जहां खादी विकास केन्द्र भी है। कार्यकर्ताओं से रोजाना मुलाकात भी हुआ करती है। ६, ६ महीने तक जिन कार्यकर्ताओं को तनख्वाह नहीं मिलती वह कैसे काम कर पाते होंगे? यह ताज्जुब की बात है। श्रीमन्, उद्योग विभाग की भी बहुत सी नयी-नयी मांगें हैं। एक मांग उसमें मैं और बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उद्योग विभाग में, इन पूर्वी जिलों में—बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस जहां कोई चीनी की मिल नहीं है, कुछ प्राविजन किया जाय। जो यहां का गन्ना है वह दूर चला जाता है और

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

काश्तकारों को लाभ नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और इसके अलावा केन क्रशर की मांग भी बहुत बड़े-बड़े किसानों की ओर से होती है। पश्चिमी जिलों के जो लोग मिलते हैं उनका कहना है कि पश्चिमी जिलों में कुछ हैं, और ५०,६०,७० मजदूर उसमें काम करते हैं और बहुत से खेतों की ईख भी पेरी जा सकती है और देहात के उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं। अतएव इधर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि दुर्भिक्ष का जो मद है वह बहुत थोड़ा है। हमारे प्रदेश में १७ जिलों में तीन-तीन बार बाढ़ आयी और ऐसा नुकसान तो इधर हुआ ही नहीं। १७ जिलों में लगभग डेढ़ करोड़ आदमी प्रभावित हुये हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ६० लाख एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। अब तक जो खर्च हुआ है वह बहुत ही कम है, बिहार प्रान्त में ७ जिलों में बाढ़ आयी और ८ लाख मनुष्य प्रभावित हुए। इस काम में २ करोड़ १४ लाख रुपया वहां पर खर्च किया गया है उसके मुकाबले में हमारे प्रदेश में जो खर्च हुआ है वह नहीं के बराबर है। श्रीमन्, मैं आपसे कहूंगा कि इस मद में अगर माल मंत्री जी चाहते हैं तो कुछ और बढ़ोत्तरी होनी चाहिये और लोगों को ऐसा साहस दिलाना चाहिये, काम दिलाना चाहिये जिससे वह यह न महसूस करने लग जायं कि सदन उनकी उपेक्षा करता है। श्रीमन्, फैमिन कोड बहुत पुराना है। पहली मर्तबा भी मांग की थी और फिर मांग करता हूं कि जो सरकार पैसे के रूप में गल्ला देती है वह बहुत थोड़ा है, उससे जो काम करने वाले मजदूरों के परिवार का हिसाब-किताब लगाया जाता है नहीं के बराबर होता है। जब कि विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान में यह पैसा बहुत ज्यादा है। हमारा ही अभागा प्रदेश है जिसमें बहुत कम पैसा दिया जाता है। श्रीमन्, आप देखेंगे राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और निर्माण कार्यों के सम्पादन में बहुत ज्यादा पैसा मांगा गया है। लेकिन यह पैसा जो हमारे प्रदेश की आवश्यकता है उसके अनुसार बहुत थोड़ा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बजट की ओर। बजट के स्मृति-पत्र ५३ को हमने ध्यान से देखा कि यह बांध और निकासी किन-किन जिलों में की जा रही है, कहां-कहां है, तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया ऐसे जिलों में तमसा नदी के किनारे कोई निर्माण का कार्य दीखता नहीं। हो सकता है कि एक मद है ५ जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुलियां शायद उसमें हों। गोरखपुर और आजमगढ़ में मनौली और लाल डिग्गी बांध टूटे, और उससे क्या नुकसान हुआ किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उन बांधों की चर्चा इस बजट में नहीं है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं हो सकता है कि दूसरा सप्लीमेंटरी बजट आवे उसमें इन दोनों बांधों को दिया जाय। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गर्मी का मौसम आ जाता है और सरकार बांधों का निर्माण करना शुरू करती है उस वक्त मिट्टी बहुत कमजोर होती है उससे बांध ठीक बंधता नहीं। श्रीमन्, आपको ताज्जुब होगा कि आजमगढ़ शहर में ६० हजार रुपये से एक नया बांध बनाया गया था गर्मी में, और पहली बाढ़ आते ही लापता हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि इस तमसा नदी के किनारे फैजाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर जिले जो इससे प्रभावित हुए हैं, और तीन-तीन, चार-चार बार बाढ़ आयी, तो एक योजना तमसा नदी के किनारे बसने वाले गांवों और शहर के लिये भी निर्माण योजना बनायी जाय।

श्रीमन्, ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण के सम्बन्ध में जिला बोर्डों को ऋण और अग्रऋण देने की बात है। म्यूनिसिपल बोर्ड आजमगढ़ और मऊ कस्बे का स्थान कोई नहीं है। श्रीमन्, यह सरकार जो है, उपेक्षा करती है खास तौर से उन कस्बों

की जो गरीब हैं और जहां पर पानी का निकास नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड आजमगढ़, टाउन एरिया ऐसे हैं जो सदा कर्ज की मांग करते हैं लेकिन सरकार आनाकानी करती है। ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं जहां दान दिया जाता है।

कमिश्नरों और प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ-साथ यह कहना चाहूंगा कि जितना त्रुटिपूर्ण यह विभाग है और जितना हमारे प्रदेश के सदन के बनाये हुए कानूनों का इसने उल्लंघन किया है उतना कोई विभाग करता नहीं। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि सरकार ने दफा २३२ के अनुसार खेतों की वापसी का कानून बनाया पर गरीब लोगों को लेने के बदले देने पड़े हैं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार के इस बजट का इसलिये स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस बात का मौका मुझे दिया कि मैं अपने दो तीन सुझाव सरकार के सामने पेश कर सकूं। वक्त कम है। इंट्रोडक्शन में ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिये। सबसे पहली बात मैं इस रायल होटल के संबंध में कहना चाहता हूं और उसी संबंध में मैं कुछ लेजिस्लेटर्स की दशा का भी थोड़ा सा विवरण दे देना चाहता हूं और वह अत्यन्त आवश्यक है। तीन चार साल से हम विधायक निवास में रह रहे हैं और मेरा एक्सपीरियेंस यह है कि लेजिस्लेटर्स के लिये जैसा रेजीडेंस चाहिये वैसा इन्हें प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि एक एक कमरे में दो दो लेजिस्लेटर्स रखे गये हैं और कहीं-कहीं पर तो ऐसा है अधिष्ठाता महोदय, कि एक एक कमरे में चार चार तक डाल दिये गये हैं और एक और इसमें बड़ी भारी शिकायत है और वह यह कि उसमें जिले और गैर जिले का खयाल ही नहीं रखा गया है। अगर एक पीलीभीत का "ए" ब्लाक में है तो दूसरा कहीं जाकर ओल्ड कौंसिलर्स रेजीडेंस में मिलेगा। इसके साथ-साथ एक शिकायत और भी है कि जितने गेस्ट आते हैं वह सब भी उन्हीं कमरों में ठहरते हैं जिसमें पहले से ही तीन तीन लेजिस्लेटर्स रह रहे हैं। अगर तीनों के दो दो गेस्ट आ गये तो तीन लेजिस्लेटर्स और ६ गेस्ट सब उसी कमरे में रहेंगे। तो न तो खाने की सुविधा रह जाती है, न पढ़ने की सुविधा रहती है न कोई प्राइवेसी रह जाती है। रोज यहां बोलना पड़ता है। पढ़ना चाहते हैं तो वहां जगह ही नहीं रहती है। एक बात और भी है कि अगर फेमिली रखना चाहें, बच्चों को रखना चाहें तो वह तो खैर नामुमकिन ही है। तो समझ में यह नहीं आता कि अगर हम लेजिस्लेटर्स हैं तो हमारी इज्जत के मुताबिक हमको मकान मिलना चहिये। जहां गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है कि रायल होटल पर उसने सात लाख रुपया लगाया तो मैं यह उम्मीद करता था कि हर लेजिस्लेटर के लिये कम से कम एक कमरा अवश्य मिलना चाहिये था। मैं यह जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जिस देश के अन्दर आपको पहचानना है कि इस देश में डेमोक्रेसी कायम है या नहीं, तो उसकी सिर्फ एक ही पहचान है अधिष्ठाता महोदय, और वह यह कि वहां जाकर आप यह देखें कि उस देश में वहां के लेजिस्लेटर्स की इज्जत कितनी है। अगर वहां का एक आफिसर ज्यादा इज्जत कमांड करता है वहां के लेजिस्लेटर से तो यह कहना पड़ेगा कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी का राज्य है, और वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसके साथ ही साथ जिस देश के अन्दर लेजिस्लेटर की इज्जत है, प्रेस्टिज है, वहां पर डेमोक्रेसी कायम मानी जाती है। इसलिये लेजिस्लेटर को नैगलेक्ट करना और उसकी परवाह न करना और उसका यह खयाल करना कि मैं अपने बारे में कहूंगा तो यह शायद उचित न हो, यह चीज गलत है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि कम से कम लेजिस्लेटर्स के लिये जहां विधायक निवास है और ज्यादा नहीं कर सकते तो कम-से-कम एक एक गेस्ट हाउस फ्री बना दिया जाय जहां हर कांस्टीच्युएंसी के मेम्बर, देहाती, गैरदेहाती, शहरी जो भी आवें, आकर ठहर सकें और कम से कम लेजिस्लेटर्स के लिये बर्डन न हो सकें जिसमें कि न तो वह खाना ा सकें, न पढ़ने का कोई काम कर सकें। एक शिकायत और यह हो गई है कि रायल होटलऔर बर्लिंग्टन होटल दो जगहें सरकार ने ली हैं। रायल होटल के कमरे तो अच्छे हैं, हवादार हैं। बर्लिंग्टन के कमरे ठीक नहीं है। तो रायल होटल के कमरे उससे अच्छे हैं। तो रायल होटल में तो

[श्री नौरंगलाल]

आपने आफिसर्स को जगह दी है और बलिंग्टन में मेम्बर्स को। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह प्रेफ़ेंस जो गवर्नमेंट आफिसर्स को दी गई है वह किस बिना पर दी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि फर्स्ट प्रेफ़ेंस मिनिस्टर्स को, सेकेंड डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को और इसके बाद लेजिस्लेटर्स का नम्बर आता है। यह मैं समझ नहीं पाया क्यों ऐसा हुआ है, इस तरीके से आफिसर्स को तरजीह दी गई है। बरेली के ही एक माननीय सदस्य को बलिंग्टन में कमरा दिया गया है, वह वहां रह कर बीमार पड़ गये और आज तक बीमार हैं। वह इसलिये बीमार पड़े कि जो कमरा उनको दिया गया है रहने के लिये वह इतना डैम्प है कि रहने के लायक नहीं है। इस तरीके से यह सजेस्चन सरकार के सामने रखा है। यह कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जहां से मिनिस्टर स्वयं आता है, जहां से डिप्टी मिनिस्टर आता है, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आता है, उस लेजिस्लेटर को निग्लेक्ट करना बड़ी भूल है। अगर सरकार उनको इज्जत देती है तो वह उन्हीं को नहीं, बल्कि सब की इज्जत देती उनको भी जिनके वह रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कांस्टीट्युएंस हैं उनको इज्जत देती है, उन करोड़ों को जिन्होंने इन्हें मेम्बर बनाकर यहां भेजा है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। लेजिस्लेटर आज चाहे कहे नहीं, लेकिन यह उसके साथ में अन्याय हो रहा है, इस चीज को लेजिस्लेटर महसूस करता है।

इसके साथ मैं सरकार के सामने एक सजेशन और पेश करना चाहता हूं और वह सामान्य प्रशासन के संबंध में है। एक चीज हम अब तक पैदा नहीं कर सके और वह बड़ी आवश्यक थी। किसी डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिये जब तक वह भावना जो हमारी सर्विसेज में पैदा हो गयी है, वह दूर नहीं होगी तब तक हमारे सब काम बेकार हो जाते हैं। वह यह है, हमने देखा है कि अपनी सर्विसेज में एक नयी चीज आ गयी है "कैरियरिस्ट बनना"। वह कैरियरिस्ट की भावना यह है कि जो हमारा सुपीरियर अफसर हो उसकी खुशामद करो, और सब को निगलेक्ट करो। यह भावना जो ब्रिटिश सरकार के जमाने से सर्विसेज के अन्दर आ गयी, जब तक यह निकल न जाय तब तक हम किसी सरकार को एक डेमोक्रेटिक सरकार और क्रांतिकारी सरकार नहीं कह सकते। हमारे आफिसर्स चाहे अच्छे हों, या बुरे हों सब इस भावना से प्रेरित हैं कि जब कोई सुपीरियर आदमी जाता है तो खुशामद कर लेते हैं और एक गरीब आदमी पहुंचता है या साधारण लेजिस्लेटर पहुंचता है तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। इसलिये उनके दिमाग के अन्दर की इस कैरियरिस्ट भावना को बदल कर दूसरी भावना का संचार करना है और वह भावना है नैशनलिज्म की, सर्विस की, सेवा करने की और जबतक हमारा अफसर इस दृष्टिकोण से नहीं वर्क करेगा कि मुझे अपने कैरियर को नहीं देखना है कि कैरियर क्या होगा। बल्कि इस भावना से कार्य करना है कि हम देश के लिये वर्क कर रहे हैं चाहे हमारा कैरियर कुछ भी हो, जब तक ऐसी क्वालिटी के आदमी नहीं आयेंगे तब तक हम अपने देश से करप्शन को दूर नहीं कर सकते और ऐसी सरकार नहीं कायम कर सकते जिस पर कोई उंगली न उठा सके। इसलिये किसी न किसी तरह से इस चीज को दूर करना है और कैरियरिस्ट की भावना को दूर करके अपने देशी सर्विसेज के स्तर को ऊंचा करना है।

एक दूसरा प्वाइन्ट रह जाता है, जिसका कि जिक्र मैं यहां पर करना चाहता हूं और वह जरूरी इसलिये है कि वह चौकीदारों के मामले में है। लेकिन मैं एक नयी बात कहता हूं। अगर सरकार चौकीदार को समाप्त कर देगी तो मैं इस सदन में यकीन दिलाता हूं कि कल उनको फिर उन्हें रखना पड़ेगा, फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो बीटिंग, गश्त करने वाले कांस्टेबिल है वह हर गांव में नहीं पहुंचेगे और दिखा जरूर देंगे कि हम गये, लेकिन रात में सोते रहेंगे। और रोज दिन में या रात में गम्भीर वाकयात हो जाते हैं तो चौकीदार की ड्यूटी है कि वह थाने में जाकर इत्तला करे, यदि चौकीदार नहीं रहता है तो इस इत्तला में देर हो जायगी। और कत्ल और चोरी और दूसरे संगीन वाकयात में दो तीन घंटे की देर भी वाकयात को शैटर कर सकती है, इसलिये यह योजना सफल नहीं हो सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस

इंस्टीट्यूशन के लिये जो कि इतना जरूरी है एबालिश करना क्या ठीक है ? इसके बिना सरकार को इत्तला नहीं मिल सकती है। आप मुखियाओं को एबालिश करने जा रहे हैं, चौकीदार को भी एबालिश कर देंगे तो किस तरह से काम चलेगा ? इसलिये मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि उनको एबालिश किया जाय इस चीज को दूसरी तरह से लेना चाहिये। उनकी तनख्वाहें बढ़ा दो, उनका रुतबा ऊंचा कर दो। इस तरह उनको इज्जत की निगाह से देखा जायगा। चौकीदार को हटाना मेरे खयाल से बुद्धिमत्ता का काम नहीं है और इसको नहीं हटाना चाहिये।

*श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)---माननीय चेयरमैन साहब, मुझको यह अर्ज करना है कि यह सप्लीमेंटरी बजट जो कि हाउस के सामने उपस्थित है इसमें ५ करोड़ रुपये को मुख्तलिफ मदों में बांट दिया गया है। मैं पी० डब्ल्यू० डी० के मुताल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूं अफसोस है कि पी० डब्ल्यू० डी० के मंत्री मौजूद नहीं हैं लेकिन डिप्टी मिनिस्टर साहब यहां तशरीफ रखते हैं कि जो रुपया सड़कों पर खर्च किया जाता है तो उन सड़कों की हालत जो कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट हैं तो कुछ बेहतर नजर आती हैं लेकिन एक ही जिले के अन्दर जो सड़कें होती हैं बावजूद इसके कि उन पर ट्रैफिक बनिस्बत इन्टर डिस्ट्रिक्ट सड़कों के बहुत ज्यादा रहता है उन पर काफी रुपया खर्च नहीं किया जाता है। अगर आप पश्चिमी जिलों में जायं जहां कि सड़कें बहुत कम हैं तो आप यह देखेंगे कि जो सड़कें एक तहसील हेडक्वार्टर से दूसरी तहसील हेडक्वार्टर को जाती हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है बनिस्बत उन सड़कों के जो एक जिले से दूसरे जिले को जाती हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू की और उनसे कहा कि आखिर यह हालत क्यों है तो उन्होंने मुझको यह बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कों के लिये जो रकम मिलती है वह इससे कहीं ज्यादा है जो कि एक जिले के अन्दर सड़कों को दुरुस्त करने के लिये मिलती है। और चूंकि उनके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है इसलिये तावक्ते कि उनके ऊपर उससे ज्यादा रुपया खर्च न किया जाय तब तक उनकी हालत दुरुस्त नहीं रह सकती। मैं यह अर्ज करूंगा कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट सड़कों पर उतना ट्रैफिक नहीं है जितना कि जिला हेडक्वार्टर से तहसील हेडक्वार्टर तक या एक तहसील से दूसरी तहसील तक वाली सड़कों पर है।

जनाबवाला, दूसरी चीज जोकि इस सिलसिले में मुझको अर्ज करनी है वह हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताल्लिक है। एक कसीर रकम मेडिकल के ऊपर सर्फ की जायगी। इस सिलसिले में मुझको यह अर्ज करना है कि आज मुल्क के अन्दर दो किस्म के तरीके इलाज जारी हैं एक तो एलोपैथिक और दूसरा होम्योपैथिक। होमियोपैथिक तरीका इलाज बढ़ता चला जा रहा है लेकिन उसकी जानिब हुकूमत की तवज्जह बहुत कम है और जो लोग इस साइन्स की प्रैक्टिस करते हैं उनको इस अम्र की शिकायत है कि बावजूद हमारी मुसलसल दरख्वास्तों के इस सिलसिले में अभी तक कुछ नहीं हुआ यहां तक कि दूसरे फाइव इयर प्लान में भी कोई खास तवज्जह इसकी तरफ नहीं की गयी है। दूसरे तहसील हेडक्वार्टर या और जिलों के अन्दर जो अस्पताल हैं उनकी हालत यह है कि वहां पर मुश्किल से मेडिकल आफिसर्स जाना पसन्द करते हैं और जो आते भी हैं अगर वे काम्पीटेंट हैं तो बहुत जल्द इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी तब्दीली उस जगह से किसी दूसरी अच्छी जगह हो जाय। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त की तो वे कहते हैं कि हमारी सर्विसेज अगर प्राविंशलाइज कर दी जायं तो हमको इस अम्र की कोशिश न हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर चले जायं। एक डाक्टर जो किसी मुकाम पर कुछ अरसे तक रहता है, वहां की पब्लिक भी उसको जान जाती है और वह भी उन लोगों के दरमियान रहकर जान जाता है और जिनकी खिदमात के लिये वह मामूर किया गया है उनके तरफ वह उंसियत रखने लगता है। अगर उसको वहां ज्यादा अरसा हो जाय तो वहां की रिआया के लिये अच्छा रहता है। लेकिन जो जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाना पसन्द करता है या फिर तबादले की कोशिश में रहता है तो वहां की पब्लिक को वह इतना फायदा नहीं पहुंचा पाता जितना कि उसको पहुंचाना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुश्ताक अली खां]

दूसरी चीज मुझे यह अर्ज करना है कि मुझे खुशी है कि एक मेडिकल कालेज कानपुर में खोला जा रहा है और इस सदन में जो रुपया मांगा जा रहा है देने के लिये तैयार हो जायगा। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि मौजूदा अस्पताल जो कुछ भी हैं उनकी हालत बहुत बदतर है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाय तो ज्यादा बेहतर हो। मैं जानता हूं कि देहाती रकबे में ऐसे अस्पताल हैं जिनमें आलात नहीं हैं जिनका कि एक अस्पताल में होना निहायत जरूरी है और अगर हैं भी तो वह बहुत पुराने चले आ रहे हैं और इतने नाकारा हो गये हैं कि वह काबिले इस्तेमाल नहीं रहे।

जनाबवाला, दूसरी चीज मुझे इस सिलसिले में पुलिस के मुताल्लिक अर्ज करना है। इसमें कोई शुभा नहीं है कि पुलिस एक बहुत ही अहम मुहकमा है और इसकी सर्विसेज में जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन जो काम इसके सुपुर्द है वह निहायत अहम है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि पुलिस के साथ हुकूमत की जानिब से रुपये पैसे की और उनकी तनख्वाह के मामले में हर तरह की सहूलियतें फराहम की जाती हैं लेकिन उनका जो रिटर्न मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। रोजाना अखबारों में तकरीबन यह खबरें देखने में आती हैं कि इस जगह डाका पड़ गया, उस जगह डाका पड़ गया। आज भी मैं देखता हूं कि हमारे पश्चिमी अंचल में यह इत्तिला है कि बुलन्दशहर के थाने में एक गांव हुसेनपुर है जिसका जिक्र किया गया है। उसमें डाका पड़ा उस सूरत में कि उस मकान में कोई नहीं था सिवाय एक औरत के। उन्होंने औरत से कहा कि बता तेरा माल कहां है, तेरी दौलत कहां है तो उसने कहा कि मेरा खाविन्द बाहर गया है अगर इजाजत दो तो मैं उसको बुला लाऊं और वह तुम्हें बतला देगा। मुझे नहीं मालूम कि माल कहां रखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने उस औरत को बाहर जाने की इजाजत दे दी और बाहर गई और वह तो लौटकर वापस नहीं आई लेकिन गांव के लोग इकट्ठा होकर आये और उनमें काफी अरसे तक झगड़ा हुआ। डाकू बंदूकों से लैस थे, इस झगड़े में तीन गांव के आदमी मारे गये। लेकिन बावजूद इसके कि अर्से तक झगड़ा रहा और कुर्बोजवार में पुलिस होगी लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। यह हाल है हमारी पुलिस का। जितना रुपया हुकूमत मांगेगी उतना सदन मंजूर करेगा। लेकिन यह देखकर हमें दुख और अफसोस होता है कि पब्लिक का रुपया सर्फ होता है और उसका रिटर्न नहीं मिलता जो मिलना चाहिये।

जनाबवाला, मैं आपके जरिये आनरेबिल मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि पुलिस की तरफ हम उम्मीद से देख रहे हैं ख्वाह पुलिस के बावजूद यहां पर कुछ किया जाता हो या पार्टी में तो हमने इस अम्र की कोशिश की है कि उसकी इस्लाह की जरूरत है और हमने इसके आफिसर्स के अन्दर यह जज्बा पैदा करने की कोशिश की है कि वह इस मुल्क को अपना मुल्क समझें और इसकी हिफाजत ऐसे ही करें जैसे कि वह अपनी और चीजों की करते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अंतिम समय में मुझे अवसर दिया। पूरे हाउस को मैंने सुन लिया और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं जो कि सप्लीमेंटरी बजट में ५ करोड़ रुपये में से ढाई करोड़ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में खर्च करने जा रही है इसलिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मैं माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं १८ तारीख को बस्ती गया था। वहां मैंने देखा और विशेष रूप से मुझे पता चला कि आज भी मालगुजारी वसूल की जा रही है। माल मंत्री और मुख्य मंत्री के कहने के बावजूद भी और कलेक्टर के कहने के बावजूद भी आज मालगुजारी वसूल हो रही है। मेरे बस्ती जिले का एक गोशा बाकी नहीं है जहां पर कमर बराबर पानी न रहा हो। मैं बुखार से परेशान हो गया चूंकि मुझको पानी से गुजरना पड़ा। आपके जरिये से मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह ३,३२,६,८४ रु० ४ आ० ७ पा० की छूट दी है उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। पंचायतों के संबंध में भी

में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पंचायतों का टैक्स भी जो १ पैसा और २ पैसा लोगों पर है उसको भी बन्द कर दे तो बड़ा अच्छा हो। वह भी बहुत छोटी सी मांग है कोई बड़ी मांग नहीं है तो सरकार उसको भी बन्द करदे तो बहुत सुन्दर काम हो।

पी० डब्ल्यू० डी० के संबंध में यह क्रिटिसिज्म करना चाहता हूं कि जिस समय पं० जाहरलाल नेहरू मेंहदावल सड़क से पास हुये थे तो उन्होंने कहा था कि यहां का जिला बोर्ड कैसा है, यहां पर इंजीनियर कैसे हैं कि वह इस सड़क को नहीं बना सके हैं लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बन सकी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी मांग नहीं है बल्कि पं० जवाहर लाल नेहरू की मांग है। दूसरी बात रुदौली के इलाके की है। वहां पर कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एरिया बहुत बैकवर्ड है तो वहां पर भी तरक्की का काम होना जरूरी है। उस इलाके की दशा बहुत खराब है।

मैं, श्रीमान्, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन रन कर रहे हैं उनमें से जो लोग रिटायर हुये हैं उन लोगों के प्राविडेंड फंड का रुपया बहुत देर से मिलता है। लोग मर गये लेकिन उनके गवर्नमेंट शेयर का फंड का रुपया अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार उस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करे। उनके बच्चे एक एक पैसे के लिये मुहताज हैं। उन्होंने अपनी ५५ वर्ष की कमाई जो सरकार को दी वह उनको अभी तक मिली नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रकम उनको दिलाई जाय।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अन्त में मैं पी० डब्लू० डी० के बारे में इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती जिले में डुमरियागंज तहसील नरक हो रहा है। बाँसी नरक हो रहा है, खलीलाबाद नरक हो रहा है। वहां पर राप्ती नदी पर पुल बनना था लेकिन वह अभी तक नहीं बना है जिसकी वजह से वह इलाका बिलकुल कट आफ हो गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में सबसे ज्यादा हमारे जिले बस्ती का ही रिप्रिजेन्टेशन है। यहां पर १८ मेम्बर बस्ती जिले से आते हैं। बस्ती जिले की हालत इतनी खराब है कि वहां पर पानी ही पानी भरा हुआ है। रास्ते बन्द हैं लेकिन फिर भी पुल को बनाने के लिये प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। कलवारी की सड़क कटी हुई है मैं तो एक जगह डूबने से बच गया। वहां से फिर लौट आना पड़ा।

दूसरे विभागों के संबध में यहां पर आलोचना की गई लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि इनफार्मेशन के बारे में जो कहा गया कि वहां बहुत कागज वगैरा खर्च किया जाता है और बहुत पैसा खराब होता है वह गलत है। उस से मैं एग्री नहीं करता। वहां जितना भी काम होता है वह बहुत जरूरी है और जनता से सम्पर्क रखने के लिये उस की बहुत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं प्लानिंग के मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जो पैसा आप देते हैं सड़कों के बनाने में और श्रमदान से जो सड़क बनती है वह मिट्टी बह जाती है इसलिये चाहे आप एक ही मील सड़क बनवायें लेकिन उसको परमानेंट मजबूत बनवायें।

श्री अध्यक्ष—आप कई बार अन्त कर चुके हैं। आखिरी अन्त कब करेंगे ?

श्री शिवनारायण—मैं अन्त में यह जो २०० बेड्स का इन्तजाम किया गया है उसके लिये मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। और मैं मंत्री जी का ध्यान टी० बी० हास्पिटल की ओर भी दिलाना चाहता हूं और दारुलशफा में भी एक दवाखाना खोलने की तरफ सरकार ध्यान दे।

†**श्री नारायणदत्त तिवारी**—अध्यक्ष महोदय, हम जब इस पूरक बजट को वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आर्थिक नाव अभी तक मंझधार में डगमगा रही है। हम देखते हैं कि ५ करोड़ ५० लाख का घाटा हुआ और रेवेन्यू एकाउण्ट में १ करोड़ २९ लाख का और खर्च दिखलाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रेवेन्यू एकाउण्ट में ६ करोड़ ७९ लाख का घाटा इस वर्ष होने वाला है और मेमोरेंडम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पहली किस्त है। अब यह पूरक बजट वित्तीय आधार का एक परमानेंट फीचर होने जा रहा है और उसकी यह पहली किस्त है और इसके माने यह हैं कि अभी दूसरा और तीसरा भी आ सकता है। तो हम यह समझ सकते हैं कि अगर इसी रफ्तार से यह घाटा बढ़ता रहा और अगर गड़बड़ी इसी तरह से बढ़ी तो कम से कम इस साल राज्य के बजट में दस करोड़ का घाटा हो सकता है। पिछले साल जो पूरक अनुदान इस समय आया था जिसमें डेढ़ करोड़ की कैपिटल एकाउण्ट की मद भी शामिल थी लेकिन यह ५ करोड़ दस लाख का हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि इस तरह से सरकार अब रेवेन्यू एकाउण्ट और केपिटल एकाउण्ट के खर्च का जो भेद है उसी को समाप्त कर रही है और बहुत सी ऐसी मदें जिनका खर्च रेवेन्यू एकाउण्ट्स से होना चाहिए था वह नहीं किया जाता। इसी पूरक बजट में रायल होटल का खर्च कैपिटल एकाउण्टस में दिखाया गया है और कानपुर में जो मेडिकल कालेज खुल रहा है उसका खर्च भी उसी में दिखाया गया है और कहा जाता है कि वहां की भरती और इस्टैब्लिशमेंट इसी साल रखा जा रहा है लेकिन इस्टैब्लिशमेंट के खर्च को केपिटल एकाउण्ट में दिखलाना कहां तक उचित है यह श्रीमान् देखें। यह पूरक बजट एक बड़ी आर्थिक योजना के प्रस्ताव को एन्टीसिपट करता है जो कि ५ वर्षीय योजना के नाम से आने वाली है जिनको मार्च सन् ५६ में आना चाहिए था जैसे मडियाहूं स्कीम है, कानपुर इंडस्ट्रियल इन्सटीट्यूट वगैरा की जो योजनायें हैं। मैं नहीं कहता कि इन योजनाओं में देर लगाई जाय वह जल्द से जल्द कार्यान्वित हों लेकिन जो काम प्रथम पंचवर्षीय योजना में हो जाना चाहिये था वह न कर के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपने काम शुरू कर दिया, अभी प्रथम ५ वर्षीय योजना तो पूरी नहीं हुई। उसके खर्च को आप पूरा न कर सकें और उसके टार्गेट को पूरा न कर सके तो आप प्रथम ५ वर्षीय योजना के बजट से द्वितीय को क्यों पूरा कर रहे हैं। जिन लक्ष्यों को विभाग पूरा न कर सके उनको पूरा करने की बात अगर होती तो उसका स्वागत वित्तीय दृष्टिकोण से हो सकता था। लेकिन एक तरफ तो हम यह देखें कि अभी तक उन्हीं विभागों में जिनमें हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बातों को रखना चाह रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बहुत से लक्ष्य अधूरे रह गये हैं। उनको और पूरा करने के बजाय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इस अनुपूरक बजट में रुपया रख देना मैं समझता हूं कि इसमें दो चीजें हो सकती हैं या तो आप प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं करने जा रहे हैं या आपको विश्वास नहीं है कि कानपुर मेडिकल कालेज की जो स्कीम आप मार्च, १९५६ में आरम्भ करना चाहते हैं वह तैयार हो जायेगी और वह शायद आप सन् १९५७ में शुरू कर सकें। इसलिये उस आधार को तैयार करने के लिये आप अनुदान में रुपया रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं वित्तीय दृष्टिकोण से भी और नीति के दृष्टिकोण से भी त्रुटि है।

चौथी बात जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की है वह कंटिजेंसी के उपयोग के सम्बन्ध में है। संविधान के अनुसार कंटिजेंसी फंड एक इम्प्रेस्ट फंड है जिसमें गवर्नर महोदय को ताकत दी गई है कि अनफोरसीन एक्सपेंडीचर के लिये ऐडवान्स किया जा सकता है। ऐडवांस के रूप में जब हम कंटिजेंसी फंड से रुपया लेते हैं तो उसके लिये पिछले वर्ष भी कहा गया उसके पहले वर्ष भी कहा गया था कि कंटिजेंसी

फंड का इस्तेमाल अनफोरसीन एक्सपेंडीचर के लिये होना चाहिये और ऐसे खर्चों के लिये नहीं होना चाहिये जिनका कि पहले से अन्दाजा लगाया जा सकता था या जिनका अन्दाज विभाग को आज नहीं बल्कि दो साल पहले से था। बड़े दुःख की बात है कि इस वर्तमान पूरक बजट में भी ऐसे अनेक अनुदान हैं जिनमें अनावश्यक रूप से कंटिंजेंसी फंड का उपयोग किया गया है। आखिर उसके उपयोग करने का अर्थ क्या है? वह रुपया खर्च हो चुकता है तब हमारी मंजूरी के लिये आता है। प्रजातांत्रिक देशों में ऐसे खर्चे बहुत कम होते हैं। ये असाधारण मामलों के लिये हैं जिसमें पहले ही से सरकारी मंजूरी हो जाती है और वह रुपया खर्च कर लिया जाता है क्योंकि वह असाधारण काम होते हैं और फिर राज्य सरकार उनको लेजिस्लेचर की मंजूरी के लिये ले आती है। लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। इसके अतिरिक्त इसी लेजिस्लेचर की एक फायनेंस कमेटी भी होती है। उस कमेटी की मीटिंग आपको बुला लेनी चाहिये तब उसमें से विड्राल करना चाहिये। जब सरकार निश्चय करती है कि इस विषय में कंटिंजेंसी फंड से विड्राल करना जरूरी है और लेजिस्लेचर के सामने उस समय सप्लीमेंटरी बजट के रूप में आ नहीं सकता तो कम से कम उस समय विधान सभा की जो फायनेंस कमेटी है उसका ऐप्रूवल लिया जाना चाहिये कि इस स्कीम को हम चाहते हैं और यह स्कीम मंजूर की जाय और कंटिंजेंसी फंड से इसका ऐडवांस लेने के लिये हम ऐप्रूवल चाहते हैं। इस प्रकार का विधान बजट मैनुअल में पहले से है। बजट मैनुअल जो हमारे राज्य में है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से जो खर्चे होंगे उन खर्चों के लिये फायनेंस कमेटी की राय लेना आवश्यक है लेकिन इस परम्परा को नहीं निभाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कंटिंजेंसी फंड का उचित इस्तेमाल हो और जब उसका इस्तेमाल करना हो तो उसके लिये फायनेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाय। उसमें १४ सदस्य ही होते हैं। उसकी मीटिंग बुलाकर उसका ऐप्रूवल ले लें और तब विदड्राल करें। ऐसे उदाहरण भी इसमें देखने को मिलते हैं कि खर्चा हो रहा है लेकिन बजट में रुपया नहीं है और उसके लिये कोई मंजूरी नहीं है। इससे बड़ी आर्थिक गड़बड़ी और क्या हो सकती है। मैं मिसाल के लिये आपको बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले की स्कीम में जो मेमोरेंडम के पेज २९ पर लिखा है कि २५ खादी सेंटर्स ५४-५५ में खोले गये और १ लाख रुपया पिछले बजट में रखा गया था लेकिन इस साल नहीं रखा गया लेकिन अब इसमें लिखा जाता है कि २ लाख २ हजार ३ सौ रुपया चाहिये। इतनी बड़ी इम्पार्टेण्ट स्कीम और देवरिया जिले के लिये और आप हमसे बजट में मांग करते तो हम जरूर स्वीकार करते कि देवरिया जिले का मामला है और इसके लिये २ लाख २ हजार ३ सौ रुपये दिये जायं। लेकिन यह रुपया मंजूर नहीं हुआ। कंटिंजेंसी फंड से विदड्राल किये नहीं गये मूल बजट से रुपये के लिये कोई प्रबन्ध नहीं था और लगातार रुपया आज तक खर्चा हो रहा है और कहां से खर्च हो रहा है क्या वित्त मंत्री जी बतलायेंगे कि आज देवरिया जिले में जो २५ खादी सेन्टर्स चल रहे हैं, उनका खर्चा कहां से आप कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि बिला फंड के रुपया खर्च कर रहे हैं यह बड़ी भारी इर्रगुलेरिटी है। इसके अलावा इसमें बहुत सी योजनायें जिनका सप्लीमेंटरी बजट म आना बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं है बल्कि मैं चाहता हूं आप अपनी ओर से इसकी व्यवस्था करें। विधान सभा के अन्दर विधानतः आपको विधान के इन्टरप्रेट करने का उसके शब्दों के अर्थ निकालने का अधिकार सब आप में ही निहित है। तो मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था करें और सरकार को आदेश दें कि विधि का और मर्यादा का उल्लंघन न हो। मिसाल के लिये आप देखें कि इसमें गजनफरुल्ला साहब, कुम्भ मेले के सम्बन्ध में, उनको पेमेंट की बात है। सोल्जर्स एंड एयरमेन बोर्ड है उनको रुपया देने की बात है। पायलेट प्रोजेक्ट में चमड़े की ट्रेनिंग के सिलसिले में रिसर्च इन्स्टीट्यूट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

का कुछ जिक्र है। ये जितने भी कार्य हैं यह हम मान कि ये अनफोरसीन नहीं थे। प्लानिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट जो है उसका काम ट्रेनिंग में रिसर्च करना तो हो सकता है लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुद चलाना नहीं है, यह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का काम है। चाहे वित्तीय योजना की दृष्टि से देखे या किसी भी दृष्टि से जो काम इंडस्ट्रीज विभाग का है उसे प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूट से करवाना इस तरह की वित्तीय गलतियां भविष्य में न होनी चाहिये और भविष्य में पूरक बजट सिद्धान्तों के अनुसार होंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री चरणसिंह से) आपके बाद कमलापति जी बोलेंगे और उसके बाद वित्त मंत्री जी। ४० मिनट बाकी हैं आप स्वयं आपस में अपनी योजना तैयार कर लें।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं कोशिश यही करूंगा कि बहुत थोड़े वक्त में जो बातें महकमा माल के सम्बन्ध में और एक बात जो महकमा ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में कही गई उनका समाधान करने की कोशिश करूं। माननीय शिवकुमार जी शर्मा ने यह फरमाया कि ४७ लाख रुपया तो खर्च होता है उन आफिसर्स की गाड़ियों पर जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी गई हैं और उन्होंने अपने अनुमान से बतलाया कि ४७ लाख तो गवर्नमेंट ने बतलाया है लेकिन हो सकता है कि इसमें भत्ते और तनख्वाह वगैरह शामिल न हों, लिहाजा कुल खर्चा १ करोड़ रुपये तक पहुंचता है। मैं माननीय मित्र से यह कहूंगा कि उनका यह अनुमान बेबुनियाद है। कुल तनख्वाह, पेट्रोल, रखरखाव, रिपेयर्स पर जो खर्चा होता है वह कुल ४७ लाख रुपये हैं इससे ज्यादा नहीं। इसलिये रकम बढ़ा कर जो अनुमान निकला है और उससे जो उनको नाराजगी रही है—गवर्नमेंट के मुख्तलिफ विभाग अलहदा अलहदा अपनी गाड़ियों के लिये जिम्मेदार हैं— ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की विशेष जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि उनका गुस्सा उसी रेशियो में कम से कम आधा तो हो ही गया होगा। श्रीमन्, मुझे इस बात के मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ गाड़ियों का दुरुपयोग होता हो लकिन मैं माननीय मित्रों से सुझाव चाहता हूं कि किस प्रकार इस दुरुपयोग को रोका जाय। आखिर ४४३ गाड़ियां इन आफिसरों के पास हैं और इन आफिसरों को ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत बड़ा डिस्क्रीशन भी दिया हुआ है। बड़े बड़े जिम्मेदार और काबिल और जैसे हमारे सूबे में ईमानदार आदमी मिल सकते हैं उनमें से वे लोग हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, बड़ा डिस्क्रिशन उनको है, गवर्नमेंट उनका भरोसा करती है और हमको उम्मीद यह है कि यह काम कुल मिला कर अच्छी प्रकार करते हैं। अब इस सिलसिले में अगर हम बहुत डिटेल्ड रूल्स रख दें तो इसको कौन देखेगा कि उनकी पाबन्दी होती है या नहीं? यह डिस्क्रिशन उन पर ही छोड़ना होगा, उनके ही गुड सेंस पर छोड़ना होगा। दिसम्बर, १९५० को एक सर्कुलर गया था जिसमें उनसे यह कहा गया था। लेकिन फिर भी उस डिस्क्रशन को सर्कम्सक्राइब करने के लिए अगर माननीय मित्र कोई ऐसा सुझाव दे सकें जो काबिल अमल हो तो मैं उनका आभारी हूंगा, लेकिन अगर हर अफसर को हम बईमान ही समझ कर चलेंगे तो काम नहीं चल सकता। हमने हिदायत दी थी कि अपने हेडक्वार्टर के पांच मील के अन्दर आमतौर पर वह गाड़ी इस्तेमाल न करें और शहर के अन्दर आमतौर पर गाड़ी इस्तेमाल न करें। लेकिन इस बात की बिल्कुल पाबन्दी नहीं की गयी उसमें आम तौर पर यह लफ्ज हैं। फिर भी एक तजवीज गवर्नमेंट के जेरे गौर है जिससे इस शिकायत में जो कभी-कभी हम लोगों को हो जाती है,

शायद कमी आ जाय। लेकिन क्योंकि वह अभी केबिनट से मंजूर नहीं हुई है। मैं उसे इस वक्त यहां बतला कर माननीय सदस्यों का वक्त खराब करना नहीं चाहता। जैसे ही वह मंजूर हो जायगी, सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा।

एक बात माननीय सुरेश प्रकाश जी ने यह कही कि साहब अधिवासियों से सीरदार बनाने की स्कीम तो अच्छी थी लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी खराबी हो रही है और वह यह है कि विधवाओं के अधिवासी को भी जो सीरदार नहीं बल्कि असामी होने चाहिए, सीरदार दिखाया जा रहा है। श्रीमन्, दिखाया जा रहा है और दिखाया जायगा क्योंकि मजबूरी है। खतौनियों में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि यह स्त्री विधवा है। केवल विधवाओं के ही नहीं बल्कि हर एक असमर्थ अधिवासी को चाहे वह नाबालिग हो, अपाहिज हो, अंधा हो या फौज में रहा हो हक सीरदारी हासिल नहीं होता। लेकिन माल मुहकमे के राजकर्मचारी क्या करें जब कि खतौनी में कभी भी नहीं लिखा गया कि यह अपाहिज है, अन्धा है, फौज का मुलाजिम है या नाबालिग है। तो श्रीमन्, किया क्या जाय? जब माननीय मित्र कोई बात कहने को खड़े हों तो पहले यह सोच लें कि यह मुमकिन भी है या नहीं। अगर खतौनी में यह भी लिखा हो कि "विधवा" है तो यह साबित करना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त जमीन उठायी थी उस वक्त भी वह विधवा थी। क्योंकि यह भी हो सकता है कि जमीन उठाते वक्त उसका पति जीवित हो और ९ अप्रैल, १९४६ को वह विधवा रही हो। यह एक वाकयात की बात है जो खतौनी में नहीं होती। राज कर्मचारी अपनी तरफ से तहकीकात नहीं कर सकते। ऐसा करना उनके लिये नामुमकिन है। सिर्फ यही रास्ता है कि जिस समय कंपेंसशन का नोटिस जायगा, जो सब के पास जायगा, उस वक्त वह उज्रदारी करें कि मैं नाबालिग हूं और मेरे बाप ने जमीन नहीं उठायी, मैंने जमीन उठायी है, और यह कि जमीन उठाते वक्त और ९ अप्रैल, १९४६ को भी मैं नाबालिग था। तो नोटिस कैन्सिल हो जायगी और वह असामी करार दे दिया जायगा। इसके अलावा कोई ऐसी तजवीज निकलती हो जिससे आसानी से काम हो सकता हो और मुहकमे माल के राजकर्मचारी जो काम से लदे हुए हैं उन पर इतना काम न बढ़ जाय कि काम करना नामुमकिन हो जाय, ऐसा कोई सुझाव माननीय सुरेशप्रकाश या कोई और माननीय मित्र दे सकें तो मुझे खुशी होगी। क्या बतलाऊं, वक्त तो यों ही बीता जाता है।

मुझे अपने सहयोगी माननीय चतुर्भुज शर्मा जी से मालूम हुआ कि माननीय गेंदासिंह जी के भाषण में काफी मेहरबानी मुहकमा माल पर की गयी। मुझे अफसोस है कि मैं उस उक्त मौजूद नहीं था। खैर, मुझे कुछ मालूम हो गया शर्मा जी से। मैं यह समझता था कि जब से उन पर अपोजीशन की लीडरशिप का बोझ पड़ा है, शायद वह कुछ ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेते होंगे। लेकिन वह शायद मजबूर हैं कुछ ट्रेडीशन से। इसलिये मैं समझ सकता हूं कि उनकी कमजोरी क्या थी। शायद उनके मन में यह ख़याल रहता होगा कि जब तक कोई गरम और तेज बात न कही जाय.....

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जब यहां मौजूद नहीं थे तो गरमी और तेजी का अन्दाजा कैसे लगा सकते हैं। यह मैं कह सकता हूं कि उनका भाषण बहुत शान्त था।

श्री चरणसिंह—मेरे पास पहुंचते-पहुंचते गरम पहुंची थी इसलिये मैंने अन्दाजा लगाया कि बहुत गरम रही होगी। खैर, मैं मुख्तसर में उनकी दो तीन बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दो करोड़ रुपया कम है। मैं श्रीमन्, तसलीम करता हूं कि यह रुपया कम है। लेकिन पहली बात तो यह कि यह रुपया दो करोड़ नहीं है, केवल फ्लड रिलीफ का रुपया करीब ५ करोड़ के आस-पास पहुंचता है। फ्लड कंट्रोल का रुपया जो माननीय कमलापति जी के महकमे से खर्च हो रहा है और होगा उसका तो

[श्री चरणसिंह]

कोई अनुमान नहीं है। ढाई करोड़ रुपये का तो मकानों की सतह ऊंची उठाने का ही काम है। वह तो खैर, जब फैलेगा, तो फैलेगा लेकिन फ्लड रिलीफ का ही १ करोड़ ६५ लाख रुपया आज तक दिया जा चुका है। स्कूलों की जो फीस होगी इंटरमीडियेट कालेज तक प्राइमरी स्कूल से लेकर उसका कोई अनुमान नहीं है। हमारे सक्रेटरी का कहना है कि कम से कम ७५ लाख रुपया बैठेगा। कम कीमत पर जो गल्ला दिया जा रहा है उसके लिये जो खर्च होगा, क्योंकि हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया को तो दाम देना ही होगा, और ट्रान्सपोर्ट व हैंडलिंग वगैरह पर जो खर्च बैठेगा, वह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्तु कई लाख रुपया बैठेगा, यह निश्चित है। टेस्ट वर्क में साढ़े सात लाख रुपया हुआ है लेकिन मुझको डर है कि यह ६०, ७० लाख रुपया बैठेगा। क्योंकि श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी के जिले में पिछले साल १३ लाख रुपया खर्च हुआ था और साल भर में १० महीने टेस्ट वर्क चले। श्रीमन्, वह तरकीबें उनको याद हैं, कुछ तो जरूरत थी और कुछ मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली से भी बढ़वा लिया। तो इसलिये अगर इस बार वहां ६०, ७० लाख रुपया खर्च हो तो ज्यादा नहीं है। अब तक ३० लाख रुपया माफ हो चुका है और मकानों को बनवाने के लिये जो लोन दिया जा रहा है वह इंटरेस्ट फ्री है। अब तक साढ़े दस लाख रुपया दिया जा चुका है और अनुमान २० लाख रुपया का है। यह रुपया वसूल हो जाय, तब है। पिछले साल रबी १३६२ फ० या १९५५ कहिये जो मालगुजारी माफ हुई थी वह ५७ या ५८ लाख रुपया थी। मुझे जिलेवार तो मालूम नहीं है लेकिन १० या १२ लाख और जिलों में और ४५ लाख रुपया इन बाढ़ पीड़ित जिलों में माफ किया गया था। जब पिछले साल कम बाढ़ आने पर ४५ लाख रुपया माफ करना पड़ा था तो मुझे डर है कि अब तो १ करोड़ से ज्यादा मालगुजारी माफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा आदमियों और जानवरों के लिये दवाइयों में खर्च हो रहा है। जो सरकारी सड़कें, पुल आदि टूट गये थे, मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड्स की बात छोड़ता हूं और जो इमारतें बर्बाद हो गईं उनके रिपेयर्स में जो खर्च होगा उसका भी कोई अनुमान नहीं। तो जितना मैंने बताया वह केवल फ्लड रिलीफ का रुपया है और मैं समझता हूं कि करीब ५ करोड़ के आसपास कम से कम बैठेगा। तो यह रुपया जो दो करोड़ या १ करोड़ ६५ लाख है उससे तिगुनी रकम बैठती है। मैं फिर भी मानता हूं कि रुपया कम है, लेकिन कहां से आये रुपया ? सारा सवाल तो यह है, सन् १९५० से बराबर कोई न कोई मुसीबत आयी ? पूर्वी जिलों की तरफ देखा नहीं जाता। उनका ख्याल करके भी तकलीफ होती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको नींद आनी ही नहीं चाहिये, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन सारा सवाल यह है कि क्या हो ? जितना मुमकिन है वह किया जा रहा है। लेकिन जितनी जल्दी मेरे मित्र चाहते हैं, जिस रफ्तार से, वह नामुमकिन है, इच्छा है, लेकिन अपनी मजबूरियों को भूलना नहीं चाहिये।

श्रीमन्, एक बात यह कही गई जेड० ए० एफ० क रिफन्डस में देरी की जा रही है। देरी नहीं की जा रही है। मैं श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी के जिले का हिसाब बताता हूं। इत्तफाक से, आज ही हमारे डिप्टी लैंड रिफार्म कमिश्नर कल देवरिया से लौट कर आये....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जेड० ए० एफ० का जिक्र उन्होंने नहीं किया।

श्री चरणसिंह—जी नहीं, किया था। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं बता दूं क्योंकि बहुत गलतफहमी पैदा हुई है। श्रीमन्, २ लाख ६६ हजार ऐप्लीकेशन्स १० गुना की देवरिया में केवल दाखिल हुईं जिनका ८५ लाख रुपया बैठता था। उसमें से ३७ हजार ऐप्लीकेशन्स केवल ऐसी थीं जिसमें रुपया पूरा नहीं जमा किया गया और

वह रुपया हमारे यहां रक्खा रहा। पूरा जमा न करने से हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी आयद नहीं हो जाती थी। ६ महीने, १ साल या २ साल में रुपया वापस करें, कहीं ऐसा नहीं। रुपया जमा था इस उम्मीद में कि लोग बाकी रुपया जमा करेंगे और सनद हासिल करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, तो हमने अपनी तरफ़ से, कुछ लोगों ने बेशक दरख्वास्त दी, मना कर दिया कि नहीं कोई दरख्वास्त दे या न दे सबको अपनी तरफ से नोटिस दे दो कि अपना रुपया ले लो। इस तरह के २२ हजार नोटिस तामील हो गये। देवरिया के किसानों पर नोटिस में दो महीने की मियाद थी। उसमें से २,२३७ की मियाद गुजर चुकी है। वह लोग अपना रुपया नहीं लेने आये। अच्छा इसके अलावा १९,६९२ जो बाकी रहे इनकी मियाद अभी गुजरी नहीं, लेकिन नोटिस जारी हो चुके हैं। १५ हजार को नोटिस दे रहे हैं, औरों को नोटिस इसलिये नहीं दिया जा सका कि फार्म खत्म हो गये थे, फिर गवर्नमेंट प्रेस से मंगाये गये जिसमें देर हुई। श्रीमन्, बावजूद नोटिस के किसान रुपया नहीं लेते हैं। उसमें एक दिक्कत यह भी है, तीन आदमियों में से २ लेने आ रहे हैं या किसी के दो लड़के हैं तो उनमें से १ आ रहा है। इसके अलावा वह रुपया भी है जो गन्ने की कीमत में से उन्होंने कटवाया था और केन यूनियन ने जो चेक भेजा उसके साथ लिस्ट नहीं भेजी कि किन-किन किसानों का रुपया है। उनकी तस्दीक करायी जा रही है। फिर जो यहां कोआपरेटिव बैंक है उससे बोर्ड्स का वेरीफिकेशन हो रहा है। इसलिये देर लग रही है।

दूसरी शिकायत यह है कि तहसील में हर काम में देर होती है। देर होती है, मुझे तस्लीम है। लेकिन कभी यह भी अन्दाज किया है कि राजकीय कर्मचारियों पर काम कितना है? एक तहसील में औसतन बहुत गांव पड़ते हैं और केवल एक तहसीलदार होता है, एक नायब तहसीलदार होता है। जो नार्मल वर्क उनका था उसके अलावा यहां से तीन, चार साल के अन्दर कितना काम उन पर लादा गया है, अगर गिनाने लगूं तो मुझे आधा घंटा लगेगा। यह सूरत है तो लोग कहेंगे कि आप स्टाफ रख लें। टेम्पोरेरी कामों के लिये ऐसे रोज स्टाफ भी नहीं रखा जाता है। तो श्रीमन्, बेशक देर होती होगी, और होती है। हम यहां से पूरी कोशिश करते हैं कि काम जल्दी हो। लेकिन जो काम करते हैं उसको नजरअन्दाज करके केवल नुक्ताचीनी की दृष्टि से हर वक्त यह बात कहना कोई हमको मदद नहीं करता।

माननीय गेंदासिंह जी ने जो तकरीर की है उसमें थोड़ी सी तलखाट, कड़वाहट थी। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी कोई शिकायत अगर उनको होगी तो हम अलग बात करके उसको रफा करने की कोशिश करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मुझे इस माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ५ बजने में केवल १० मिनट हैं और यह अनुपूरक बजट पर जो वाद विवाद हुआ है उसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री को देना है। मैं केवल ३-४ बातों की चर्चा कर देना चाहता हूं आपकी आज्ञा से, इस बजट के सम्बन्ध में जो इस सदन में पेश किया गया है। जहां तक कि बाढ़ की योजना का संबंध है मैं समझता हूं कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल उस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारे हाथों में काफी व्यापक और लम्बी योजनायें हैं जिन पर हम काफी खर्च करने जा रहे हैं। जहां तक रिलीफ मेजर्स का सम्बन्ध है उसे हमारे माल मंत्री ने आपके सम्मुख रखा। जहां तक बाढ़ से बचाव का सम्बन्ध है उसकी योजनाओं का कुछ उल्लेख तो मेमोरेन्डम में कर दिया गया है और इसके अलावा भी मैं आपकी आज्ञा से यह सूचना देना चाहता हूं अपने नेता विरोधी दल को कि करोड़ों रुपये की और स्कीम है। माननीय रामसुन्दर पांडेय ने अभी कहा कि बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में कहीं कोई विशेष काम नहीं आरम्भ किया जा रहा है। फैजाबाद में जहां इस साल बाढ़ से नुकसान हुआ है और जिक्र किया उन्होंने इसमें जो स्कीम है उनमें कहीं बांध वगैरह की बात नहीं। ऐसी बात नहीं, आजमगढ़ में बांध हैं, गाजीपुर में, बलिया में हैं। हां,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

तमसा का उल्लेख किया कि तमसा के ऊपर कुछ नहीं। मैं उनसे कहूंगा कि यह हमारी योजनाओं की इति नहीं है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें गत वर्ष ले लिया और पहले बजट में उस पर कुछ रुपया था, इस साल कुछ रखा गया जिसे हमने खर्च किया। और यह भी मैं बता दूं कि यह योजनायें हमारी स्वीकार होती हैं सेन्ट्रल फ्लड कन्ट्रोल से, और वहां के गंगा कमीशन से और टेक्निकल कमेटीज से योजना बनायी जाती है। जब वहां से स्वीकृत होती हैं, उस पर हमको कर्ज मिल जाता है, तब उस कार्य को हम आरम्भ करते हैं, कंटीजेन्सी से रुपया ले लेते हैं और आपसे उसकी मंजूरी करा करके उस काम को शुरू करते हैं, यह उसका तरीका है। अगर मैं भूल नहीं करता, सम्भव हो कुछ भ्रांति हो, लेकिन ५६ तक कि जितनी योजनायें हैं वह ६,७ करोड़ से कम नहीं हैं। अभी आगे तो और सर्वे हो रहा है। इस नयी बाढ़ से जो नयी समस्यायें पैदा हुई हैं छोटी-छोटी नदियों की, गोमती की, सई की, यह समस्यायें और सामने हैं जिसका कि सर्वे हो रहा है और आगे चल कर योजनायें बनेंगी जिनकी मंजूरी आपसे ली जायगी। एक बात मड़ियाहूं ब्रांच के बारे में कही गयी और नारायणदत्त जी ने भी उसका जिक्र किया। शायद एक और किसी माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया था, हमारे संयुक्त दल के नेता जी ने भी उसका जिक्र किया था। तो मैं उम्मीद यह करता था अध्यक्ष महोदय, कि उसके लिये सिंचाई विभाग की कुछ तारीफ की जायगी। हमने इस योजना को पहले ही मंजूर कर रखा था लेकिन सर्वे पहले हुआ शारदा रिजर्वायर स्कीम का, तो यह योजना उसके दूसरे स्टेज में रख दी गयी थी। पहला स्टेज उसका पूरा हो रहा है, लेकिन पहले ही स्टेज में जितना पानी हमको मिला उसी से हमको यह ज्ञात हुआ कि हम अपनी नहर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मड़ियाहूं एक ऐसी जगह है जहां पिछले कई सालों में बराबर किसी न किसी दैवी आपत्ति का प्रकोप होता रहा है। सूखा भी कई बार पड़ा और उससे वहां के लोगों की फसल बिलकुल नष्ट होती रही। बहुत काफी तकलीफ वहां के लोगों को हुई है और गवर्नमेंट को उनकी सहायता भी बहुत करनी पड़ी। हमने जब यह देखा कि पानी अवेलेबुल है पहले ही स्टेज में और यह भी देखा कि विभाग की क्षमता है कि इस पानी को हम इसी साल काम में ला सकते हैं तो उसके लिए हमने काम आरम्भ कर दिया। गवर्नमेंट की स्वीकृति भी मिल गई। मैं तो समझता हूं कि अगर इसको साधारण बजट में लाते तो एक वर्ष के लिए विलम्ब होता। हमारा सीजन अक्टूबर से शुरू होता है। हमने यह देखा अगर इस वक्त काम आरम्भ कर दिया तो अगले बरसात के पानी का हम इसमें उपयोग कर सकेंगे और उस एरिया को सींच सकेंगे जो कि कई वर्षों से सूखे कि वजह से तबाह होता रहा है।

दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। रुड़की रिसर्च इंस्टीच्यूट के बारे में कुछ बात कही गई। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि तुम बड़ी देर में जगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह जगने की बात नहीं है, हम जगे तो बहुत पहले से हैं। रिसर्च इंस्टीच्यूट कोई नई संस्था नहीं है। यह तो कई वर्षों से बराबर चली आ रही है और उसके लिये रिसर्च इंस्टीच्यूट का बड़ा भारी भवन बन चुका है। इसी सदन ने शायद दो वर्ष पहले बजट में उसके लिए रुपया स्वीकार किया था और हर साल आपके बजट में उसके लिए रुपया रखा जाता है। लेकिन जैसे-जैसे निर्माण का और रचना का काम बढ़ता चल रहा है वैसे-वैसे रिसर्च का काम भी बढ़ता चल रहा है और उस हिसाब से उसका विकास भी हम करते जा रहे हैं। इस साल आपने देखा कि फ्लड का बहुत बड़ा काम आ गया है, बार बार कहा जाता है कि कटाव हो रहा है, उसका भी प्रश्न सामने है। बांधों से हम बाढ़ रोक सकते हैं लेकिन कटाव तो नहीं रोक सकते। अब इस कटाव का क्या उपाय हो सकता है। यह वह रिसर्च स्टेशन देख रहा है। इसके अलावा रेलवे का बहुत सा काम उसके पास आ गया है। यह हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि बाहर से भी हमारे पास काम आता है क्योंकि इसकी उपयोगिता और इसकी सिद्धहस्तता मानी जा चुकी है। नहर का काम पहले से ही उसके पास है। ट्यूबवेल्स का सवाल भी एक नया उसके सामने आ गया है। हम इतने ज्यादा ट्यूबवेल्स

बना रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा ? भूमि के नीचे जो पानी है उस पर, यह भी उसे देखना है और यह देखना है कि कैसे हम इससे ज्यादा काम ले सकते हैं, कैसे हम उसकी जिन्दगी को बढ़ा सकते हैं ? ये सारे काम ऐसे हैं कि जैसे-जैसे इनका विस्तार होता जाता है वैसे-वैसे हम उस रिसर्च इंस्टीच्यूट का भी विस्तार करते चल रहे हैं। माननीय नवलकिशोर जी ने एक बात कही कि यह जो इसमें रखा गया है, यह इसलिये तो नहीं रखा गया है कि किसी आदमी को पहले से ही तय कर लिया गया है कि उसे रखना है उसके लिए यह रखा है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की पे दी जायगी या चीफ इंजीनियर की पे दी जायगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन पंक्तियों के भीतर इतना अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं थी कतई, न कोई ऐसी नीयत थी। इस वक्त जो आदमी हमारा डायरेक्टर है रिसर्च इंस्टीच्यूट का, वह सिंचाई विभाग का एक बड़ा सीनियर अफसर है, अत्यन्त योग्य है, अनुभवी है, वह चीफ इंजीनियर होते। हमने इसका विस्तार किया है, विस्तार करने का हमारा इरादा है। भारतीय सरकार से हम इसके लिए रुपया मांग रहे हैं कि रिसर्च इंस्टीच्यूट के लिए और रुपया दिया जाय। वहां पर एक ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बाहर जा कर इस शास्त्र का अध्ययन कर चुका हो, ऐसे आदमी को हम वहां रखना चाहते हैं। अगर वह व्यक्ति वहां है और उसका टर्न आता है चीफ इंजीनियर का, तो यह फारमेलिटी की बात है कि उसको चीफ इंजीनियर की पे दे दी जाती है, यह कोई दूसरे व्यू की बात नहीं है। अगर हम रिसर्च इंस्टीच्यूट का विस्तार करना चाहते हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की स्टडी हो सके और जो एक सही आदमी उसके लिए है वह चीफ इंजीनियर होकर चला जायगा यदि उसे वह पे नहीं देंगे, तो संस्था का हित इसमें है कि उसको वह पे दे दी जाय। तो उसमें और कोई अर्थ देखने की बात नहीं है।

दो वाक्य में सूचना विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे गेंदासिंह जी ने कहा कि तुम यू० पी० इन्फार्मेशन भेजा करते थे, कैसे बन्द कर दिया ? मैं चक्कर में पड़ गया। लेकिन यू० पी० इन्फार्मेशन जाता है। माननीय नेताओं के ऊपर काम बहुत रहता है। सम्भवतः जो पैकेट जाते होंगे वह टेबुल पर रह जाते होंगे, उनको खोलने का मौका ही न मिलता होगा। लेकिन जाते हैं यू० पी० इन्फार्मेशन, और-और भी हमारी पुस्तकें वगैरह भी निकलती हैं वह भी जाती हैं लेकिन उस सबको देखने का मौका नहीं मिलता। बहुत से लोगों को, जिनको व्यस्तता रहती है काम की, उनको समय नहीं मिलता। हम भी बहुत से अखबार नहीं देख पाते, उसमें कोई दोष की बात नहीं है। लेकिन वह जाता है आपके यहां और सब माननीय सदस्यों के यहां जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना विभाग को कहो कि हमारा भी प्रचार किया करे। तो उनकी इस बात से मुझे ऐसा लगा कि अब यह विभाग बड़ा प्रभावकारी होने लगा है, क्योंकि अब आपको भी यह आवश्यकता हुई कि आपका भी प्रचार करें। मिनिस्टरों का प्रचार करता हो, ऐसी कोई नीति हमारी नहीं है और नीयत भी नहीं है कि मिनिस्टरों का प्रचार सूचना विभाग करे। उसका मतलब यह है कि सूचना पहुंचाया करे, सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में, नीति के सम्बन्ध में, क्योंकि लोकतंत्र है, अधिक से अधिक जनता उसको जान सकेगी। हमारी विधान सभा की रिपोर्टिंग वह क्यों नहीं करता, मैं समझता हूं कि विधान सभा की रिपोर्टिंग करने का अधिकार सूचना विभाग को नहीं है और न होनी चाहिये। क्योंकि रिपोर्टिंग का क्षेत्र जो हमारा लोक तंत्र है उसमें फोर्थ स्टेट का है। सारा काम अगर हम उनका ले लें और जितने अखबारों के मालिक हैं उनको हटाने की क्या आवश्यकता है, सारा काम हमारा वैसा ही चल रहा है, तो यह लोक तंत्र के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। तो हमारे पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग में जो वह हमसे सहायता चाहते हैं वह हम दे देते हैं, इतना ही काम यहां करना चाहते हैं। अब उनका जो थोड़ा पुरस्कार वगैरह बढ़ाया गया है, तो जब विभागीय बहस होगी उस समय उसका जिक्र करूंगा। मुख्य-मुख्य बातों का जिक्र कर दिया। मुझे आपने इतना समय दिया, उसके लिए कृतज्ञ हूं।

श्री अध्यक्ष----माननीय वित्त मंत्री, अगर आप समय अधिक चाहते हों तो कोई समय बढ़ाने की तजवीज आ जानी चाहिये, आप सोच लें।

श्री कालीचरण टन्डन (जिला फर्रुखाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट का वक्त और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है ? (हां की आवाजें) तो वह बढ़ा दिया जायगा ।

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**--अध्यक्ष महोदय, मैं जिस खुशी के साथ इस वक्त आज की बहस का जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं, मुझको उस वक्त से जब से कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, ऐसा मौका कभी नहीं मिला । इसके मानी यह हैं कि जिस तरह के माकूल और मुनासिब दायरे के अन्दर क्या कहूं आलोचना-क्रिटिसिज्म मैंने सुना आज इस हाउस में, वह उसके पहले कभी नहीं सुना । मैं उस खुशी के साथ मसकूर भी हूं मेम्बरान का और आपके द्वारा बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ।

बातें जो कहीं गयी उनमें से कुछ का जवाब आ भी चुका है, कितनी ही बाकी हैं । लेकिन मैं फिर भी यह जरूरी नहीं समझता हूं कि उनमें से हर एक की बाबत अलग-अलग कहूं, इसलिये कि कुछ मेरी बातों में जो मैं अर्ज करूंगा अब वे बहुत सी बातें शामिल हो जायेंगी और उनका जवाब आ जायगा । अगर्चे बजाहिर मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं फलां-फलां बात के जवाब में यह बात कह रहा हूं, मगर उससे भी पहले मैं अपने भाई नौरंगलाल जी का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने--मैं इन लफ्जों में अगर सही हिन्दी बोलता हूं तो उसको समझा जाय नहीं तो मुझसे सही करा लिया जाय, चेतावनी दी और एक चीज जिसकी तरफ मैं इकरार करता हूं कि मेरी उस दृष्टिकोण की रूह से निगाह नहीं थी उस तरफ उन्होंने मेरी, जहां बैठा था मैं और मेरे जरिये से तमाम गवर्नमेंट की तवज्जह दिलायी । मैं और आपकी गवर्नमेंट यह समझती है कि मेम्बरान सुप्रीम हैं, लेजिस्लेचर सबसे बड़ी पावर है, गवर्नमेंट हो, डिपार्टमेंट्स हों या और कोई चीज हो, वे सब मेम्बरान के मातहत हैं और हममें सबसे ज्यादा इज्जत वाले, अगर कोई आज हो सकते हैं तो वही हो सकते हैं जिनको लाखों हजारों आदमियों ने चुन-चुन कर यहां इस एवान में काम करने के लिये भेजा है । ऐसी सूरत में मुझको या गवर्नमेंट को कभी यह ख्याल हो कि मेम्बरान यहां पर इस हैसियत से रहें कि वह रहना उनकी शान से नीचे हो या उनको उसके अन्दर बहुत दिक्कत हो, तो हम उसको गवारा नहीं कर सकते हैं । मैं जनाब के जरिये से अपने नौरंगलाल जी को ही नहीं बल्कि जितने भी इस सदन के मेम्बर हैं, खुदा उनमें कोई यहां मौजूद हैं या नहीं, उनको दावत देता हूं और गवर्नमेंट की तरफ से देता हूं कि जो-जो भी बातें वे जरूरी और मुनासिब समझते हैं कि यह-यह होना चाहिये वह हमको दें और हम उसको मंजूर करें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--आप दावत कब दे रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं एक चीज कहे देता हूं । एक साहब का फिकरा है फारसी में, हिन्दी में भी उसका तर्जुमा कर दूंगा :--

"फिकरे हर कस बकदरे हिम्मतेऊस्त ।"

हर आदमी की फिक्र वहीं तक पहुंचती है जहां तक उसकी हिम्मत है । चाय तक है तो चाय तक पहुंचेगी और कहीं तक है तो और कहीं तक पहुंचेगी । तो मैंने तो मेम्बरान को जो दावत दी वह यह कि मुझसे इरशाद फरमायें, मुझे हुक्म दें, कोई लिख कर तजवीज दें, बतलायें मुझको और मैं उसकी बनिस्बत यह अर्ज करूं कि मैं उसकी तामील करने के लिये तैयार हूं, आपकी गवर्नमेंट भी उसकी तामील करने के लिये तैयार है । और इसके भी सोचने वाले सबसे ज्यादा आप लोग ही हैं कि आपके लिये क्या कहना और किस तरह की मांग करना मुनासिब है या नहीं, मैं उसको आप ही तक छोड़ूंगा । और मैं चाहता हूं कि इस बात को आगे उठा कर जो कुछ भी उसके मुताल्लिक कहना सुनना हो वह कह दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात रायल होटल की बाबत कही गयी कि रायल होटल का तखमीना, उसकी कीमत का तीन लाख रुपये किसी ने किया था और फिर जो मैं समझा उनके कहने से वह यह-वह बढ़ कर ७ लाख और कुछ हजार तक पहुंचा। यह बात बिल्कुल गलत है। तखमीना मेरे पास है, जमीन का तखमीना अलग, मकानियत का तखमीना अलग। शुरू में ही जो पी० डब्ल्यू० डी० ने बनाया है उसका टोटल ७ लाख और कुछ था। इसके अलावा जो फर्नीचर था उसका तखमीना अलग था। दूसरी बात बिल्कुल गलत थी बेबुनियाद थी। जो मालिका थी वह एक औरत थी, वह तो किसी तरह से बेचना ही चाहती थी और मैं यह लफ्ज न कहूं और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम आये लेकिन खरीदा मैंने, बातचीत मैंने की, मैं यह कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि मैंने मंजूर किया वह बेच दे हालांकि उल्टी बात यह है कि दो साल से टालता आया और मैंने यही कहा कि हर्गिज न बेचो। हमें एकोमोडेशन की बहुत तकलीफ थी और यह होटल बावजूद इसके कि हमारे सेक्रेटेरियट के पास था फिर भी मैं नहीं चाहता था कि वह इसको बेचें क्योंकि लखनऊ में कुल दो होटल, कार्लटन और रायल हैं और लखनऊ में बाहर से लोग आया करते हैं। इसलिये मैं चाहता था कि यह होटल की तरह ही चलते रहें और मैंने दो वर्ष से यह बराबर कोशिश की कि वह इसे न बेचे। लेकिन जब वह बेचने के लिय आमादा हुई और कहा कि मैं बेचूंगी ही तो मैंने खरीदारी की और गवर्नमेंट की जरूरत को पूरा करने के लिये।

एक बात और कहने से पहले मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि एजूकेशन के मुताल्लिक कुछ गलतफहमी मालूम होती है उसको रफा कर दूं। कोर्सेज में यूनिफार्मिटी हो और कोआर्डीनेशन हो, जहां तक इसका ताल्लुक है मैं कहता हूं कि उम्दा चीज है, बेहतरीन बात है, होनी चाहिये। लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, वह तो सेन्टर कर सकती है कांस्टीटयूशन की रूह से, उनको करना है, हम कर नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी अपनी अपनी जगह पर औटोनोमी या आजादी रखती हैं कुछ मामलों के अन्दर। उसमें अपने अपने कोर्सेज बनाने का उनको अख्तियार है। गवर्नमेंट आफ इंडिया अगर दखल देकर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं उन लाइसेन्स पर, जिस पर कि यहां तवक्कुह की गई है इस हाउस के अन्दर।

एक बात जो कही गयी उस तरफ से, मैंने सुना था कि सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट उनमें जो रुपया कंटिजेन्सी फंड से खर्च हुआ तो वह रुपया वगैरह फायनेन्स कमेटी की मंजूरी लिये हुये खर्च नहीं होना चाहिये, यह पोजीशन बयान की गई यह बिलकुल गलत है, इसमें रत्ती भर भी ठीक नहीं है कि कंटिजेन्सी से रुपया खर्च करने के वास्ते गवर्नमेंट को जरूरत हो कि वह फायनेन्स कमेटी से मंजूरी ले। गवर्नमेंट को खुद अख्तियार है, खर्च करने का। सिर्फ एक चीज है, जिसकी जांच के वास्ते जो रुपया खर्च होता है वह हाउस के सामने लाया जाता है और यह हाउस उस पर अपना वरडिक्ट देता है, पास करता है लेकिन वह रुपया ऐसे काम में खर्च हुआ हो जिसको करना उस वक्त अनएवौयडेबिल हो, जरूरी हो छोड़ा न जा सकता हो उसके करने से। अब आप सोचें कि गवर्नमेंट के पास कोई काम आया और रुपये की जरूरत है तो मैं पहले फाइनेन्स कमेटी को दावत दूं और उसमें हफ्ता भर लगाऊं और उसके बाद मंजूरी लूं और तब रुपया खर्च करूं तो उसका नतीजा यह है कि वह काम तो खत्म हुआ और रुपये की भी जरूरत बाकी नहीं रहती है।

रामपुर की लायब्रेरी की निस्बत यह अर्ज करूंगा कि वह एक खजाना है बड़ा वेल्युएबिल है इस स्टेट के अंदर, जिसको मैं खुद देखने गया। मैंने सुना था उसकी बाबत, मैंने वहां जाकर किताबों की हालत देखी। तो मुझको यह बात बहुत ही बुरी मालूम हुई कि उन किताबों की लाइन्स से हरुफ मिट जाय और लफ्ज गायब हो जाय। लफ्ज उनमें से गायब हो गये। तो उस इमारत में नमी होने की वजह से इस किस्म की सूरत वहां पेश आ रही है, तो मैंने उसको देखा और देख कर यह सोचा कि इसको इस इमारत में नहीं रहना चाहिये। मगर इसके पहिले दूसरी इमारत के लिये तजवीज हो चुकी थी जिसको हामिद मंजिल कहते हैं। तो मैंने कहा कि इसको उस इमारत में मुन्तकिल करना चाहिये। तो मैंने एजूकेशन

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

डिपार्टमेंट को लिख कर रुपया दिलवाया इसलिये कि जो मुमकिन है वह जल्द से जल्द किया जाय। उस लायब्रेरी का इन्तजाम एक ट्रस्ट के हाथ में है। तो अगर किसी किस्म की गफलत हो,तो उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है और गवर्नमेंट इस इल्जाम से बरी भी है कि रुपया उसको नहीं दिया गया। रुपया उसको वक्त पर दिलवाया गया। वह अगर मुन्तलिक नहीं हुई है तो थोड़े दिनों के अन्दर मुन्तकिल हो जायगी।

रिहन्ड डेम के बारे में हमारे दोस्त गेंदा सिंह जी ने जिकर किया। जो बात उन्होंने कही वह ऐसी थी जिसका जबाव मुझे ही देना पड़ रहा है। रिहन्ड डाम के काम में कोई देर होगी, यह बिलकुल गलत बात है। किसी को अगर पूरी हिस्ट्री इस जमाने की मालूम हो कि इन तीन साल के अन्दर उसमें क्या होता रहा तो खुद बखुद उसकी समझ में यह बात आ जायगी कि रिहन्ड डाम में जो काम अभी तक हुआ वह होना जरूरी था और वही जरूरी काम वहां पर किया गया है। हमारे पास रुपया नहीं था और गवर्नमेंट आफ इंडिया से हम मांगते रहे। २,३ साल हुये वह रुपया हमको मिला और उन्होंने मंजूर किया। अभी वह हमारी जेब में नहीं आया है। जो चीज उसके लिये खरीदी जानी थी वह खरीदी जा रही है। जो काम होना था वह हो रहा है। मशीनरी जब आ जायेगी तो वह तेजी से वह डाम बनना शुरू हो जायगा। और बाकी जो काम है वह हो रहा है। यकीन तो यह है कि सन् १९५९ में जब उसको पूरा होना है तब तक वह पूरा हो जायगा और उसमें जो आराम जिसको पहुंचने वाला है वह पहुंचेगा।

एक बात ओवरसियर स्कूल की बावत कही गयी। उसमें जो कुछ मैंने सुना उस में गलतफहमी मालूम होती थी। गेंदा सिंह जी ने जो कुछ कहा उससे यह मालूम होता था कि हमारे यहां ओवरसियर बहुत हैं और इतने हैं कि जिससे वे बेकार हैं। हकीकत इसके खिलाफ है। असल बात यह है कि ओवरसियर नहीं मिलते हैं। तीन जगह पर इसकी तालीम होती है। लखनऊ में तालीम होती है इसलिये यहां पर दो स्कूल हैं। सिविल इंजीनियरिंग स्कूल और दूसरा हैवेट इंजीनियरिंग स्कूल है और तीसरा रुड़की में है। इनके अलावा और कहीं नहीं है। इनकी मांग इस स्टेट में तो है ही, मगर और दूसरे सूबों से भी मांग आती है। दूसरे यह जो पांच साला स्कीम में काम हो रहा है, तो उस काम में जिस जिस किस्म के टेक्निकल आदमियों की जरूरत होगी उनकी तादाद बहुत है नहीं और जो है वह भी बहुत कम है। उसके लिए एक तो ९ महीने की ट्रेनिंग जारी की जा रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग और एक दो स्कूल ओवरसियरी क्लासेज के भी बढ़ाये जा रहे हैं और इस ग्रांट के अन्दर उसके लिए भी रुपया मांगा गया है। अब दोस्तों की नजर में यह बात आए, फोरसीन या अनफोरसीन कुछ नहीं होता, कांस्टीटयूशन में लिखा हुआ है कि इस तरह से सप्लीमेंटरी नई ग्रांटस आ सकती है लेकिन सदन सोचे कि जिस वक्त हम चाहते हैं कि हमारा सूबा जल्द से जल्द तरक्की करे और एक स्कीम जिसकी हमने तहकीकात भी की हो मई सन् ५४ में और उसका मुकम्मिल नतीजा निकला सन् ५५ के किसी वक्त में और मालूम हुआ कि वह स्कीम मुफीद है तो क्या यह मुनासिब होगा कि हम उसके लिये बजट के वक्त तक रुके रहें और कहें कि कांस्टीटयूशन में यह लिखा है और वह लिखा है और एसा फाइनन्शयल हैंड बुक में लिखा है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज को कोई भी पापुलर गवर्नमेंट या पबलिक ओपीनियन कबूल नहीं करेगी अगर पबलिक से कहा भी जायगा कि ऐसा कायदा है तो जबाव यही मिलेगा कि अगर ऐसा कायदा है तो उन किताबों को बदलो और उसके लिये जल्द इंतजाम करो। लिहाजा यह चीज नजर से देखी जाय कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे इस वक्त हो सका, यह देखने का शायद उनको मौका न हो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नई स्कीम नहीं आ सकती या कांस्टीटयूशन में ऐसा नहीं है। वह आ सकती है और कांस्टीटयूशन उसकी इजाजत हमको देता है और उनके लिये रुपया इस तरह से लिया जा सकता है और कोई शर्त उसमें नहीं है। मैं तो यह अर्ज करूंगा मेम्बरान की खिदमत में कि यह जो बात कही गई कि इसमें साढे ५ करोड़ का डेफिसिट है, मैं तो यह कहूंगा जो मुल्क या सूबा तरक्की करता होगा, डेवेलप करता होगा, उसमें यह चीज होगी और बगैर इसके वहां तरक्की नहीं हो सकती, जगह जगह

रुक जायगी। तरक्की करने वालों के लिये यही हल है कि खर्च जो होता हो, वह बढ़े तो बढ़े। हमने कहा था और मैं गवर्नमेंट की तरफ से कह रहा हूं कि हम सूबे की जरूरत के मुताबिक प्लान बना रहे हैं, क्या हम यहां डेफिसिट का हिसाब लगा रहे हैं, मैं पूछता हूं कि जब हमें किसी काम के लिए जरूरत है तो इस वक्त रुपया कहां से आए, क्या काम रोक दिया जाय और तरक्की के काम बन्द कर दिए जायं? वह नहीं हो सकता। तो फिर यह ५ करोड़ २९ लाख का हिसाब क्या बताया गया, वह है क्यूं? एक तरफ हमारे काम चलते रहते हैं और नए काम आते हैं, खर्च होता रहता है और अगर जरूरत होती है तो सदन से रुपया मांगते हैं। बस अब वक्त खत्म हो गया।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--उठने से पहले मैं इतना सदन को बताना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये श्री मलखानसिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में कल ४ बजे तक का समय नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया था और उस समय तक केवल एक नाम श्री विष्णुदयाल वर्मा का प्राप्त हुआ है। यदि उन्होंने अपना नाम वापस न लिया तो वह निर्वाचित घोषित कर दिए जायंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२२ सितम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६२ पर)

नीलगांव फार्म में किये गये प्रयोगों के आधार पर हाथी से जोताई करने के आर्थिक पहलू के संबंध में जो उपयोगी तुलनात्मक आंकड़े संकलित किये गये है वे निम्नलिखित हैं:—

जोताई के साधन	प्रतिदिन काम करने की लागत	वह क्षेत्र जिसकी इससे जोताई की जा सकती है या जिसमें पटेला चलाया जा सकता है	प्रति एकड़ लागत	वह क्षेत्र जिसकी ६ इंच गहरी जोताई प्रतिदिन की जा सकती है	प्रति एकड़ लागत	विवरण
बैल	४ रु० ४ आ०	देशी हल से .७५ एकड़	५ रु० ११।। आ०	विक्ट्री हल से .७५ एकड़	एक अतिरिक्त व्यक्ति को लेकर ६रु०११आ०	इसकी लागत अधिक होने का कारण एक गहराई डालने वाले देशी किस्म का हल है।
फोर्डसन मेजर ट्रैक्टर	६० रु०	१२ एकड़	५ रु०	५ एकड़	१२ रु०	ट्रैक्टर द्वारा गहरी जोताई में ही कम खर्च पड़ता है।
फावलर ट्रैक्टर	५० रु०	१० एकड़	५ रु०	४ एकड़	१२ रु०	..
मार्शल					८ आ०	..
हाथी	१६ रु०	लगभग ५ एकड़	३ रु० ४ आ०	लगभग २.५ एकड़	६ रु० ८ आ०	.. ये आंकड़े अनुमानित हैं। अभी वास्तविक आंकड़ों के लिए जांच पड़ताल की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

जनरेटिंग कम्पनियां

नगर	रोशनी और पंखे के रेट प्रति यूनिट	पावर के रेट	
		स्लाइडिंग स्केल जहां भी लागू हों	टू पार्ट टैरिफ जहां भी लागू हों
१	२	३	४
	रु० आ० पा०		
१—लखनऊ	०—३—९ (डी० सी०) ०—३—३ (ए० सी०)	पहले ६० यूनिट पर २२ पाई	६।४ प्रति हार्सपावर तथा ०.८५ आना प्रति यूनिट।
२—इलाहाबाद	,,	,,	,,
३—आगरा	०—४—६	पहले ६० यूनिट पर २४ पाई	६/४ प्रति हार्सपावर तथा ९ पाई प्रति यूनिट।
४—बरेली	०—५—६ (डी० सी०) ०—५—० (ए० सी०)	पहले ६० यूनिट पर ३६ पाई	७ रु० प्रति एच. पी. तथा ८ पाई प्रति यूनिट
५—बनारस	०—४—३	पहले ६० यूनिट पर २४ पाई	६/४ प्रति एच० पी० तथा ८ पाई प्रति यूनिट।
६—बांदा	०—८—०	नान रेसट्रिक्टेड ६६ पाई प्रति यूनिटें रेसट्रिक्टेड ३९ पाई प्रति यूनिट	
७—बहराइच	०—७—०	१०० यूनिट तक २१ पाई प्रति-यूनिट	
८—गोंडा	,,	,,	
९—बलरामपुर	,,	,,	
१०—बाराबंकी	०—१२—९	५०० यूनिट तक ७५ पाई प्रति यूनिट	
११—फर्रुखाबाद	०—८—०	२ बजे रात से ५ बजे शाम तक ४८ पाई प्रति यूनिट	
१२—फतेहगढ़		,,	
१३—गाजीपुर	०—७—०	११ बजे रात से एक घंटा सूर्य डूबने से पूर्व तक ३६ पाई प्रति यूनिटें	
१४—गोरखपुर	०—८—०	७—०—० प्रति एच० पी० तथा २७ पाई प्रति यूनिट	

नगर	रोशनी और पंखे के रेट प्रति यूनिट	पावर के रेट	
		स्लाइडिंग स्केल जहां भी लागू हों	टू पार्ट टैरिफ जहां भी लागू हों
१	२	३	४
	रु० आ० पा०		
१५--हरदोई	०-७-०	पहली ५०० यूनिट ३६ पाई प्रति यूनिट ।	
१६--जौनपुर	०-८-०	३ आना प्रति यूनिट ।	
१७--झांसी	०-८-०	३ रु० प्रति मास तथा ३९ पाई प्रति यूनिट ।	
१८--मिर्जापुर	०-८-०	रेसट्रिक्टेड ३० पाई प्रति यूनिट-- अनरेसट्रिक्टेड ४२ पाई प्रति यूनिट	७ रु० ८ आ० प्रति के०वी०ए० तथा १ आ० प्रति यूनिट
१९--मैनपुरी	पावर हाउस बन्द है		
२०--पडरौना	०-६-०	०-५-०	..
२१--शाहजहांपुर	०-८-०	..	नान सीजनल ५ रु० प्रति बी० एच० पी० तथा ४० यूनिट तक प्रति यूनिट ३९ पाई।
२२--हल्द्वानी	०-८-०	४८ पाई प्रति यूनिट	..
२३--काठगोदाम	,,	,,	..
२४--ऋषिकेश	०-६-०	१,३२० यूनिट तक १८ पाई प्रति यूनिट	४ रु० प्रति हार्सपावर तथा ४ पाई प्रति यूनिट ।
२५--उन्नाव	०-८-०	पहले ६०यू निट प्रति यूनिट ४८ पाई	..
२६--नैनीताल	०-८-०	४८ पाई प्रति यूनिट	..
२७--अल्मोड़ा	०-८-०	४८ पाई प्रति यूनिट	..
२८--मसूरी	०-६-०	३६ पाई प्रति यूनिट	..
२९--देहरादून	,,	,,	..
३०--पीलीभीत	०-८-०	३० पाई प्रति यूनिट	..
		डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनियां	
३१--वृन्दावन	०-५-६	पहले १,३२० यूनिट तक १८ पाई	६ रु० प्रति हार्सपावर तथा ९ पाई प्रति यूनिट।
३२--गोकुल	,,	,,	,,
३३--महावन	,,	,,	,,
३४--बलदेव	,,	,,	,,
३५--हरिद्वार	०-६-०	,,	,,
३६--इटावा	०-६-६	पहले १,५०० यूनिट पर प्रति यूनिट १८ पाई	५ रु० प्रति हार्सपावर तथा १४ पाई प्रति यूनिट ।
३७--फीरोजाबाद	,,	,,	,,

नगर	रोशनी और पंखे के रेट प्रति यूनिट	पावर के रेट	
		स्लाइडिंग स्केल जहाँ भी लागू हों	टूपार्ट टैरिफ जहां भी लागू हों
१	२	३	४
	रु० आ० पा०		
३८--शिकोहाबाद	०-६-६	पहले १,५०० यूनिट पर प्रति यूनिट १८ पाई	५ रु० प्रति हार्सपावर तथा १४ पाई प्रति यूनिट।
३९--सिरसागंज	,,		
४०--जसवंत नगर	,,	,,	,,
४१--मुरादाबाद	०-८-०	पहले १,३२० यूनिट पर प्रति यूनिट २१ पाई	६ रु० प्रति हार्सपावर तथा ९ पाई प्रति यूनिट।
४२--बिजनौर	,,	,,	,,
४३--सहेसपुर	,,	,,	,,
४४--कीरतपुर	,,	,,	,,
४५--बछरावां	,,	,,	,,
४६--हसनपुर	,,	,,	,,
४७--मडांवर	,,	,,	,,
४८--नजीबाबाद	,,	,,	,,
४९--धामपुर	,,	,,	,,
५०--बिलारी	,,	,,	,,
५१--नेहतौर	,,	,,	,,
५२--सिवहारा	,,	,,	,,
५३--चंदौसी	,,	,,	,,
५४--शेरकोट	,,	,,	,,
५५--नगीना	,,	,,	,,
५६--बिजनौर	,,	,,	,,
५७--कुदेंरकी	,,	,,	,,
५८--चांदपुर	,,	,,	,,
५९--मुरादाबाद	,,	,,	,,
६०--कांठ	,,	,,	,,
६१--झल्लू	,,	,,	,,
६२--हलदौर	,,	,,	,,
६३--सिरसी	,,	,,	,,
६४--सम्भल	०-६-०	,,	,,
६५--अमरोहा	,,	,,	,,
६६--मेरठ	,,	,,	६ रु० प्रति एक० पी० तथा ९ पाई प्रति यूनिट।
६७--सहारनपुर जिला	,,	,,	,,
६८--मुजफ्फरनगर जिला	,,	,,	,,
६९--पूरकाजी	,,	,,	,,
७०--गंगोह	,,	,,	,,
७१--देवबन्द	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगर	रोशनी और पंखे के रेट प्रति यूनिट	पावर के रेट	
		स्लाइडिंग स्केल जहां भी लागू हों	टू पार्ट टैरिफ जहां भी लागू हों
१	२	३	४
	रु० आ० पा०		
७२—खतौली	०—६—०	पहले १,३२० यूनिट पर २१ पाई प्रति यूनिट	६ रु० प्रति एच० पी० तथा ९ पाई प्रति यूनिट।
७३—जानसठ	,,	,,	,,
७४—मीरनपुर	,,	,,	,,
७५—कैराना	,,	,,	,,
७६—कांधला	,,	,,	,,
७७—मंगलौर	,,	,,	,,
७८—छरथावल	,,	,,	,,
७९—सरधाना	,,	,,	,,
८०—थाना भवन	,,	,,	,,
८१—फरीदनगर	,,	,,	,,
८२—हाशिमपुर	,,	,,	,,
८३—गढ़मुक्तेश्वर	,,	,,	,,
८४—शामली	,,	,,	,,
८५—मोवाना	,,	,,	,,
८६—रामपुर	,,	,,	,,
८७—परिछतगढ़	,,	,,	,,
८८—हापड़	,,	,,	,,
८९—बड़ौत	,,	,,	,,
९०—खेकरा	,,	,,	,,
९१—फीलकुवा	,,	,,	,,
९२—बागपत	,,	,,	,,
९३—छपरौली	,,	,,	,,
९४—गाजियाबाद	,,	,,	,,
९५—मुरादनगर	,,	,,	,,
९६—अलीगढ़ जिला	,,	१८ पाई प्रति यूनिट १,३२० यूनिट तक।	,,
९७—बुलंदशहर	,,	,,	,,
९८—गुलाऔटी	,,	,,	,,
९९—जहांगीराबाद	,,	,,	,,
१००—सीयाना	,,	,,	,,
१०१—अनूपशहर	,,	,,	,,
१०२—देबाई	,,	,,	,,
१०३—शिकारपुर	,,	,,	,,
१०४—डंकौर	,,	,,	,,
१०५—सिकंदराबाद	,,	,,	,,

अमर पदेश्वर विधान सभा

नगर	रोशनी और पंखे के रेट प्रति यूनिट	पावर का रेट	
		स्लाइडिंग स्केल जहां भी लागू हों	टू पार्ट टैरिफ जहां भी लागू हों
१	२	३	४
	रु० आ० पा०		
१०६—अतरौली	०—६—०	पहले १,३२० यूनिट पर १८ पाई प्रति यूनिट।	६ रु० प्रति एच०पी० तथा ९ पाई प्रति यूनिट ।
१०७—सासनी	,,	,,	,,
१०८—हाथरस	,,	,,	,,
१०९—हरदूआगंज	,,	,,	,,
११०—सिकंदराराव	,,	,,	,,
१११—अलीगढ़ शहर	,,	,,	,,
११२—एटा	,,	पहले १३२० यूनिट पर १९ पाई प्रति यूनिट।	६—२—० प्रति बी० एच० पी० तथा १० पाई प्रति यूनिट।
११३—सोरों	,,	,,	,,
११४—उझानी	,,	,,	,,
११५—बिलसी	,,	,,	,,
११६—आंवला कटरा	०—६—६	,,	,,
११७—आंवला गंज	,,	,,	,,
११८—विसोला	,,	,,	,,
११९—इसलामनगर			
१२०—एतमादपुर	,,	,,	,,
१२१—मारेहरा	,,	,,	,,
१२२—टूंडला	,,	,,	,,
१२३—बदायूं	०—८—०	पहले १,३२० यूनिट पर १८ पाई प्रति यूनिट	५ रु० प्रति बी० एच० पी० तथा ९ पाई प्रति यूनिट
१२४—फैजाबाद	०—६—०		५ रु० प्रति बी० एच० पी० तथा १२ पाई० प्रति यूनिट
१२५—मथुरा	०—५—६	पहले ५० यूनिट तक ३६ पाई प्रति यूनिट	९ रु० प्रति बी० एच० पी० तथा १५ पाई प्रति यूनिट
१२६—सहारनपुर	०—६—०	१३२० यूनिट तक १८ पाई प्रति यूनिट	६ रु० तथा ९ पाई प्रति यूनिट
१२७—साबाबाद	,,	११ बजे रात से सूर्य डूबने के एक घंटा पूर्व तक १८ पाई प्रति यूनिट	
१२८—खुरजा	,,	१,३२० यूनिट तक १८ पाई प्रति यूनिट	६ रु० तथा ९ पाई ,,
१२९—कासगंज	,,	,,	,,
१३०—मेरठ म्युनिसिपल क्षेत्र	,,	१,३२० यूनिट तक २१ पाई प्रति यूनिट	,,
१३१—मुजफ्फरनगर	,,	१,३२० यूनिट तक १८ पाई प्रति यूनिट	,,
१३२—रुड़की	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगर	रोशनी और पंखे के रेट प्रति यूनिट	पावर का रेट	
		स्लाइडिंग स्केल जहां भी लागू हों	टू पार्ट टैरिफ जहां भी लागू हों
१	२	३	४
	रु० आ० पा०		
	जिन स्थानों पर सरकार द्वारा बिजली दी गई है		
१३३—गंगा ग्रिड के देहाती इलाकों में	०—५—६	१,३२० यूनिट तक २१.५ पाई	६ रु० तथा ६ पाई प्रति यूनिट
१३४—रामपुर	,,	पहले ६६० यूनिट तक २७ पाई	,,
१३५—टेहरी	३ लैम्प २५ वाट्स एक रुपया ४० वाट्स, १ रु० ४ आ०		३६ पाई प्रति यूनिट
१३६—नरेन्द्र नगर		,,	
१३७—देवरिया	०—८—०	०—४—०	
१३८—चौरी चौरा	,,	,,	
१३९—बस्ती	,,	४८ पाई प्रति यूनिट	
१४०—खलीलाबाद	,,	,,	
१४१—बलिया	,,	,,	
१४२—आजमगढ़	०—७—०	प्रथम १०० यूनिट तक ४२ पाई	
१४३—रामनगर	०—८—०	४८ पाई प्रति यूनिट ।	
१४४—बागेश्वर	०—७—०	४२ पाई प्रति यूनिट	
१४५—सीतापुर	०—८—०	पहले २० यूनिट पर ३६ पाई प्रति यूनिट ।	
१४६—टनकपुर	०—५—६	१,३२० यूनिट तक २१, १/२ पाई प्रति यूनिट ।	
१४७—रानीखेत	,,	,,	
१४८—लखीमपुर	,,	,,	
१४९—बिसवां	,,	,,	
१५०—कानपुर	०—३—०	१२० यूनिट प्रति बी० एच० पी० प्रति मास या १,२०० यूनिट प्रति मास जो भी अधिक हो २७ पाई प्रति यूनिट ।	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१०१ एल० ए०—१९५५—७९६